हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2025 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

26.11.2025/1100/av/ag/1

अध्यक्ष : शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए मैं विशेष तौर पर सदन के माननीय नेता श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर, समस्त मंत्रिमण्डल के सदस्यों तथा माननीय विधायकों का अभिनन्दन और आभार प्रकट करता हूं। यह चौदहवीं विधान सभा का 10वां सत्र है। मैं आशा करता हूं कि आठ दिन चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष व विपक्ष के माननीय सदस्यों से सहयोग मिलता रहेगा। आप सभी हिमाचल प्रदेश विधान सभा की परम्पराओं और गरिमा का सम्मान करते हुए तथा नियमों की परिधि में रहकर जनहित से सम्बंधित विषयों पर सदन में सार्थक चर्चा करेंगे एवं सत्र के संचालन में अपना रचनात्मक सहयोग देंगे। इससे पूर्व कि आज की कार्यवाही आरम्भ करें, मण्डप में उपस्थित सभी से निवेदन है कि वे राष्ट्र गान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(राष्ट्र गान गाया गया।)

आज संविधान दिवस भी है और संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर भारत के संविधान की उद्देशिका (Preamble) की कॉपियां सभी माननीय सदस्यों की टेबल्ज पर उपलब्ध करवाई गई हैं। अतः मेरा सदन में उपस्थित सभी से अनुरोध है कि आप अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर भारत के संविधान की उद्देशिका (PREAMBLE) का प्रतिज्ञान करेंगे।

भारत का संविधान

उद्देशिका

"हम, भारत के लोग, भारत को एक [सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों कोः

26.11.2025/1100/av/ag/2

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और

अवसर की समता

प्राप्त करने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

हम दृढ़संकल्प होकर इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं।"

26.11.2025/1100/av/ag/3

शोकोद्‌गार

अब मैं माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस सदन के पूर्व सदस्य स्वर्गीय डॉ0 बाबू राम गौतम के निधन पर अपने शोकोद्‌गार प्रस्तुत करें।

मुख्य मंत्री जी टी सी द्वारा जारी

26.11.2025/1105/टी0सी0वी0/ए0जी0/1
शोकोद्‌गार ..... जारी

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि पूर्व विधायक डॉ0 बाबू राम गौतम जी का दिनांक 19 अक्तूबर, 2025 को लगभग 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय डॉ0 बाबू राम गौतम जी का जन्म दिनांक 27 जनवरी, 1953 को जिला बिलासपुर के गांव पंजगाईं, तहसील सदर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0एम0एस0 की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय डॉ0 बाबू राम गौतम जी वर्ष 1977 से वर्ष 1980 तक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक छात्र संघ के सदस्य रहे। उन्होंने वर्ष 1981 से वर्ष 1984 तक हिमाचली पहाड़ी कला और भाषा संस्कृति अकादमी को समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे वर्ष 1986 में हिमाचल प्रदेश राज्य इंडो नेपाल मैत्री संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। स्वर्गीय डॉ0 गौतम जी वर्ष 1985 में बिलासपुर सदर विधान सभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। उनकी सामाजिक कार्यों और गरीब लोगों की सेवा में विशेष रुचि थी। यह माननीय सदन स्वर्गीय डॉ0 बाबू राम गौतम जी के प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए, ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं छात्रसंघ (एन0यू0एस0आई0) का स्टेट प्रेसिडेंट था, डॉ0 बाबू राम गौतम जी को मैं उस समय से लेकर जानता हूं और प्रेसिडेंट बनने के बाद जब हम बिलासपुर में अपनी कार्यकारिणी के संदर्भ में जाते थे तो वहां पर भी उनसे मुलाकात होती थी। उनका एक सहज और सरल व्यक्तित्व था। वे हमेशा पार्टी की विचारधारा की बात करते थे। वे अचानक हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं अपनी तरफ से उनके परिवारजनों को आपके माध्यम से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री जय राम ठाकुर , नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय डॉ0 बाबू राम गौतम के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त करेंगे।

26.11.2025/1105/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, डॉ0 बाबू राम गौतम जी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे और इस विधान सभा में विधायक के नाते बिलासपुर विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मैं भी अपने दल की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शोकोद्‌गार यहां सदन में रखे हैं उनमें शामिल होने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, डॉ0 बाबू राम गौतम जी का लगभग 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। मैंने अनेक बार देखा कि जब भी हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सत्र होता था तो वे विधान सभा परिसर में पूर्व विधायकों के मसलों को लेकर हमेशा आते थे और मुझे भी कई बार मिलते थे। वे हमेशा इस बात को कहते थे कि विधायक होना आज की व्यवस्था है लेकिन जीवनभर पूर्व विधायक होकर रहना है, इसलिए पूर्व विधायकों के मसलों को गंभीरता से सुनना और मदद करना जरूरी है। इस विषय को रखने के लिए वह सदैव विधान सभा में आते थे। मैं इस बात को भी याद कर रहा हूं कि जिस दिन मेरा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टिट्यूट, बिलासपुर में हमारी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उनके साथ जाना हुआ था और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद

जब हम गाड़ी में बैठकर निकलने लगे तो अचानक नड्डा जी गाड़ी से उतर गए तथा मालूम पड़ा कि डॉक्टर बाबू राम गौतम जी वहां हॉस्पिटल में एडमिट है।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी

26-11-2025/1110/NS-AS/1

शोकोद्‌गार-----जारी

श्री जय राम ठाकुर -----जारी

हम सब लोग भी उनके साथ में गए और मेरे साथ माननीय विधायक श्री रणधीर शर्मा जी, श्री त्रिलोक जम्वाल जी व श्री जीत राम कटवाल जी भी साथ थे। वहां पर हमारी पार्टी के और साथी भी साथ थे। हम उनके साथ हॉस्पिटल के वार्ड में मिलने के लिए गए और वहां जाकर उनसे बातचीत हुई। वे कहने लगे कि पहले मैं बीमार था लेकिन अब मैं बीमार नहीं हूं क्योंकि आप आए तो मैं स्वस्थ हो गया। उन्होंने अपनी बात ऐसे जोश के साथ कही। सचमुच उनके चेहरे पर रौनक लग रही थी। उनका चेहरा बहुत फ्रैश लग रहा था। उन्होंने काफी देर तक श्री जगत प्रकाश नड्डा जी व हम लोगों से साधारण विषयों पर बातचीत की और विशेष तौर पर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीच्यूट, बिलासपुर के लिए नड्डा जी का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद किया और कहा कि हमें जो सुविधा पहले दिल्ली में मिलती थी वही सुविधा आज हमें अपने गांव में मिल रही है, अपने घर में मिल रही है जोकि बहुत बड़ी देन है। किसी ने नहीं सोचा था कि उनके पास वक्त कम है। उस वक्त की परिस्थिति को देखते हुए व उनके चेहरे को देखते हुए मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है और ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके पास वक्त कम है। लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता है। वे नहीं रहे और मेरी उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। उनके योगदान को हमेशा स्मरण किया जाएगा। उनका अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो योगदान है उसको याद किया जाएगा और साथ में उनका जो योगदान एक विधायक के नाते सदन के अंदर रहा है तथा उनका जो योगदान पूर्व विधायक के नाते अपनी कम्युनिटी के लिए रहा है तो मैं उन सबको स्मरण

करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जब आप उनके परिवार को संवेदनाएं प्रकट करें तो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की संवेदनाओं को भी उसमें शामिल किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

26-11-2025/1110/NS-AS/2

अध्यक्ष : अब माननीय शिक्षा मंत्री जी शोकोद्‌गार में भाग लेंगे।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो यहां पर शोकोद्‌गार प्रस्ताव लाया है उसमें मैं अपने आपको शामिल करता हूं। हालांकि, श्री बाबू राम गौतम जी हमसे दो दशक पहले विधायक रहे थे लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनके साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे। मेरे से पूर्व मुख्य मंत्री जी व नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी ने अपने विचार रखे हैं। वे बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे और बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे जीवन भर जनता के प्रति समर्पित रहे। वे हमारी पार्टी के प्रति समर्पित रहे और वे बिलासपुर सदर विधान सभा क्षेत्र के विधायक रहे। वे एच0आर0टी0सी0 के उपाध्यक्ष रहे। पार्टी के अंदर जो भिन्न-भिन्न महत्वपूर्ण पद थे चाहे सेवादल के अध्यक्ष के रूप में, चाहे पंचायती राज संगठन जो कांग्रेस पार्टी का प्रकोष्ठ है उसके भी अध्यक्ष रहे। जैसा कि यहां पर श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा है कि हमारी पूर्व विधायक की जो संस्था थी उसके वे वर्तमान में अध्यक्ष रहे। विशेषकर जो पूर्व विधायकों के मुद्दे हुआ करते थे वे उससे संबंधित आवाज उठाते थे चाहे सरकार कोई भी रही हो। मुझे याद है कि पिछले वर्ष जब वे शिमला आए थे तो मुख्य मंत्री के समक्ष उन्होंने पूर्व विधायकों के इश्यूज उठाए। निश्चित रूप से उनके जाने की क्षति न केवल जिला बिलासपुर की क्षति है बल्कि पूरे प्रदेश की क्षति है। मैं इस प्रस्ताव में अपने आपको शामिल करता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले। मैं उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष : अब नगर एवं ग्राम योजना मंत्री श्री राजेश धर्माणी जी शोकोद्‌गार में भाग लेंगे।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री श्री राजेश धर्माणी जी ......आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

26.11.2025/1115/RKS/AS-1

शोकोद्‌गार...... जारी

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शोकोद्‌गार प्रस्तुत किए हैं मैं भी इसी संदर्भ में बिलासपुर सदर से पूर्व विधायक रहे श्री बाबू राम गौतम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वह वर्ष 1985 में विधायक चुने गए। मुझे याद है कि जब वर्ष 1986 में हम स्कूल में पढ़ते थे तो मेरे घर में उनका एक कार्यक्रम रखा गया। उस समय हमारे गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं थी और पानी की भी काफी परेशानी थी। वे हमारे गांव में बिजली की व्यवस्था करवाने के लिए अधिकारियों के साथ वहां आए। हमारे गांव में पानी उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने एक बड़ी उठाऊ पेयजल योजना की व्यवस्था भी की। मैं उन्हें तब से ही जानता था। जब कॉलेज में हम NSUI के साथ जुड़े तो उनसे कई बार हमारा मिलना हुआ। वे हमसे बड़ी सागदी के साथ मिलते थे। वे पहाड़ी भाषा में ज्यादा बात करते थे। ऑल इंडिया रेडियो में पहाड़ी भाषा में उनके काफी इंटरव्यू आते थे। वे भाषण भी पहाड़ी भाषा में ही देते थे। वे बहुत ईमानदार और सादगी पसंद इंसान थे। वे आम लोगों के बीच में रहते थे और जिन लोगों की पहुंच उच्च अधिकारियों तक नहीं होती थी उनकी समस्याओं को वे बड़ी संजीदगी के साथ हल करवाने में हमेशा तत्पर रहते थे। जब वे विधायक थे तो उस समय प्लस टू स्कूल खोलने के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ। वे राजनीतिक चालबाजी नहीं जानते थे। वर्ष 1990 में उनका टिकट कट गया लेकिन तब भी वे कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने कभी इस बात का गिला नहीं किया कि मेरा टिकट क्यों कटा। हालांकि वर्ष 1993 में उन्हें दोबारा टिकट दिया गया। वे HRTC के वाइस चेयनमैन भी रहे। वे हमेशा आम आदमी के हितों की लड़ाई लड़ते थे। जब वर्ष 2007 में मुझे पहली बार विधान सभा चुनाव लड़ने का मौका मिला तो उस समय उन्होंने मेरे पक्ष

में काफी काम किया। उनका आशीर्वाद सदैव मुझ पर था। जब मुझे टिकट मिला तो उन्होंने बहुत खुखी व्यक्त की क्योंकि वे मेरे पिता जी को जानते थे। वे बहुत खुश थे कि उनके दोस्त के बेटे को टिकट मिला। जब वे बीमार हुए तो मैं दो बार उनसे मिलने गया। कई बार टेलिफोन में भी उनसे मेरी बात हुई। जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया तो वे बहुत आशावादी थे कि मैं अब ठीक हो गया हूं। वे उस समय पी0जी0आई0 से अपना उपचार करवाकर घर आ गए थे। उनका आगे का उपचार एम्स, बिलासपुर से होना था। वे बड़े आशावादी थे कि मैं अब ठीक होकर दोबारा से

26.11.2025/1115/RKS/AS-2

सामान्य जीवन व्यतीत करूंगा। जब दूसरी बार मैं उनसे मिलने गया तो वे बेहोशी की हालत में थे और उसके दूसरे दिन ही उनका देहांत हो गया। पिछले दिनों उनकी पत्नी भी काफी अस्वस्थ रही लेकिन अब वह भी ठीक है। वे हमेशा पूर्व विधायकों के हितों की लड़ाई लड़ते रहते थे और इसके लिए वे हमारे समर्थन की भी बात करते थे। वे वर्तमान मुख्य मंत्री, पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर और माननीय मंत्रियों से पूर्व विधायकों के हितों के लिए मिलते रहते थे। मुझे लगता है कि ऐसे सादगी पसंद और ईमानदार व्यक्ति राजनीति में कम ही होते हैं। वे अपना अच्छा जीवन निर्वहन करते हुए समाज कल्याण के प्रति समर्पित रहे। बिलासपुर में शायद ही कोई ऐसा सरकारी कार्यक्रम होगा जिसमें उन्होंने भाल न लिया हो। वे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हमेशा भाग लेते थे। मैं उनकी यादगार में आज उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भगवान उनकी पत्नी को स्वस्थ रखें। मैं उनके पूरे परिवार को भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। भगवान स्वर्गीय आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी अपने शोकोद्गार प्रस्तुत करेंगे।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

26.11.2025/1120/बी.एस./डी.सी.-1

शोकोद्‌गार जारी

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी शोकोद्‌गार में भाग लेंगे।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे जिला बिलासपुर से संबंधित पूर्व विधायक श्री बाबू राम गौतम जी के निधन पर शोकोद्‌गार रखे हैं, मुझे आपने इस पर शामिल होने का मौका दिया है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

निश्चित रूप से बाबू राम गौतम जी बहुत ही मिलनसार और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वे जिला के अधिकारियों के साथ अक्सर आम आदमी की समस्याओं को ले करके जाया करते थे। वे विधायक तो एक बार बने परंतु उसके बावजूद भी विधायक न रहते हुए भी आम आदमी की समस्याओं का समाधान करने का लगातार प्रयास करते रहते थे। मेरा उनके साथ व्यक्तिगत संबंध इसलिए भी है, क्योंकि वर्ष 2007 में जब मैं पहली बार विधायक बना, मेरी विधान सभा चुनाव क्षेत्र का नाम कोटकहलूर था और उसी विधान सभा चुनास क्षेत्र की सीमा पर ही पंजगाईं गांव के वे रहने वाले थे और मेरे पड़ोसी भी थे। जब में चुनाव जीता तो उन्होंने मेरे जीतने पर मुझे बधाई दी। जब मैं पहली बार विधान सभा सत्र के लिए विधान सभा में आया तो वे मुझे विधान सभा परिसर में मिले। उससे पहले उन्होंने मुझे पूछा कि आपका सैट न0 कितना है? मुझे आपसे मिलना है। उसके बाद वे मुझे मिलने के लिए मेरे सैट पर आए और एक घंटा बैठ कर मुझे सब कुछ बताया कि एक विधायक को जनता के लिए क्या-क्या काम करना है। हालांकि वे कांग्रेस पार्टी से थे और मैं भारतीय जनता पार्टी से था परंतु उन्होंने मुझे बताया कि एक विधायक को कैसे विधान सभा में प्रश्न लगाना है, कैसे विधायक को नोटिस देना है और कैसे चर्चा में भाग लेना है। उन्होंने यह भी बताया कि आपको कभी भी समितियों की बैठकें नहीं छोड़नी है और समितियों के प्रवास

पर भी जाना है तथा वहां पर भी अपने विभाग से संबंधित प्रश्न पूछने हैं। इतनी सारी जानकारी उन्होंने मुझे वहां बैठ कर दी। मैं संकोच नहीं करूंगा कि यदि मैं प्रशिक्षण की बात करूं तो मेरे पहले गुरू आदरणीय बाबू राम गौतम जी थे। मैं सदैव उनका ऋणि रहा हूं। वे हमेशा मुझे मिलते रहे हैं और मुझे अपना आशीर्वाद देते रहे हैं। मैं जब भी विधान सभा में बोलने के लिए हिस्सा लेता था तो वे मुझे शाम को फोन कर देते थे और अच्छी बातों की प्रशंसा करते थे और कुछ कमी होती थी तो उसे बताते भी थे। इस तरह का हमारा व्यक्तिगत रिश्ता और संबंध रहा है। वे काफी दिनों से बीमार थे उनसे मेरा अस्पताल और घर में मिलना हुआ। हालांकि उनमें हौंसला

26.11.2025/1120/बी.एस./डी.सी.-2

बहुत था कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। परंतु उसके बावजूद जो भगवान को मंजूर होता है अंत में वहीं होता है और वे हमें छोड़ कर चले गए। निश्चितरूप से हम उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और स्वर्गीय बाबू रमा गौतम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक जम्वाल जी शोकोद्‌गार में भाग लेंगे।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो सम्माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबू राम गौतम जी के प्रति शोकोद्‌गार इस माननीय सदन में प्रस्तुत किये हैं, मैं भी इसमें अपने आप को सम्मिलित करता हूं। पूर्व विधायक बाबू राम गौतम जी मेरी विधान सभा से संबंध रखते थे। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र की पंजगाईं पंचायत पड़ती है वे वहां के रहने वाले थे। वे बहुत ही नेक और मिलनसार व्यक्ति थे। शायद मैंने इतने शांत स्वभाव के व्यक्ति अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखे हैं। जब मुझे राजनीति में टिकट मिला उससे पहले में मुख्य मंत्री कार्यालय में कार्य करता था। इसलिए मेरा उनसे पहले भी

परिचय था और पारिवारिक संबंध भी थे और उनका आना-जाना भी था। वे हमेशा लोगों की चिंता करते थे। जब वे आते थे तो अपने अनुभव के आधार पर कुछ-न-कुछ सिखाने का प्रयास करते थे और हम सीखते भी थे। परंतु जब मुझे टिकट मिला मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से वे पहले व्यक्ति थे जिनका मुझे फोन आया था कि आपको टिकट मिला है, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं और आप इस लाइन में आगे बढ़ें, भगवान का आर्शीवाद आपके साथ है। मेरे पिता जी के साथ उनका बहुत अच्छा पारिवारिक संबंध रहा है। जैसा मुख्य मंत्री जी और पूर्व वक्तओं ने भी कहा कि वे पूर्व विधायकों की बहुत चिंता करते थे।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा द्वारा जारी.....

26.11.2025/1125/डी0टी0/डी0सी0 -1

शोकाद्गार जारी...

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी...

मुझे याद है कि वे दिल्ली में हिमाचल भवन के लिए गये क्योंकि सम्मानीय मुख्य मंत्री जी और अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि वह पूर्व विधायकों की बहुत चिन्ता करते थे। उस समय मैं मुख्य मंत्री कार्यालय में बतौर सलाहाकार कार्य करता था। जब वे दिल्ली पहुंचे तो उनके लिए किन्हीं कारणों से हिमाचल भवन में कमरा बुक नहीं हुआ। उन्होंने हिमाचल भवन के रिसेप्शन से फोन किया कि त्रिलोक जम्बवाल जी मैं नई दिल्ली आया था लेकिन हिमाचल भवन में मेरे नाम से कमरा बुक नहीं हो पाया है। मैंने इसके लिए बुकिंग का अनुरोध किया था लेकिन फिर भी बुकिंग नहीं हो पाई है।

अध्यक्ष महोदय, एक-न-एक दिन हम सभी को भी पूर्व विधायक होना है। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि करवाईये उन्होंने कहा कि अगर हो सकता है और सम्भव हो और कमरा उपलब्ध हो जाए तो मैं रात को यहां पर ठहर सकता हूं। मैंने अपने स्तर पर प्रयास किया जिससे उनके लिए कमरा उपलब्ध हो गया। उनके नाम से कमरा बुक हुआ और मैंने वे पहले ऐसे व्यक्ति देखे जिन्होंने कमरा मिलने के बाद धन्यवाद हेतु फोन भी किया। उसके बाद दूसरे दिन जब उन्होंने हिमाचल भवन से चैक आउट करना था उस समय भी मुझे

फोन किया और मेरा पुनः धन्यवाद किया और कहा कि आपके कारण मुझे आज हिमाचल भवन में बुकिंग मिल पाई लेकिन उन्होंने उसके साथ भी पूर्व विधायक होने की बात फिर कही। उन्होंने कहा कि जब आप पूर्व विधायक हो जाते हो तो ये दिक्कतें आती ही हैं। इसके बाद जब मुझे विधायक का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट मिला तो उसके बाद कई बार हमारा मिलना-जुलना हुआ और जब भी हम मिलते थे तो मुझे कुछ-न-कुछ समझाते रहते थे। वे विधान सभा में आते रहते थे कई विषयों में चर्चा करते रहते थे। कैसे हमें अपनी बात रखनी है। आपके विधान सभा क्षेत्र में क्या चल रहा है और उसके लिए क्या करना चाहिए, इन सारे विषयों पर मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। मुझे समय-समय पर अपना आशीर्वाद देते रहते थे। जब वह अस्वस्थ्य भी हुए उससे पूर्व भी वे जब भी डी0सी0 ऑफिस में आते थे। जबकि वे धिरे-धिरे राजनीति से दूर जा रहे थे लेकिन फिर भी वे किसी-न-किसी गरीब व्यक्ति की समस्या को लेकर डी0सी0 ऑफिस आते रहते थे। लेकिन विधायक न होते हुए भी समाज की चिंता करना उनकी आदत सी थी। वे हमेशा पैदल चलते हुए दिखते थे। मैं जब कई बार शहर में घूमता तो मुझे वे जब भी मिले पैदल घुमते हुए ही मिले। जब वह पी0जी0आई0 में एडमिट हुए तब भी उन्होंने यही

26.11.2025/1125/डी0टी0/डी0सी0 -2

कहा कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने उनसे बात की और मैं अपनी ओर से पी0जी0आई0 के स्तर पर जो भी मदद कर सकता था, मैंने की। जैसा भाई धर्माणी जी ने कहा कि वे आशावदी थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था और वे कहते थे भी थे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब उनका डाइगनोज हुआ तब पता चला कि उनको थोड़ी सी दिक्क्त है। लेकिन पी0जी0आई0 से उपचार होने के बाद वे स्वस्थ हो गये। पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ से आने के बाद और एम्स बिलासपुर में जाने से पहले, एक दिन मैं अपने घर की ओर जा रहा था लगभग छः या साढ़े छः बजे का समय था और वे भी अपने घर के बाहर टहल रहे थे। मैंने उनसे पूछा की आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि थोड़ा टहल रहा हूं क्योंकि डाक्टर ने कहा है कि घुमिये। उनका और मेरा घर पास-पास है। वे लगभग डेढ़

घंटा मेरे पास बैठे। उन्होंने मुझे कई बातों के बारे मे बताया कि पूर्व में कांग्रेस क्या थी,पूर्व में पार्टीयां क्या थी कैसे विचार आगे बढ़ता था और बदले परिवेश में क्या चल रहा है, इन सभी बातों पर हमने लगभग डेढ़ घंटा बात की। मैं उनको छोड़ने उनके घर तक गया लेकिन उसके एक महीने के बाद वह पुनः एम्स बिलासपुर में एडमिट हुए। जैसा सम्माननीय जय राम ठाकुर जी कहा की जब भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी एम्स बिलासपुर में आए थे तब वे एडमिट थे। मेरी उनसे लगातार बातचीत होती रहती थी। लेकिन उस दिन स्पेशली उनसे मिलने के लिए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर, श्री अनुराग ठाकुर, श्री रणधीर शर्मा, श्री जीत राम कटवाल और हम सब लोग उनसे मिलने गए। वह एडमिट थे और उन्हें ऑक्सीजन लगी थी। उन्होंने अपने मुंह से ऑक्सीजन के लिए जो मास्क होता है उसको हटाकर उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात की। उन्होंने हम सब लोग जो उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने गये थे, हम सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने विशेषकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का इसलिए धन्यवाद किया कि एम्स जैसी सुविधा आज हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिलासपुर में एम्स नहीं होता तो मुझे दोबारा पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ या एम्स दिल्ली जाना पड़ता। जब एम्स जैसा संस्थान प्रदेश में है तभी मेरा उपचार यहां हो पा रहा है और मुझे यहां स्पैशल वार्ड भी मिला है। डाक्टर मेरी अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। जब सब लोग उनसे मिलकर चले गये उससे अगले दिन उन्होंने मुझे धन्यवाद के लिए फोन किया। मैं आयु में उनसे

26.11.2025/1125/डी0टी0/डी0सी0 -3

बहुत छोटा हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि त्रिलोक जम्वाल जी आप सभी लोगों को लेकर आये लेकिन मैंने कहा कि वे सब लोग जो आपका कुशलक्षेम पूछ कर गये हैं, वह सभी स्वयं आना चाह रहे थे, मैंने तो सिर्फ उन्हें बताया था।। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि आप सभी लोगों को अपने साथ लेकर मेरा कुशलक्षेम पूछने के लिए ल आए, इसलिए आपका धन्यवाद। इतना बड़ा व्यक्ति और मुझ जैसे छोटे व्यक्ति का धन्यवाद कर रहा है। मैंने उनसे यही सीखा की जितने भी बड़े बन सभी के साथ मिलजुल कर रहो। वे डाउन-टु-

अर्थ थे। वर्तमान में जो राजनीति के क्षेत्र में जो हम लोग है शायद हम में उस चीज की बहुत कमी है।
माननीय अध्यक्ष महोदय इस शोकोद्‌गार मैं भी अपने आप को सम्मलित करता हूं। उनके परिवार के प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। भगवान उनके परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे व भगवान दिवंगत की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे।
अध्यक्ष श्री एन0जी0 द्वारा जारी....

26.11.2025/1130/एच.के.-एन.जी./1

शोकोद्‌गार.............जारी

श्री त्रिलोक जम्वाल के पश्चात........जारी

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल अपने शोकोद्‌गार प्रस्तुत करेंगे।

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, डॉ0 बाबु राम गौतम जी का स्वर्गवास होने के बाद माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इस माननीय सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और इस प्रस्ताव में मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, डॉ0 बाबु राम गौतम जी से मैं 3-4 वर्ष छोटा था लेकिन कॉलेज में मुझे उनके साथ पढ़ने का मौका मिला है। मेरा उनसे मिलना उस समय में हुआ जिस जमाने में रेगिंग होती थी। उस समय कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों में रेगिंग का चलन बहुत ज्यादा था जिसमें विद्यार्थियों को उल्टे-सीधे कपड़े पहनाकर भगाया जाता था। इस सब से गांवों के बच्चे हतोत्साहित महसूस करते थे। डॉ0 बाबु राम जी उस कॉलेज में 2-3 साल पहले से पढ़ रहे थे और मैं नया-नया उस कॉलेज में आया था। एक दिन मैं थोड़ा उदास

बैठा हुआ था क्योंकि मुझे याद नहीं लेकिन हो सकता है कि मुझे किसी ने थप्पड़ आदि मार दिया होगा। वे मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि 'छोटे भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह सब हमारे साथ भी हुआ है और आपने 10-15 दिन में यह सब कुछ भूल कर ठीक हो जाना है'। उन्होंने मुझे कहा कि आप यहां पर क्या करने आए हैं? मैंने उनसे कहा कि मैं मेडिकल की पढ़ाई करने आया हूं। उस जमाने में घर से ऐसे आदेश होते थे या हम सभी की यही धारणा होती थी कि पढ़-लिख कर डॉक्टर या इंजिनियर बनना है। किसी बच्चे के मैट्रिक में अच्छे नम्बर आ जाते थे तो डॉक्टर या इंजिनियर बनने की बात की जाती थी और हम भी उसी श्रेणी के बच्चे थे। डॉ0 बाबु राम जी ने मुझे कहा कि मेरा घर वहीं पर है जहां पर आपने क्वार्टर (किराये का कमरा) लिया हुआ है। उस जमाने में हॉस्टल में 10-15 कमरे ही होते थे और सभी विद्यार्थियों को नहीं मिलते थे।

26.11.2025/1130/एच.के.-एन.जी./2

उन्होंने कहा कि आपको जब भी कॉलेज आना हो या कॉलेज से जाना हो तो मेरे साथ ही आया-जाया करो क्योंकि मैं आपको सम्भालुंगा भी और आपकी हौसला-अफ़जाई भी करूंगा। मैं उसी वक्त से उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद वे आयुर्वेदिक डॉक्टर बने और मैं मेडिकल की पढ़ाई छोड़ कर पॉलिटेक्निक आदि करते हुए दूसरी यात्रा पर चल पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1986 में जब मैं प्रशासनिक सेवा में भर्ती हुआ और मेरी पोस्टिंग होनी थी तब मुझे एस0डी0एम0 लाहौल लगाया गया। डॉ0 बाबु राम जी ने मुझे कहा कि 'छोटे भाई, तू मेरा बहुत पुराना दोस्त। मैं तुझे छोटा भाई कहता हूं और मानता भी हूं। अगर तुझे लाहौल नहीं जाना है तो मैं किसी से बात करता हूं'। मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं क्योंकि नई-नई नौकरी मिली है और अभी तक तो कुछ भी नहीं था इसलिए मैं लाहौल

चला जाऊंगा। नौकरी के दौरान गाहे-ब-गाहे जब कभी शिमला आना होता था तो उनसे मिलना हो ही जाता था।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल ने ठीक कहा कि वे छोटे काम को भी एक्नॉलेज़ करते थे। मैं नौकरी के दौरान विभिन्न पदों पर रहा हूं और यदि उन्हें कोई काम होता था वे मुझे याद किया करते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे किसी भी काम को एक्नॉलेज करने के बाद थैंक्स भी करते थे। इसके अलावा वे किसी भी जटिल इश्यू के लिए हमें परामर्श भी देते थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो वे विशेष तौर पर मेरे चुनाव क्षेत्र में आए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं देखने आया हूं कि मेरा छोटा भाई कैसे चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि जनता के बीच में आपका माहौल अच्छा है और आप चुनाव जीत जाओगे। उन्होंने कहा कि यह जरूर याद रखना कि लोग ही जीताते हैं और लोग ही जीतने से रोकते हैं।

26.11.2025/1130/एच.के.-एन.जी./3

भविष्य में आप विधायक जरूर बनोगे और उसके लिए आपको मेरी शुभकामनाएं। उन्होंने मुझे कहा कि यदि आप उचित समझें तो पूर्व वक्त की भांति मुझसे परामर्श ले सकते हैं और मैं आपको हर सम्भव सहायता प्रदान करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, उनका इस प्रकार का व्यक्तित्व था। वे सभी के साथ सोहार्दपूर्ण व्यवहार रखते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी की निंदा करते हुए नहीं देखा है। कभी उन्हें किसी के बारे में कठिन शब्द या ऊंचा बोलते हुए नहीं देखा है। वे बहुत ही मृदुभार्षी थे।

माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री, श्री राजेश धर्माणी जी ने सही कहा कि वे 25-26 जनवरी, 15 अप्रैल या 15 अगस्त जैसे सरकारी कार्यक्रमों में सदैव अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते थे। वे राजनीतिक सफर में केवल एक बार ही चुने गए थे लेकिन उनकी सक्रियता,

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

26.11.2025/1135/पी0बी0/एच0के0/1

श्री जीत राम कटवाल.... जारी

और समाज के साथ लगाव व भागीदारी लगातार बनी रहती थी। सभी माननीय सदस्यों के साथ मैं भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। इस सदन से उनके परिवार में जो भी संवेदना और शोकोद्‌गार के शब्द जाएं, उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष : सदन के नेता एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी ने शोकोद्‌गार का जो प्रस्ताव इस माननीय सदन में दिवंगत स्वर्गीय डॉ0 बाबू राम गौतम जोकि इस माननीय सदन के पूर्व सदस्य रहे हैं, को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लाया है मैं भी अपने आप को इसमें सम्मिलित करता हूं। स्वर्गीय डॉ0 बाबू राम गौतम जी का जन्म 27 जनवरी, 1953 को स्वर्गीय श्री दित्तू राम जी के घर गांव पंजगाइं, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में हुआ था। डॉ0 बाबू राम गौतम जी वर्ष 1977-80 में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक छात्र संघ के सदस्य रहे। उन्होंने वर्ष 1981-84 में हिमाचल पहाड़ी कला और भाषा संस्कृति अकादमी को समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। वे मेरे साथ ही पहली बार बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 में इस माननीय सदन के सदस्य चुने गए। उन्होंने वर्ष 1988 हिमाचल प्रदेश राज्य इन्डो-नेपाल मैत्री संघ के उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। उनकी विशेष रूची सामाजिक कार्य और बेरोज़गारी तथा ग्रामीण निर्धनता को दूर करने में थी। वे सदा ही निष्ठा, ईमानदारी और जनसेवा के प्रतीक रहे। स्वर्गीय डॉ0 बाबू राम गौतम जी का निधन दिनांक 19 अक्तूबर, 2025 को 72 वर्ष की आयु में हुआ। सभी माननीय सदस्यों ने जो कहा है कि वे एक बार वर्ष 1985 से वर्ष 1990 तक इस माननीय सदन के सदस्य रहे। हम विधान सभा की कई समितियों में भी

साथ रहे। हम एक साथ प्राक्कलन समिति के सदस्य भी रहे हैं। उस समय राज्य से बाहर के अध्ययन प्रवास के दौरान समिति के सदस्यों को एम0एल0ए0 हॉस्टल्ज में ही रुकना पड़ता था। वह एक मिलनसार व्यक्ति थे और उनके स्वभाव में सादगी थी। उनकी मृत्यु से करीब दो माह पहले मेरी उनसे उस समय मुलाकात हुई थी जब मुख्य मंत्री जी ने पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते, पेंशन्ज, फैसिलिटीज़ और प्रिविलेजिस के लिए बिल लाया था। इसके लिए उन्होंने सरकार, सभी माननीय सदस्यों और हमारा भी आभार व्यक्त किया। एक बार माननीय सदन के सदस्य रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पहचान लगातार बनाए रखी क्योंकि वे सभी विधायकों और जनता से मिलते रहते थे। यद्यपि वे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे लेकिन सभी विचारधाराओं को सम्मान देना और उनके प्रति श्रद्धा रखना

26.11.2025/1135/पी0बी0/एच0के0/2

उनका स्वभाव था। I can say that he was a fully democrat person. He had a respect to every religion, every caste and every section of the society, every ideology and even for political ideology. As has been said by the Hon'ble Members in the August House. मैं माननीय सदन की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं और सदन की भावनाओं को स्वर्गीय डॉ0 बाबू राम गौतम जी के परिवार तक पहुंचा दिया जाएगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए अपने-अपने स्थान पर कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हो जाएं।

(**सभा में उपस्थित सभी ने खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुछ क्षण मौन रखा।**)

अब प्रश्न काल आरम्भ...(व्यवधान)

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

26.11.2025/1140/Y.K/A.P/01

अध्यक्ष : आज सुबह विधान सभा सचिवालय को नियम-67 के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव नियमों के अनुरूप समय पर लाया गया है। माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी, श्री सुरेंद्र शौरी जी और श्री जीत राम कटवाल जी द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया है। यह विषय हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव टालने और इस संबंध में चुनाव आयोग से टकराव से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन सभी कार्य स्थगित कर अभिलंब चर्चा करें। We have not rejected the Motion. I would request the Hon'ble Chief Minister if he wants to say anything with regard to this Resolution then he is welcome to do this.

<u>नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव</u>

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय हर सत्र में भारतीय जनता पार्टी नियम-67 के अंर्तगत काम रोको प्रस्ताव लाती है। यह विपक्ष का एक हथियार है और यह उनकी एक रूटीन बन गयी है। पिछले कई विधान सभा सत्रों में आपने देखा होगा कि 20-22 दिनों तक सत्र चलता है। जब बहुत एमरजैंसी सिचुएशन(आपातकाल स्थिति) होती है उस समय इस प्रकार के प्रस्ताव विपक्ष द्वारा सदन में लाए जाते हैं। लेकिन विपक्ष की भावना है, विपक्ष चाहता है। लोकतंत्र में हम बार-बार उनकी भावनाओं का आदर करते हैं, बार-बार उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। मैं आज भी विपक्ष की भावनाओं का आदर करूंगा, आज भी आपकी भावनाओं का सम्मान करुंगा। लेकिन काम रोको प्रस्ताव में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह लोग तथ्यों पर बात करें, फैक्ट्स पर बात करें। अगर फैक्ट्स पर बात नहीं होगी तो वह रिकॉर्ड नहीं की जाए। इस प्रस्ताव को सरकार स्वीकार करती है।

Speaker : The Government is ready for discussion on the Motion under Rule-67. Since this Motion has been accepted on the request of the Government, so

the rest of the Business stand deferred and now the Motion will be discussed. माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी।

26.11.2025/1140/Y.K/A.P/02

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे द्वारा दिये गये नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव को माननीय मुख्य मंत्री जी के कहने पर स्वीकार किया और मुझे इस प्रस्ताव को रखने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाओं के चुनाव होने वाले है। इन दिनों इन चुनावों की गतिविधियां व प्रक्रियाएं शुरू होती है। परंतु हिमाचल प्रदेश की सरकार विशेषकर माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बार-बार मीडिया में दिये गए बयानों और अधिकारियों को दिए गए दिशा-निर्देशों से ऐसा लगता है कि सरकार इन चुनाव को टालना चाहती है। हालांकि चुनाव टालने का कोई कारण नहीं है। मुझे लागता है कि शायद वे अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की संभावित हार को देखकर चिन्तित है। आपने अपने अभी तक के कार्यकाल में जनहित के लिए कुछ किया ही नहीं, जनता के लिए कोई काम व विकास के कार्य नहीं हुए हैं।

श्री ए0टी द्वारा जारी ......

26.11.2026/1145/AT/YK-01

श्री रणधीर शर्मा जारी...

चुनावी वादे तो दूर, चुनावी गारंटियां भी पूरी नहीं हुई। इसलिए संभावित हार को देखते हुए यह सरकार चुनाव टालने का प्रयास कर रही है। दुःख का विषय यह है कि चुनाव टालने के इन प्रयासों में यह सरकार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का भी अपमान कर रही है और चुनाव आयोग जैसी संस्थानिक संस्था से भी टकराव ले रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है।

अध्यक्ष महोदय, आज आपने संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की शपथ दिलाई और हमने वह शपथ भी ली। संविधान के अनुसार 5 साल के बाद पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव होने हैं, परंतु सरकार ऐसा न करके संविधान की मर्यादाओं का भी हनन कर रही है। जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं और जिसकी कॉपी लेकर इनके राष्ट्रीय नेता यात्राएं करते हैं और संविधान रक्षा की बात करते हैं यह सरकार उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। मैं यह आरोप इस सदन के अंदर लगाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप इन संस्थाओं की समय-सारणी की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 31 जनवरी, 2026 को पूरा होगा। शहरी निकायों का कार्यकाल 18 जनवरी, 2026 को पूरा होगा। परंतु कार्यकाल पूरा होने से पहले पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों का गठन करना अनिवार्य है। गठन करने के लिए जो समय अवधि लगनी है वह लगभग 180 दिनों की है और आज 26 नवंबर है। अगर आप इसमें कुछ कटौती भी करेंगे तो भी 150 दिन लगेंगे और समय पर चुनाव पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए सरकार न तो यह कह रही है कि चुनाव करवायेंगे, न ही यह कि कब कराएंगे, और न ही चुनावी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए चुनाव आयोग के प्रयासों का साथ दे रही है। इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। आज प्रदेश की जनता में असमंजस की स्थिति है। बहुत से लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वे तैयारी करके बैठे हैं परंतु असमंजस में हैं। जो सिटिंग प्रधान, सिटिंग जिला परिषद, बी0डी0सी0 सदस्य, अध्यक्ष हैं, उन्हें यह तक पता नहीं कि उनका कार्यकाल कब तक है या है या नहीं है।

26.11.2026/1145/AT/YK-02

यह असमंजस की स्थिति प्रदेश के अंदर सरकार की इस कार्यप्रणाली के कारण पैदा हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह इस सरकार ने चुनाव टालने के लिए अलग-अलग समय में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की अवहेलना की और अधिकारियों को उन दिशा-निर्देशों को मानने से रोका। एक तरह से संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के साथ सरकार और प्रशासन ने टकराव ले लिया है जिसके लिए यह सरकार दोषी है। अगर मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि अगर हम शहरी निकाय चुनाव की बात करें तो इसके लिए चुनाव आयोग ने 24 मई, 2025 को अधिसूचना जारी करके चुनावी प्रक्रिया शुरू की। 2 जून, 2025 को Publication of Draft proposal for delimitation of wards, 9 जून, 2025 से Submission of objections or suggestions by the residents of the Municipal Area, 16 जून, 2025 को Disposal of objections and suggestions by the Deputy Commissioners, उसके बाद 7 दिन filing of appeals against the orders of the Deputy Commissioner, within 5 days from the filing of appeal, 1 जुलाई, 2025 से पहले final delimitation orders of ward डिप्टी कमिश्नर ने करने थे, और 11 जुलाई, 2025 डेट फिक्स हुई कि सभी डिप्टी कमिश्नर जब ये वार्ड हो जाएंगे तब तक उनकी रिज़र्वेशन करेंगे।

एम0डी0 द्वारा जारी.....

26-11-2026-11-2025/1150/AG/MD/1

श्री रणधीर शर्मा जारी-----

उसके बाद दिनांक 15 जुलाई को चुनाव आयोग को विभिन्न वार्डों की आरक्षण सूची की अंतिम सूचना देनी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब 11 जुलाई को सभी नगर

निकायों, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में वार्ड आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए डिप्टी कमिश्नरों की बैठकें तय की गई, उसी दिन शहरी विकास विभाग के सचिव की ओर से एक पत्र जारी किया गया कि रिजर्वेशन रोस्टर की प्रक्रिया रोक दी जाए। जबकि चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से कह चुका था कि दिनांक11 जुलाई को ही आरक्षण रोस्टर को फाइनल किया जाए क्योंकि 11 जुलाई को बैठकें होना निर्धरित हो गई थी और वहां पर पत्र पहुंच जाता है कि आप रिजर्वेशन प्रक्रिया को रोक दीजिए। शहरी विकास विभाग के सचिव उसकी सूचना चुनाव आयोग को देते हैं। यह तो सीधा-सीधा संवैधानिक संकट है। अब प्रश्न यह है कि क्या शहरी विकास विभाग के सचिव चुनाव आयोग को पत्र लिख सकते हैं? क्या उनको निर्देश दे सकते हैं कि रिजर्वेशन प्रक्रिया जोकि दिनांक 24 मई से लिखित आदेश के अनुसार शुरू हुई है, उसको रोक दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। मान्यवर, उसके बाद चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया और कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को नई तारीख देकर आरक्षण रोस्टर फाइनल करने को कहा। लेकिन फिर 22 जुलाई को शहरी विकास सचिव का एक और पत्र आया और प्रक्रिया दोबारा रोक दी गई। यानी लगातार आरक्षण प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया गया। इसके बाद कैबिनेट ने फैसला लिया कि जब तक शहरी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण न दिया जाए, तब तक वार्डों का आरक्षण फाइनल नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले शहरी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग को रिर्जवेशन नहीं है। अब अगर हम वर्ष 2011 के आंकडों को देखें तो उन आंकडों में जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हुई है। इसलिए चुनाव आयोग का नियम है कि आरक्षण ताजा जनगणना के आधार पर आप रिजर्वेशन कीजिए। जब जातिगत आधार पर जनगणना के आंकड़े न होने पर ओ0बी0सी0 आरक्षण कैसे होगा? उसके बाबजूद सरकार ने कहा कि जनगणना होने दीजिए और यही कारण बताकर सरकार ने प्रक्रिया लटका दी। न शहरी निकायों में आरक्षण हुआ, न ओ0बी0सी0 को आरक्षण मिल सका। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये बहानेबाजी क्यों? जबकि पंचायतों में ओ0बी0सी0 आरक्षण

26-11-2026-11-2025/1150/AG/MD/2

पहले से ही उपलब्ध है और वर्ष 2011 में भी जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हुई थी। वह भी पुराने आंकड़े जो कि वर्ष 1990 व 1991 के हैं उसी के आधार पर आरक्षण करते हैं तो फिर शहरी निकायों के लिए ओ0बी0सी0 आरक्षण का बहाना ढूंढकर उन चुनावों को टालने का एक प्रयास इन्होंने किया। इसके अलावा, दिसंबर 2024 में बनी नई नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव एक्ट के अनुसार 6 महीने के भीतर करवाने थे, यानी जून 2025 में वह चुनाव होने थे। लेकिन सरकार ने कैबिनेट में ऑर्डिनेंस लाकर यह अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 2 साल कर दी। बाद में मानसून सत्र में यह संशोधन बिल भी पास कर दिया गया। इस तरह नई निकायों के चुनाव भी 2 साल के लिए टाल दिए गए और पुरानी शहरी निकायों के चुनाव तो पहले ही अनिश्चित समय के लिए रुक चुके थे। अब न किसी को पता है कि ओ0बी0सी0 की जनगणना कब होगी, कौन करेगा, या आरक्षण कब लागू होगा। न चुनाव आयोग के पास जानकारी है, न शहरी विकास विभाग के पास ही ऐसी कोई जानकारी है।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

26.11.2025/1155/केएस/एजी/1

श्री रणधीर शर्मा जारी ---

इस सरकार ने इस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। उसके बाद अगर पंचायती राज संस्थाओं की बात करें तो उसके लिए भी सरकार ने 01 अक्तूबर, 2025 को अधिसूचना जारी की है। 01 अक्तूबर, 2025 को चुनाव आयोग ने कहा कि 06 अक्तूबर को इलैक्टोरल रोल का ड्राफ्ट पब्लिश किया जाए। 8 October को period for lodging claims and objections - 8 से 17 October. Period for deciding claims and objections by the Revising Authority, उसके लिए 10 दिन का समय दिया। 27 अक्तूबर,2025 तक यह काम पूरा होना था। उसके बाद आगे अपील के लिए 03 नवम्बर, 2025 तक का समय था और उसके बाद एपीलेट अथॉरिटीज़ के पास अपील डिसाइड करने के लिए 10 नवम्बर की डेट थी और final publication of Voter List - 13 नवम्बर की डेट थी। अध्यक्ष महोदय, चुनाव आयोग द्वारा 13 नवम्बर को वोटर लिस्ट प्रकाशित करने के लिए सभी

उपायुक्तों को निर्देश दिए गए थे परंतु हुआ क्या कि एक विडियो कॉंफ्रेंस मीटिंग हुई और सरकार की तरफ से सभी उपायुक्तों को कहा गया कि ये वोटर लिस्टें पब्लिश नहीं करनी हैं। चुनाव आयोग के लिखित आदेशों की अवहेलना करने के लिए सरकार के मुखिया उपायुक्तों को डायरैक्शन दे रहे हैं और वह प्रकाशन नहीं हुआ, वोटर लिस्टें प्रकाशित नहीं हुईं। उन्होंने सामान उठाने को कहा, सामान नहीं उठाया। अभी उन्होंने कहा कि 24 नवम्बर, 2025 से आपके बैलेट पेपर और सारी सामग्री जो छपी है उसको उठाओ लेकिन उसको अधिकारी नहीं उठा रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग के साथ इस सरकार ने टकराव लिया है। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो कहते हैं कि हम रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। अब अध्यक्ष महोदय, रीऑर्गेनाइजेशन का पंचायती राज एक्ट में प्रावधान है कि वर्ष 2024 से रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसैस शुरू होना है और वर्ष 2024 से ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध जी यहां बैठे हैं, इन्होंने नीचे सूचना भी भेजी और पंचायतों से रीऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव भी आए। नई पंचायतें गठित करने के प्रस्ताव भी आए और पंचायतों के गांव इधर से उधर करने, वार्ड कम ज्यादा करने, जिला परिषद वार्ड, पंचायत समिति आदि सभी की रीऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव का जो पत्र पंचायती राज विभाग ने भेजा, उसके अनुसार पंचायतों ने काम किया और पंचायती राज मंत्री जी ने उसमें जो कुछ बदलाव

26.11.2025/1155/केएस/एजी/

करना था, जिला परिषद वार्डों की कुछ पंचायतें इधर से उधर करनी थीं, कुछ पंचायतों में गांव इधर से उधर करने थे, वह सब किया और नई पंचायतों को गठित करने से मना कर दिया। परंतु उसके बाद जब यह पुनर्गठन का प्रोसैस पूरा हो गया, नई पंचायतों का गठन करने के लिए आपने मना कर दिया और बाकी पुनर्गठन आपने कर दिया, जब मतदाता सूचियां प्रकाशित होने का समय आया तो फिर आप पुनर्गठन के लिए कैबिनेट में मामला ले कर आ गए। फिर आप उसका पुनर्गठन कर रहे हैं। पुनर्गठन करने के बाद चुनाव आयोग ने आपको रोक दिया। एक तरहसे आचार संहिता का एक एक्ट लगा दिया कि अब आप

रीऑर्गेनाइजेशन को रोक दीजिए क्योंकि हमें मतदाता सूचियां बार-बार अमैंड करनी पड़ रही हैं। समय हो गया है और अगर चुनाव समय पर करने हैं तो अब आप पुनर्गठन के प्रोसैस को बंद करिए। चुनाव आयोग ने बाकायदा नोटिफिकेशन करके एक तरह से आचार संहिता का एक एक्ट लागू किया। हालांकि उस दिन असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि आचार संहिता लग गई, पता नहीं चुनाव ही घोषित न हो जाए परंतु यह क्लीयर हुआ कि जो पंचायतों की सीमाएं हैं, जो संस्थाओं की सीमाएं हैं, वही रहेंगी उसमें कोई बदलाव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद परसों फिर 24 नवम्बर को कैबिनेट की मीटिंग हुई। फिर आपने रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर दी

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.11.2025/1200/av/as/1

श्री रणधीर शर्मा---------- जारी

आप चुनाव आयोग को इतने हल्के में ले रहे हैं और एक संवैधानिक संस्था का इतना अपमान कर रहे हैं। आप उसके द्वारा चुनावी प्रक्रिया को नहीं मानते। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप खड़े होकर बोल सकते हैं और मुझे इस बारे में कोई ऑब्जैक्शन नहीं है। परंतु आप जो कहना चाह रहे हैं उसके लिए समय था। मेरे कहने का मतलब यह है कि रीऑर्गेनाइजेशन के लिए समय था। यह वर्ष 2024 की नोटिफिकेशन है और उसके आधार पर प्रस्ताव भी आए तथा संशोधन भी हुए। आपने नई पंचायतों के गठन को रोक दिया। यह तो आप चुनाव टालने के लिए दोबारा ले आए और चुनाव आयोग द्वारा रोकने के बावजूद आपने फिर से रीऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह रीऑर्गेनाइजेशन कब तक चलेगी और अगर रीऑर्गेनाइजेशन पूरी नहीं होगी तो वोटर लिस्ट्स कब बनेंगी व कब प्रकाशित होंगी? आपका यह डेढ़ सौ दिन

का कार्यकाल कब पूरा होगा? आप इस बारे में जनता को बताएं और क्लीयर करें कि क्या आप चुनाव चाहते हैं? अगर आप चुनाव चाहते हैं तो कब चाहते हैं, आप इस प्रकार के बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, हैरानी होती है। रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रही है यह हम भी जानते हैं। आपके लोग आते हैं और कहते हैं कि जो पहले रोस्टर बन रहा था उसके अनुसार मेरी पंचायत रिज़र्व हो रही है। फलां गांव काट देंगे तो मेरी पंचायत जनरल हो जाएगी। इस प्रकार से किसी व्यक्ति के कहने पर गांव कट रहा है। मेरा जिला परिषद् वार्ड ओपन हो रहा है इसके लिए फलां पंचायत को बाहर कर दीजिए तो उसको वैसे किया जा रहा है। इसको क्या रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसैस कहते हैं? क्या रीऑर्गेनाइजेशन या डीलिमिटेशन के लिए कोई आयोग नहीं बनाना चाहिए जोकि निष्पक्षता से काम करे? आज हालात यह है कि एक पंचायत 600 वोट्स पर है और साथ की पंचायत 2500 की वोट्स पर है। अब 2500 पंचायत वाला प्रधान भी नहीं चाह रहा है कि उसकी पंचायत टूटे, इसके अलावा 600 वाला तो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर आप रीऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ तो नियम/कानून बनाइए। इसके लिए कुछ तो नियम सैट होने चाहिए कि एक पंचायत के

26.11.2025/1200/av/as/2

लिए कम-से-कम इतनी जनसंख्या होगी और उसके आधार पर पंचायत की रीऑर्गेनाइजेशन होगी। मैं यह कहते हुए संकोच नहीं करूंगा कि अगर आप सत्ताधारी लोगों के कहने पर रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो यह संविधान तथा लोकतंत्र के खिलाफ है तथा मेरा यह आरोप है कि आप ऐसा करके संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

मुख्य मंत्री जी एक और बयान देते हैं कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा है। इसलिए जब तक यह डिजास्टर एक्ट है तब तक चुनाव नहीं हो सकते। अब अगर आप डिजास्टर एक्ट दो वर्ष तक नहीं हटाएंगे तो क्या दो वर्षों तक चुनाव नहीं होंगे? आपके स्कूल तथा

आंगनबाड़ी केन्द्र खुले हुए हैं। स्कूल में प्री नर्सरी क्लास में बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और स्कूल ही मतदान केंद्र बनेंगे। जब स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आ सकते हैं तो क्या उनके अभिभावक वोट डालने के लिए नहीं आ सकते? अगर बहाना भी ढूंढना है तो कोई ढंग का ढूंढिए परंतु आप तो हास्य के पात्र बन रहे हैं। हैरानी हो रही है कि आपदा के नाम पर चुनाव रोके जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी असफलता मान रहे हैं कि बरसात के तीन महीने के बाद भी आपकी सड़कें दुरुस्त नहीं हैं। परंतु लोग तब भी वोट डालते थे जब गांवों में सड़कें नहीं थीं। लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर पैदल चलकर भी वोट डालते थे और बर्फ में आकर भी वोट डालते थे। आप इस प्रकार के बहाने बनाकर लोगों के संवैधानिक अधिकार को छीनने का प्रयास मत कीजिए।

यह एक मजाक का विषय है कि आपदा के नाम पर चुनाव टाले जा रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपदा सबसे ज्यादा किस जिले में हुई? ...(व्यवधान) अगर सबसे ज्यादा मण्डी जिला में हुई तो आप अपनी सरकार का तीन वर्ष का जश्न कहां मना रहे हैं? ...(व्यवधान) आप वह भी मण्डी में मना रहे हैं जिसका मतलब यह हुआ कि आपदा खत्म हो चुकी है। वैसे तो मैं अभी आपदा के विषय पर बोलना नहीं चाहता था मगर रहा नहीं जा रहा। आपकी सरकार आपदा को कितनी गम्भीरता से ले रही है? मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक होती है कि जश्न का कार्यक्रम मण्डी के पडल मैदान में होगा।

टी सी द्वारा जारी

26.11.2025/1205/टी0सी0वी0/ए0एस0/1
माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ..... जारी

और उसके लिए सरकारी अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई तथा सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाते समय जो प्रोसीडिंग निकली है वह बहुत स्पष्ट है कि कार्यक्रम सरकारी खर्चे पर होगा और लोग सरकारी बसों में आएंगे तथा सरकार के अधिकारी/कर्मचारी लोगों को लेकर आएंगे, यह इसमें सब कुछ स्पष्ट है, इसमें कोई बात छिपी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी आपत्ति यह है कि आज प्रदेश में आर्थिक संकट है और हमारी विधायक निधि रोक दी गई है, ऐच्छिक निधि नहीं आ रही, ट्रेजरी बंद है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और आप जश्न पर सरकार के खजाने से अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त यदि इस प्रोसीडिंग का पांचवां प्वाइंट पढ़ेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसके पांचवें प्वाइंट में लिखा है कि 'All the beneficiaries who have availed the benefits of the Government schemes will be invited in the event. This will be decided by the High Power Committee in consultation with the concerned Deputy Commissioners. Besides this, all the social activist, padam shree award winners etc. will also be invited in the event. It would be responsibility of the concerned Departments to facilitate their transportation to the event. The number of beneficiaries to be honoured may be estimated in advance and all the Deputy Commissioners to ensure to keep the number within manageable limits. The Transportation facilities will be provided by arranging HRTC buses.' जबकि हमारे रूट बंद किए जा रहे हैं कि एच0आर0टी0सी0 घाटे में चल रहा है। In each bus, nodal officer will be deployed. Food packets and drinking water will be provided to the beneficiaries in the buses itself or at the venue before start of the function. अगली पंक्ति नोटिस कीजिए जिसमें लिखा है 'Expenses on food packets/water bottles will be borne by the Revenue Department from Disaster Management.' आपदा की वास्तविक दशा यह है। केंद्र से जो आपदा राहत राशि एस0डी0एफ0 एन0डी0एफ0 पी0डी0एम0ए0 के रूप में आई है, वह न तो प्रभावितों को

26.11.2025/1205/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

ठीक से मिल रही है और न ही विकास कार्यों पर खर्च हो रही है बल्कि जश्न मनाने के लिए आने वाले लोगों को खाना-पानी उपलब्ध करवाने में खर्च हो रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारा सरकार पर आरोप है कि सरकार आपदा के नाम पर संवैधानिक व्यवस्थाओं की

अनदेखी करते हुए और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाते हुए चुनाव रोक रही है जो कि आपदाग्रस्त लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे हालात में चुनाव रोकने का कोई कारण नहीं बनता। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार हमारी नहीं तो अपने नेताओं की इज्जत तो करे। आपके राष्ट्रीय नेता कई दिन, कई महीने संविधान की किताब हाथ में लेकर चलते रहे। उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा, यह मैं नहीं जानता लेकिन संविधान की रक्षा की बातें करते रहे, यात्राएं और आंदोलन करते रहे। उसका फायदा मिला या नहीं यह बिहार में स्पष्ट हो गया, वहां जनता ने जो परिणाम दिया, वह सबने देखा। जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, यह बिहार की जनता ने दिखा दिया लेकिन आप तो उन्हें गंभीरता से लें और जिस संविधान की बात करते हैं उसकी रक्षा करें तथा उसी संविधान के अनुसार चुनाव करवाएं। आप चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने दें और चुनावी संवैधानिक संस्था को काम करने दें।

अध्यक्ष महोदय, हालात यह है कि चुनाव आयोग को अपनी शिकायत राज्यपाल महोदय के पास लेकर जाना पड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है तथा उस पर भी मजाक उड़ाया जा रहा है। राज्यपाल महोदय के पास औपचारिकताएं निभाने के लिए कई लोग जाते हैं लेकिन एक चुनाव आयुक्त तब गए जब संस्था का अपमान हो चुका था, आप तब तो जाग जाओ लेकिन आपने उसके बाद भी कैबिनेट में पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय ले लिया।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी

26-11-2025/1210/NS-DC/1

श्री रणधीर शर्मा-----जारी

इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये जो पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों को सरकार टालने का प्रयास कर रही है इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है।

हम चाहते हैं कि ये चुनाव समय पर हों। दूसरा, संवैधानिक संस्थाओं का सरकार सम्मान करे। इस तरह अपमान करना, टकराव करना न तो प्रदेश-हित में है और न ही लोकतंत्र के हित में है। यह तानाशाही कल्चर की ओर बढ़ावा है और इससे सरकार बचे। मैं यही निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस चर्चा के बाद उत्तर आएगा। माननीय सदस्य ने 'काम रोको प्रस्ताव' लाया है। आज संविधान दिवस भी है। निश्चित तौर पर संविधान के सबसे बड़े संरक्षक कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। दूसरा, जब ये 73वां व 74वां संविधान संशोधन विधेयक पार्लियामैंट में पंचायती राज संस्थाओं से पेश किया गया था तो यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया गया था। कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज संस्थाओं में 73वें व 74वें संशोधन द्वारा चुनाव की प्रक्रिया शुरू की थी। आज मैं यह कहना चाह रहा हूं कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हम जश्न मना रहे हैं। हम जश्न नहीं मना रहे हैं बल्कि सरकार का विज़न दिखा रहे हैं। हम जश्न मनाने में विश्वास नहीं रखते। बाकी जो आंकड़े या डेटा है या जो भी चीज़ है तो हर चीज़ की कानूनी प्रक्रिया है। संविधान और कानून के संरक्षक अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है। हम अब जो भी कार्य कर रहे हैं वह कानून के दायरे के अंदर व कानून की परिधि के अंदर कर रहे हैं और उसके दायरे के अंदर हमारा कार्य करने का दायित्व व कर्तव्य बनता है। कानून की परिभाषा को परिभाषित करने का अगर किसी के पास अधिकार है तो वह माननीय न्यायालय है। मैंने इसलिए नियम-67 अप्लाई किया क्योंकि कोर्ट में भी यह मैटर चल रहा है। This matter is sub-judice. जबकि मैं कह सकता था कि मैटर सब-ज्यूडिस है और इसमें कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने आज संविधान की शपथ दिलाई तो मैंने कहा कि आज संविधान दिवस के ऊपर इस पर चर्चा की जाए। हमने

26-11-2025/1210/NS-DC/2

राजनैतिक लाभ के लिए चर्चा नहीं लाई है। मैंने कहा है कि जो भी फैक्ट्स हैं तथ्यों पर आधारित हैं। सरकार पारदर्शिता, नैतिकता और ईमानदारी में विश्वास करती है। इसलिए हमारी चीज़ें पारदर्शिता के तहत हैं। यह भी ठीक है कि राजनैतिक चर्चाओं में थोड़ा स्वादी भाषण होता है। आपने थोड़े फैक्ट्स भी रखे हैं और जब यह चर्चा शुरू होगी तो आने वाले समय में हम आपको उसका उत्तर देंगे । मैं कहना चाहता हूं कि यह जश्न नहीं है बल्कि सरकार का व्यवस्था परिवर्तन का विज़न है और आपको (सत्ता पक्ष) को भी इन्विटेशन है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब नियम-67 के अंतर्गत जो विषय माननीय रणधीर शर्मा जी ने यहां प्रस्तुत किया है और उनके सहयोगियों की मेरे पास लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में पार्टियों ने जो प्रायोरिटी डिसाइड की है तो मैं उसी के मुताबिक ही डिस्कशन में उन पार्टिसिपेंट्स को अलौ करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 7 माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेंगे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक 5 नाम आए हैं तो कुल मिलाकर 12 नाम मेरे पास आए हैं। अगर प्रत्येक सदस्य 10 मिनट बोलेगा तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय लगेगा। इस प्रस्ताव के मूवर श्री रणधीर शर्मा जी हैं और इन्होंने लगभग 25 मिनट का समय लिया है। इस चर्चा का जवाब मुख्य मंत्री जी देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चर्चा में लगभग साढ़े तीन घंटे का समय लगेगा। आज का जो बिजनैस है उसमें नियम-62 और नियम-130 की डिस्कशन डैफर होगी। आगे सूची में लेजिस्लेटिव बिजनैस 2 मिनट का लगा है तो हम उसको ले लेंगे और उसके बाद ही चर्चा शुरू करेंगे।

आगे ....आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

26.11.2025/1215/RKS/DC-1

अध्यक्ष... जारी

...(व्यवधान) ठाकुर साहब आप नियम-72 पढ़ लें क्योंकि मैं उस रूल को पढ़ना नहीं चाह रहा हूं। ...(व्यवधान) ठाकुर साहब आप उस नियम को पढ़ें।...(व्यवधान) यह नियम-72 में है। ...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आज संविधान दिवस है इसलिए हम चाह रहे हैं कि सारी चीजें नियम के मुताबिक होनी चाहिए।

अध्यक्ष : वैसे तो नियम-67 में यह है कि even if the Motion is allowed by the Speaker, the discretion is with the Speaker. Since it is allowed under this Rule because the Government is ready to discuss the Motion and reply to the Motion. The Rule 72 says 'Time for taking up motion.—If leave to make such a motion is granted, the motion "that the House do now adjourn" shall be taken up an hour before the time fixed for usual termination of the business for the day or at an earlier hour if the Speaker, after considering the state of business in the House, so directs'.सारा बिजनैस डिस्कस होने के बाद जब लास्ट में एक घंटा बचेगा तो यह विषय डिस्कशन में आएगा । Yet I had allowed it तो हम डिस्कस कर रहे हैं लेकिन इससे पहले लेजिस्लेटिव बिजनैस, साप्ताहिक कार्यवाही के ऊपर मुख्य मंत्री जी अपनी स्टेटमेंट देंगे। विधान सभा द्वारा पारित जिन विधेयकों में माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है उन्हें सचिव, विधान सभा द्वारा इस सदन के पटल पर रखा जाना है। ये एक-दो विषय है जिन्हें हम दो मिनट में खत्म कर देंगे और उसके बाद we will start the discussion. फिर आप दो घंटे, तीन घंटे या सारा दिन इस पर डिस्कस कर सकते हैं। सदन की कार्यवाही सायं पांच बजे तक चलेगी और जो बिजनैस बचेगा वह कल के लिए डैफर किया जाएगा। This is what I want to request all the Hon'ble Members. यह बिजनैस आपने ही दिया है और यह आगे डैफर होगा। इस सत्र की आठ बैठकें निर्धारित की गई हैं और यह सदन पांच बजे तक ही चलेगा। अब मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि आप माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएं।

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जोकि इस प्रकार है:-

बुधवार, 26 नवम्बर, 2025 1. शोकोद्‌गार
2. शासकीय/विधायी कार्य ।

26.11.2025/1215/RKS/DC-2

वीरवार, 27 नवम्बर, 2025 शासकीय/विधायी कार्य ।
शुक्रवार, 28 नवम्बर, 2025 1. शासकीय/विधायी कार्य ।
2. गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस।

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब सचिव, विधान सभा सदन द्वारा पारित उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे जिन पर भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सचिव, विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उन विधेयकों की प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिन पर भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

1. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 37);

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 38);
3. मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 39) ;
4. हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 40) ;
5. हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 41) ;
6. हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 42) ;

26.11.2025/1215/RKS/DC-3

7. हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान (निरसन) विधेयक, 2023 (2025 का अधिनियम संख्यांक 43) ; और

8. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 44)।

अध्यादेश

अध्यक्ष : अब माननीय शिक्षा मंत्री on behalf of the Hon'ble PWD Minister भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 28.10.2025 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश संख्यांक 4) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखेंगे।

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 28.10.2025 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश संख्यांक 4) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखता हूं।

(दिन के लिए निर्धारित प्रश्न कार्यवाही का भाग बने।)

26.11.2025/1215/RKS/DC-4

नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा

अध्यक्ष : अब मैं नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ कर रहा हूं। इस चर्चा के मूवर श्री रणधीर शर्मा जी हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस चर्चा में 5 माननीय सदस्य भाग लेंगे। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को इस चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति देता हूं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इस शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज हम सबको यहां संविधान दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई गई लेकिन शपथ लेने के बाद हम अपनी ही आंखों के सामने संविधान की धज्जियां उड़ते हुए देख रहे हैं।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

26.11.2025/1220/बी.एस./एच.के-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

मैं समझता हूं कि प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष : मैंने नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा को स्वीकार किया है और अब इस पर चर्चा हो रही है, मैंने इसके लिए अनुमति दे दी है। अब आप धज्जियां उड़ाने की बात क्यों कर रहे हैं?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, चर्चा को स्वीकार किया है और इसके उपरांत आपके पास बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। सरकार का तीन साल का कार्यकाल ऐसे बीत रहा है जैसे की मुख्य मंत्री जी सरकार नहीं चला रहे हैं बल्कि एन0एस0यू0आई0 चला रहे हैं। ये समरहिल से चलते-चलते माल रोड तक फैसले लेते हैं और माल रोड से वापस समरहिल तक पहुंचते-पहुंचते फैसले बदल देते हैं। यह सारी ऐसी स्थिति बन गई है। हम सब लोगों के सामने आखिर हो क्या रहा है? व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में व्यवस्थाओं का पतन हो रहा है। यह प्रदेश जब से अस्तित्व में आया है तब से ऐसा कभी नहीं देखा है।

आज इस सारे विषय को ले करके नियम-67 के अंतर्गत चर्चा लाने की बात आई और हम भी सोच रहे थे कि सत्र का पहला दिन है और सत्र के पहले दिन हम अपनी ओर से जो सहयोग करके आज का जो बिजनेस है उसे पूरा करना चाहिए। लेकिन हमारा 3 साल के कार्यकाल में अनुभव यही रहा है कि सरकार ने कभी कुछ सीखा ही नहीं है। हमेशा अगर आपको कोई चीज ठीक करने की गुंजाइश होती है तो उसमें विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप कांग्रेस पार्टी में तो किसी की सुनते ही नहीं है। सरकार में मंत्रियों की भी आप नहीं सुनते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए कम-से-कम अपोजिशन की तो

सुन लिया करें, परंतु हमें उम्मीद नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि सुनते हैं तो मानते नहीं हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता जो सुनता है उसके बाद जो ठीक लगता है उसको मानता भी है, लेकिन मुख्य मंत्री जी ऐसे हैं पिछले 3 साल से किसी की नहीं सुनते हैं, अगर सुनते हैं तो मानते नहीं हैं। यह विचित्र स्थिति हमारे सामने प्रदेश में आज के इस दौर में पैदा हो गई है। आप कह रहे हैं कि नियम - 67 26.11.2025/1220/बी.एस./एच.के-2

की आवश्यकता नहीं थी। यह तो तब लाया जाता है जब सवैंधानिक संकट पैदा हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा सवैंधानिक संकट और पैदा क्या होगा?

जब आप संविधान को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। संविधान की कॉपी लेकर के हाथ में दिखा करके कि संविधान के हम ही निर्माता है, संविधान को केवल हम ही मानते हैं, हम ही स्वीकार करते हैं, हम ही चलाते हैं। यह कहने से या मानने से नहीं हो पाएगा। आपके व्यावहारिक रूप से चीजों को स्वीकार करना होगा कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? आपने 3 साल के कार्यकाल में साबित किया है कि संविधान सिर्फ एक डॉक्यूमेंट का हिस्सा है और न इसको मानने की जरूरत है और न इसको स्वीकार करने की आवश्यकता है तथा न ही इस पर अमल करने की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से आपके लिए ऊपर से आया होगा क्योंकि आपके नेता ही राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की बातें करते हैं जिसका परिणाम भी हम देख रहे हैं।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा द्वारा जारी.....

26.11.2025/1225/DT-HK-1

श्री जय राम ठाकुर जारी

अब बात आ रही है की हिमाचल प्रदेश में जो हमारा पंचायती राज का टेन्योर है और जो लोकल सैल्फ गवर्नमेंट का पांच साल का टेन्योर होता है उसे संविधान के मुताबिक, आप 73वें संविधान का जिक्र कर रहे हैं और शायद उस वक्त स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने इसे लाया था कि 5 साल के अंदर चुनाव लाजमी है। आप चुनाव को आगे-पीछे नहीं कर

सकते। बहुत सारे राज्यों में ऐसी व्यवस्था थी कि लोकल बॉडीज के चुनाव 10 साल या 15 साल तक होने नहीं देते थे। इसलिए उन्होंने संविधान में संशोधन करके इस व्यवस्था को सुनिश्चित कर दिया कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने होंगे, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट के चुनाव आपको करवाने होंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक आगे-पीछे करने का अंतर रख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपने ही नेता द्वारा जो भारत के संविधान में 73वीं अमेंडमेंट की गई है, ये उसका ही सम्मान नहीं कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है की पीढ़ी में परिवर्तन होने के कारण अगर इन्होंने ऐसा किया होगा तो हमें इसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजों की टेक्निकली स्टडी करने के बाद जो हमारे इस रेजोल्यूशन के मूवर श्री रणधीर शर्मा जी हैं इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। प्रश्न पैदा होता है कि लोकल बोडिज के चुनाव क्यों टाले जाएं? इसका उत्तर सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। चुनाव इसलिए टाले जा रहे हैं कि चुनाव होंगे और वोट पड़ेंगे। जब गिनती होगी तो परिणाम सरकार के अनुकुल नहीं होंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तीन साल के कार्यकाल में जो व्यवस्थाओं को तहस-नहस किया गया है, विकास कार्यो को जिस तरह से पूर्ण विराम लगा दिया गया है उसके लिए सभी लोग सड़कों पर हैं। कोई सैलरी के लिए धरना दे रहा है, कोई पेंशन के लिए, कोई विकास के कार्य को लेकर के धरना दे रहा है और जो ठेकेदारों ने काम किए हैं, उसकी पेमेंट के लिए धरना दे रहे हैं। अगर ऐसे हालत में हम चुनाव में जाएं तो परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होगा, सरकार को ऐसा लग रहा है। इसलिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है इस पर विचार चल रहा है। रास्ता यह निकाला जा सकता है कि चुनावी ही न होने दिए जाएं। अध्यक्ष महोदय यह स्थिति वही स्थित है जब 1975 में इमरजेंसी लागू करने की बात आई थी। उसमें भी एक ही बात सामने आई थी की सत्ता निकल रही है। चुनाव होंगे तो परिणाम हमारे हिसाब से नहीं

26.11.2025/1225/DT-HK-2

आएंगे इसलिए चुनाव को टाला कैसे जाए। उस समय पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। लाखों लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। आज इस स्थिति में चुनाव न होने का क्या रास्ता निकाला जाए उसके बारे में सोच रहे हैं। आपने रास्ता निकाला कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है और आपदा के कारण यहां बहुत सारा नुकसान हुआ है। इसमें पूरा फोकस करने के लिए आप आपदा प्रभावित इलाके में रेस्टोरेशन का काम करना चाह रहे हैं इसलिए आपने हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू करके रखा हुआ है। डिजास्टर एक्ट के नाम पर एक रास्ता निकाला जा सकता है कि चुनाव टाल दिए जाएं। उसके लिए आपने यह शुरुआत की है और मैं इसके लिए बहुत हैरान हूं। अध्यक्ष महोदय मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी तो पूरे देश व प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में कोविड चला हुआ था। आज तक कोविड संकट से बड़ा कोई संकट दुनिया के सामने नहीं आया।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

26.11.2025/1230/वाई.के.-एन.जी./1

श्री जय राम ठाकुर........जारी

कोविड के संकट से बड़ा संकट पूरी दुनिया के सामने पहले कभी नहीं आया था। दिसम्बर-2020 में जब पंचायती राज के चुनावों का समय आया तो उस वक्त के हालातों में हमारी सरकार के सामने भी प्रश्न था कि पंचायती राज के चुनाव करवाए जाएं या नहीं। उस समय हमने अधिकारियों के साथ बात की कि ये चुनाव नहीं टाले जाने चाहिएं और ये चुनाव हर हालात में समय पर होने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, कोविड जैसा संकट होने के बावजूद भी हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव दिसम्बर-2020 व जनवरी-2021 में सम्पन्न करवाए हैं। आज की तारीख में उससे बड़ा संकट नहीं है। मुख्य मंत्री जी, आप डिजास्टर के नाम पर चुनावों को स्थगित कर रहे

हैं।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के फैसलों को लेकर बहुत हैरान हूं। स्थानीय अधिकारियों पर दबाव डाल कर एक माहौल खड़ा किया गया और विभिन्न जिलाधीषों पर सरकार की ओर से दबाव डाला गया है कि आप लोग चिट्ठी लिख कर चुनाव आयोग को कहिए कि हम लोग ऐसे हालातों में चुनाव नहीं करवा पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह सही है कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर काफी नुकसान हुआ है लेकिन हमीरपुर जिला के निवासी तो सौभाग्यशाली हैं क्योंकि अन्य जिलों की तुलना में हमीरपुर जिला में न के बराबर नुकसान हुआ है। वहां पर थोड़ा-बहुत सड़कों का नुकसान हुआ है और कुछ स्थानों पर कुछेक घरों को नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उपायुक्त, हमीरपुर का पत्र है और उसमें लिखा है कि 'इस वर्ष भारी वर्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिला में निजी एवं सरकारी सम्पतियों को भारी क्षति पहुंची है, इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें अवरूद्ध होने एवं गांवों को जोडने वाले पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित हुआ है। अनेक व्यक्तियों के निजी मकान, भूमि एवं अन्य सम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं।

26.11.2025/1230/वाई.के.-एन.जी./2

प्रभावित जनता को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए मनरेगा आदि योजनाओं के अन्तर्गत अनेक राहत कार्य प्रारंभ किए गए हैं। अभी तक कई ग्रामीण क्षेत्रों की सडकें ठीक न होने के कारण यातायात सामान्य रूप से बहाल नहीं हो पाया है। आपदा राहत कार्यों में जिला प्रशासन तथा विभाग के कर्मचारी पूर्ण रूप से व्यस्त हैं। इसके दृष्टिगत वर्तमान समय में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन को करवाया जाना व्यवहारिक रूप से संभव

नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act) के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें"।

मुख्य मंत्री जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सड़कें बंद हैं और दूसरी तरफ आपके लोक निर्माण मंत्री जी कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में केवल 12 सड़कें बंद हैं जोकि अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई हैं। इस सरकार का यह कैसा तालमेल है? मुख्य मंत्री जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सड़कें बंद हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में सभी सेब उत्पादकों की फसल को मार्किट तक पहुंचाया है। हम आपकी किस बात पर भरोसा करें? मुख्य मंत्री जी, न आपकी बात पर भरोसा किया जा सकता है और न ही आपके मंत्री जी की बात पर भरोसा किया जा सकता है। अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि आपकी पूरी सरकार पर ही भरोसा समाप्त हो गया है। हमारा भरोसा तो पहले ही समाप्त हो गया था लेकिन अब तो प्रदेश की जनता का भरोसा भी समाप्त हो गया है। मुख्य मंत्री जी, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर से तो आपकी पार्टी का भरोसा भी समाप्त हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी को कुछ समझा नहीं सकते तो आप उसे कन्फ्यूज कर दो। If you cannot convince somebody, confuse him. उसको कनफ्यूज कर दो। यही मंशा सरकार की है। He is not able to make understand कि लोगों को हम जो बात कह रहे हैं उसे समझाना मुश्किल है इसलिए खज्जल-खाना कर दो यानी के जनता को

26.11.2025/1230/वाई.के.-एन.जी./3

कनफ्यूज कर दो। माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार ने चुनावी प्रक्रिया के बीच में ओ0बी0सी0 का जिक्र कर दिया कि ओ0बी0सी0 वाले रोस्टर मांग रहे हैं। इसके लिए हम भी मना नहीं कर रहे हैं और इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके कारण चुनावों को टालने का एक और तरीका निकाला जा रहा है। मुख्य मंत्री जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि डिज़ास्टर एक्ट के अंतर्गत चुनावों को टाल रहे हैं और एक तरफ चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी की जाती है कि हिमाचल प्रदेश में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को फ्रीज किया जा रहा है।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

26.11.2025/1235/पी0बी0/वाई0के0/1

श्री जय राम ठाकुर...जारी

मेरे पास वह अधिसूचना उपलब्ध है जिसके अनुसार डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाए क्योंकि पंचायतें जिस हालात में है उसी हालात में रहेंगी। परंतु आप उसे भी स्वीकर नहीं कर रहे हैं। आप चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था की भी धजियां उड़ा रहे हैं। आप कैबिनेट बैठक में कहते हैं कि अब हिमाचल प्रदेश सरकार डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू करेगी। परंतु आपकी सरकार वर्ष 2024 के बाद क्या कर रही थी? आमतौर पर पंचायती राज संस्थाओं की डिलिमिटेशन प्रोसैस लगभग एक साल पहले शुरू हो जाती है। नई पंचायतों का गठन करना, गठन के बाद उनकी बाउंडरीज तय करना और उसके बाद उन्हें नोटिफाई करना, यह प्रोसैस तो बहुत लम्बा है। अगर आप पंचायतों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में डिलिमिटेशन को फिर से शुरू करने की बात कह रहे हैं तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से आप पंचायती राज चुनाव को एक वर्ष तक टालने का अंदेशा रख रहे हैं। हमारा पंचायती राज एक्ट इसकी अनुमति नहीं देता है लेकिन आप फिर भी उसके विपरीत चल रहे हैं और इस तरह का फैसला कर रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि आपका प्रदेश इलैक्शन गोइंग है और

डिप्टी कमीश्नर को चिट्ठी लिखकर आदेश किए गए हैं कि आयोग ने जो मटीरियल तैयार करके रखा है आप उसे ले जाइए। डिप्टी कमीश्नर को चुनाव आयोग से आदेश आने के बावजूद भी वे मटीरियल नहीं ले जा रहे हैं। आखिरकार बाद में मटीरियल ले जाने की दिशा में कुछ प्रगति हुई परंतु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं? आप यह सब क्यों करना चाहते हैं? यह सब आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको अव्यवस्था से इतना लगाव हो गया है। सत्ता में आने के बाद आपने प्रदेश में कुछ नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतें बना दीं। इसके लिए पहले आपने ऑर्डिनेंस लाया, उसके बाद उसे विधान सभा में एनएक्टमैंट के रूप में एक्ट बना कर लाया लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसमें भी यह प्रोविज़न है कि छः माह के भीतर चुनाव करवाना होगा। लेकिन आपने छः माह की भीतर चुनाव नहीं करवाए। न वह नगर निगम बन पाई और न ही वह अपनी पुरानी अवस्था में रही। आपने पंचायातों को मिलाकर नगर निगम का हिस्सा बना दिया। पंचायतों के प्रधानों को कहा कि अब आपकी पंचायत नगर निगम का हिस्सा बन गई है। अब वह पंचायत का प्रधान कहां बैठेगा? उस पंचायत के प्रधान को जो पांच वर्ष के लिए पंचायत प्रतिनिधि के नाते पावर्ज दी गई थी उन्हें आपने समाप्त कर दिया। नगर

26.11.2025/1235/पी0बी0/वाई0के0/2

परिषद में जो काउंसलर चुन करके आए हैं आपने उनकी भी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार पावर्ज खत्म कर दी है। हम इसे ओवर-ऑल कह सकते हैं कि ऐसी अव्यवस्था या ऐसा खज़ल-खाना हमने आज से पहले कभी भी किसी सरकार में नहीं देखा था। लेकिन सुख की सरकार और व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में यह सब देखने को मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से यह जरूर कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति का काम करने का नज़रिया अलग होता है। नियम सब के लिए हैं, ये जंगल राज की तरह नहीं चल सकते। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और आप इसकी तुलना दूसरे राज्यों के साथ नहीं कर सकते। यहां के लोगों की सभी चीज़ों के प्रति संवेदनशीलता है और आप इसे अच्छी तरह समझते होंगे। हमारा प्रदेश छोटा है लेकिन यहां की जनता चीज़ों को बारीकी से समझती है। वे आपकी मंशा को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि आप चुनाव इसलिए स्थगित करना

चाह रहे है क्योंकि आपको मालूम हो गया है कि जब पंचायत चुनाव का परिणाम आएगा तो उसमें आपकी पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं होगी इसलिए चुनाव स्थगित कर दो।

अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की यही खासियत है कि चाहे परिणाम जो भी हो आपको उन्हें स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। परिणाम जो भी हो आपको उन्हें स्वीकार करने का मादा और हिम्मत होनी चाहिए। आप कब तक चीज़ों को टालते रहेंगे, आप कब तक इस अव्यवस्था के दौर में प्रदेश को छोड़ते जाएंगे। आखिरकार यह दौर समाप्त होगा। आज आप जिस पद पर हैं वह भी आपको एक दिन छोड़ना होगा। यह पद किसी के लिए भी स्थायी नहीं है। इसके लिए आप पहले से ही मन बनाकर रखिए नहीं तो बाद में आपके दिल को बहुत ज़ोर का धक्का लगेगा।...(व्यवधान)

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

26.11.2025/1240/A.G/A.P/01

नियम-67 के अंतर्गत चर्चा जारी .....

श्री जय राम जारी.....

आप सारी बातों को दिल पर न लिया करो। अध्यक्ष महोदय, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हमारे नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनावों को जिस तरह बेवजह स्थगित करने का फैसला लिया गया है सरकार उस फैसले पर तुरंत विचार करे। विचार करने के बाद फैसला लीजिए कि चुनाव तुरंत करवाए जाएं। चुनाव को टालना नियमों के भी विपरीत है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और वर्तमान सरकार की सेहत के लिए भी खराब है। चुनाव टाल कर हिमाचल प्रदेश में चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन किया गया है, इसलिए यह उनके भी खिलाफ है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ज्यादा समय तक इस विषय को खींचने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत प्रभाव से इस बात को सुनिश्चित करो कि पंचायतों के चुनाव समय सीमा के भीतर ही करवाए जाए ताकि जिन लोगों की लोकतंत्र में आस्था है उस आस्था में सरकार खरा उतर सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर बहुत ज्यादा मत सोचिए, फैसला लीजिए। मेरा मानना है कि टालने से चीजें सुधरने के बजाए ज्यादा बिगड़ने लगती है। जितना आप टालते जाओगे, उतनी ही ज्यादा चीजें खराब होती जाएंगी। अगर चीजें ज्यादा खराब होती गई तो वह आपके लिए भी उचित नहीं होगा। मुख्य मंत्री महोदय आपने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल में जिस तरह की छवी बनाई है उसमें अव्यवस्थाओं का आलम है। चुनावों को आगे-से-आगे टालते जाओ और संस्थान बंद करते जाओ आदि, यह कुछ अव्यवस्थाएं आप के कार्यकाल में हो रही है। पहले हम सुनते थें कि सिर्फ कर्मचारियों की ही ट्रांसफर होती है लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कर्मचारियों के बदले संस्थानों की ट्रांसफर का कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया गया है। जब पंचायती राज संस्थानों के चुनाव करवाने की बात आई तो आप चुनावों को भी ट्रांसफर करने की बात कर रहे है। मुझे लगता है कि यह कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है और मैं यही कहूंगा कि इस बात पर आप पुनर्विचार करें। मैं समझता हूं कि आज की इस चर्चा के बाद मुख्य मंत्री जी को इस पर तुरंत फैसला लेना चाहिए। चर्चा के बाद जब मुख्य

26.11.2025/1240/A.G/A.P/02

मंत्री उत्तर दें कि चुनाव शीघ्र करवा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने सरकार को जो सुझाव दिया है कि पंचायतों और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव का समय आ गया है और समय रहते आप चुनाव करवाइए, इसे पर सरकार अमल करे।

अध्यक्ष महोदय अपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम -67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर मैं चर्चा के उपरांत बहुत अच्छी तरह रिप्लाई दूंगा। माननीय विपक्ष के नेता तनाव में है। हमारी पार्टी पर चर्चा करते हैं और (***)वापिस आए है तो इस प्रकार की चर्चा तो स्वभाविक ही होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता जब तनाव में रहते हैं तो कई चीजों को तोड़-मोड़ कर पेश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय पांच गुटों में बंटी हुई है और निश्चित

तौर पर इन्हें उसका तनाव होगा और इसी तनाव के चलते नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी पर चर्चा कर रहे हैं। पहले तो मैं इन्हें यह बात बता दूं मंत्रियों से चर्चा करके ही हम कैबिनेट में फैसला लेते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं वे गलतफहमी में है। इनको याद करवाना चाहूंगा कि वर्ष 2024 फरवरी में जब नौ विधायकों ने क्रॉस वोट किया था तो क्या उस समय लोकतंत्र की दुहाई इनको याद नहीं थी? उस समय भी इनको गलतफहमी थी कि हम चुनाव जीत रहे हैं और तीन निर्दलीय विधायको से भी इन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया। जिन विधायकों ने दल-बदल किया था वे तो गये ही लेकिन उन तीन निर्दलीय विधायकों को जिन्हें आपने संभाल के रखा था, मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उन तीनों विधायकों ने भी अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

26.11.2026/1245/AT/AG -01

मुख्यमंत्री जारी ...

हम 34 से फिर 40 हो गए। पंचायत चुनाव के संदर्भ में मैं सिर्फ़ यह कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रहिए और खुले मन से चुनाव की तैयारी करिए। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि पंचायत चुनाव कानूनी परिधि के साथ हम करवाएंगे यह मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, एक और कहना चाहता हूं कि कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव बहुत देरी से हो रहे है। शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जून, 2022 में होना था और उसके 6 महीने बाद विधान सभा का चुनाव होना था। जून, 2022 के चुनाव जून 2022 से पहले होना था। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि हमने तो चुनाव करवाए हुए हैं। शिमला में

म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जून, 2022 में होना था, लेकिन इन्होंने देखा कि यह हार जाएंगे और इन्होंने चुनाव नहीं करवाए। हमें मई में चुनाव करवाने पड़े और हमने चुनाव करवाए। इस तरह चुनाव के बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत करके अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का जो भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके समय में शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव 9 महीने पोस्टपोन किया था। वह भी एक्ट-73 और एक्ट-74 के तहत 6 महीने की परिधि में आते हैं। उसमें भी चुनाव होने चाहिए थे। तब कोई डिजास्टर नहीं था। उसके बाद नवंबर में विधान सभा चुनाव हुए। इसलिए दोषारोपण करना बहुत आसान होता है। मैंने हमेशा कहा है कि हम तरक तथ्य साथ रखेंगे और हर बात का जवाब देंगे। बाकी, जो मैंने बात की, वह इनकी बात का जवाब था। जो इन्होंने आउट ऑफ़ कॉन्टेक्स्ट बात की थी। तो मैंने इनकी बात का यह जवाब दिया। इसलिए मैं यह कहना चाहता था।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, एक तो मुख्यमंत्री जी को कुछ आदतें नई लग गई हैं और आदतें ऐसी हैं कि शगुफे छोड़ना। एक तो मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा। इन्होंने उठकर कहा कि (***)यह कार्यवाही से निकाला जाए, आपको क्या मालूम है कि हमारी क्या बात हुई है? और जो डांट आपको पढ़ने वाली

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

26.11.2026/1245/AT/AG -02

है, उस पर ध्यान रखिए। मैं इसको ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुल मिलाकर यही कहना चाह रहा हूं कि आप बार-बार कहते हैं कि पांच गुटों में, पांच गुटों में एक पहाड़ा पढ़ लिया है एक दुने दुने, दो दुने चार का पहाड़ा इन्होंने पिछले कुछ वर्षों से

चलाया हुआ है। और वह आज भी चला हुआ है। आप हर वक्त यही कहते हैं मेहरबानी करके यहां की आप चिंता मत करो, चिंता उधर की करो। आज मैं अखबार में देख रहा था कि उप-मुख्यमंत्री जो हैं, वह आपके पूरे सत्र में उपलब्ध नहीं रहने वाले हैं। और मुझे आगे और जानकारी मिली कि आपके पार्लियामेंट्री अफ़ेयर्स मिनिस्टर भी आज तो नहीं हैं आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पर भी प्रश्न है। ....(व्यवधान) और कल कौन नहीं आएगें इस पर कल बात करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। और कैसे हैं, आप इनको पांच बोल रहे हैं, यह एक पांच उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बना रही हैं। और जब यह पंच पड़ेगा, तो कांग्रेस को बाहर का रास्ता मुश्किल से मिलेगा यह मैं कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं आप संविधान की बातें कर रहे हैं। हमें समझाओ मत। आपने अपने मित्र के लिए शिमला में मेयर का कार्यकाल 5 साल का कर दिया, जबकि एक्ट में जो प्रावधान है, उसके अनुसार मेयर ढाई साल के लिए शिमला में चुना जाता है। अब 5 साल के लिए कर दिया। ... (व्यवधान) अगली बार के लिए आप 5 साल कर रहे हैं। लेकिन जिस कार्यकाल में चुनाव हुआ है, उसमें जो existing provision तो यही था।

एम0डी0 द्वारा जारी.....

6-11-2025/1250/AS/MD/1

जिसमें चुनाव हुआ है इसमें जो एग्जिस्टिंग प्रोवीजन था उसको भी आपने चेंज कर दिया। अगर शिमाल एम0सी0 का चुनाव हमारी समय में किसी कारण थोड़े वक्त के लिए टला तो उसकी वजह राजनैतिक नहीं बल्कि उसकी एक ही वजह थी कि विधान सभा के चुनाव और एम0सी0 शिमला के चुनाव एक साथ आ गये थे। उसके बाद जब विधान सभा के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई उसके बाद विधिवत रूप से विधान सभा के चुनाव हो गये। लेकिन सारी चीजों को इस तरह से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने चुनाव स्थगित करने के लिए कोई इस तरह का प्रावधान नहीं किया था। जिस प्रकार से आप

करने जा रहे है। इसलिए हम कह रहे है कि मान जाओ, अगर आप मेरी बात सुन रहे है तो पहले सुन लो फिर उसको मान भी लो। यह आप के लिए अच्छा रहेगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं।

Speaker : The word "Dant and Punch" will not form a part of the record. आप कुछ रेफर कर रहे हैं।

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, पंजाब केसरी में किसी ने पंचायती चुनाव के मसले पर न्यूज चलाई है विपक्ष वॉकआउट कर गया।---(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन जी ने जो विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है क्योंकि सदन तो चल रहा है अभी कोई ऐसा बायकॉट नहीं हुआ है। अगर पंजाब केसरी में ऐसा कोई समाचार ई-मॉडयूल के ऊपर चल रहा है तो वह तथ्यों से विपरित है and the Vidhan Sabha Secretariat will verify this and then we proceed accordingly as per the rules or the House.

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो अभी मुख्य मंत्री जी अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है कि(***)For the which I have sued him in the Court of law. Because he has been rumour mongering through out the State. Sir, you are the custodian of the House, so I would like to request you to kindly expunge those two words.

Speaker : We have taken a cognizance of these two references also and I will go through the record in any case if it will be a part of the record, certainly will be expunged.

26-11-2025/1250/AS/MD/2

इससे पहले मैं अगला माननीय सदस्य बुलाऊं पांच मिनट का समय है चर्चा के लिए तो लंच के बाद ही चर्चा करते हैं। अब इस माननीय सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2:00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

26.11.2025/1400/केएस/डीसी/1

सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2.00 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।

अध्यक्ष : नियम-67 के अंतर्गत हो रही चर्चा के प्रस्तावक ही अभी इस माननीय सदन में मौजूद नहीं हैं । माननीय नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ सदस्य भी माजूद नहीं हैं परंतु कोरम पूरा है। Anyway we proceed with the Motion. Now I request Hon'ble Member Shri Sanjay Awasthi to take part in the debate.

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के अंतर्गत विपक्ष के हमारे साथी श्री रणधीर शर्मा जी ने जो प्रस्ताव लाया है, उस पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं। वर्तमान प्रदेश सरकार का लगभग 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है और इस कार्यकाल में विधान सभा के जो भी सत्र हुए, अगर आकलन करें तो उनमें एक चीज़ देखने में आई कि जब-जब भी विधान सभा का सत्र शुरू हुआ, हमारे विपक्ष के साथी किसी न किसी बहाने उसमें व्यवधान डालने की कोशिश करते रहे हैं और जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उससे टलते हैं। जिस तरह से आज अभी पहला दिन था और जो महत्वपूर्ण मुद्दों को ले कर माननीय विधायकों की अपने-अपने चुनाव क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याएं थीं, प्रश्न के माध्यम से इस सदन में उनके निवारण की उनकी अपेक्षा थी लेकिन हमारे विपक्ष के साथी श्री रणधीर शर्मा जी नियम-67 के अंतर्गत पंचायती चुनावों को ले कर एक प्रस्ताव ले कर आ गए जबकि इसका कोई औचित्य नहीं था क्योंकि अभी समयावधि खत्म नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के द्वारा पंचायती राज का जो वर्तमान ढांचा बना है, उसका कार्यकाल 23 जनवरी, 2026 तक है। किसी भी सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है कि वह परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेती है और वे इन्होंने भी लिए हैं। जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में नेता प्रतिपक्ष को जवाब देते हुए

याद दिलाया कि जिस तरह से अपने कार्यकाल में इन्होंने विधान सभा चुनाव से पहले जो नगर निगम शिमला के चुनाव होने थे, उनको डेफर किया था तो यह इनका भी फैसला है। यदि हमें कभी भी किसी भी तरह का नज़रिया रखना है तो उसके दो पैमाने नहीं होने चाहिए। प्रदेश सरकार ने किन परिस्थितियों में यह फैसला लिया, आपको उस बारे में भी सोचना चाहिए था। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश आपदा से त्रस्त है, माननीय मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता आज आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्विस्थापित करना है। आज डिजास्टर एक्ट लागू है और

26.11.2025/1400/केएस/डीसी/2

डिजास्टर एक्ट लागू होने का मतलब हमारे विपक्ष के साथी भी समझते हैं और रणधीर शर्मा जी तो बड़े अनुभवी और एक पुराने विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.11.2025/1405/av/dc/1

श्री संजय अवस्थी---------- **जारी**

इनके द्वारा नियम-67 के तहत लाया गया यह स्थगन प्रस्ताव समझ में नहीं आता मगर इसके पीछे कोई-न-कोई राजनीति है। हमारे साथी श्री मलेन्द्र राजन जी ने सोशल मीडिया पर एक वैब पोर्टल द्वारा वायरल की जा रही भ्रमित जानकारी के बारे में बताया कि 'सदन से विपक्ष के साथियों ने वॉकआउट कर दिया', यह उस चीज का प्रमाण है। मेरा यह मानना है कि इन्होंने पहले यह कह दिया होगा कि हम इस प्रकार का प्रस्ताव लाएंगे और इस प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय द्वारा चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसी इनको उम्मीद थी। आप जानते हैं कि जिनके अपने घर शीशे के हुआ करते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते, मैं इनको यह कहना चाहता हूं। इनको यह उम्मीद ही नहीं थी कि इस प्रस्ताव पर

चर्चा स्वीकार हो जाएगी। ये पहले तय करके आए थे और चर्चा करके आए थे कि हम वॉकआउट करेंगे तो आपने यह वायरल कर देना। इन्होंने हमारी सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल में लगातार इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। ये संवेदनशील नहीं हैं, आज हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने की जरूरत है। प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी तो हमें 75,000 करोड़ रुपये का ऋण विरासत में मिला। उसके बाद वर्ष 2023 में और इस वर्ष दोबारा से भयंकर आपदा आई तथा इन्होंने यह कहा कि आपदा सिर्फ मण्डी जिला में आई। पूरा प्रदेश व देश जानता है कि अधिकतम आपदा जिला मण्डी, कुल्लू, लाहौल-स्पिति और शिमला में आई परंतु प्रदेश में कोई भी जिला इस आपदा से अछूता नहीं रहा, इनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। ये एक वरिष्ठ सदस्य हैं और इनके द्वारा इस प्रकार की बात करना हमें हज्म नहीं होती।

इन्होंने यहां पर संवैधानिक संकट की बात की है और आज संविधान दिवस भी है। आपने पिछले बजट सत्र में संवैधानिक संकट उत्पन्न करने का प्रयास किया था। जब विधायकों की खरीद-फरोख्त हुई और आपने लोकतंत्र पर आघात किया, उस समय हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र पर संवैधानिक संकट आया था। हमारे मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में सभी विधायकों ने एकजुट होकर उस संकट का सामना किया और

26.11.2025/1405/av/dc/2

प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया। प्रदेश की जनता ने उस समय उप-चुनाव में 9 में से 6 सीट्स जीताकर अपना जवाब दिया था, वह संवैधानिक संकट आपके द्वारा लाया गया था। आज संविधान दिवस पर आप इस प्रकार की बात करते हैं। आपने यहां पर पंचायतों के पुनर्गठन की बात की कि कुछ पंचायतों में 2500 मतदाता हैं और कुछ में 600 हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह शुरुआत आपके समय में हुई थी। आपके समय में जब नेता प्रतिपक्ष मुख्य मंत्री हुआ करते थे तो उस दौरान आपने पंचायतों

का पुनर्गठन किया। अध्यक्ष महोदय, इनके समय में जो पंचायतों का पुनर्गठन हुआ उस समय इन्होंने पिक एण्ड चूज़ करके अपने चहेतों को लाभ देने के दृष्टिकोण से फैसले लिए थे। ये जो आज यहां पर डिस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, यह इनकी देन है। परंतु आज ये हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं जोकि बड़े शर्म की बात है।

मैं आपको पंचायती राज की थोड़ी पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। अक्तूबर, 1959 में जवाहर लाल नेहरु जी ने पंचायती राज की प्रक्रिया शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के समय में वर्ष 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन लाया गया और उसके द्वारा पंचायती राज का थ्री टायर सिस्टम शुरू हुआ था। यह कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में रही या प्रदेश में रही, उन्होंने हमेशा महत्वपूर्ण फैसले लिए और ऐसे फैसले लिए जो आज तक नहीं बदले गए।

टी सी द्वारा जारी

26.11.2025/1410/टी0सी0वी0/एच0के0/1
श्री संजय अवस्थी ..... जारी

आज वर्तमान में भले ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन उन फैसलों को वर्तमान केंद्र सरकार भी नहीं बदल सकी। यदि बदला गया तो सिर्फ नाम बदला गया। यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं।

आज उत्तराखंड और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको अपने वक्तव्य में यह भी स्पष्ट करना चाहिए था कि आपकी पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों नहीं करवाए। जबकि उन राज्यों में में भी आपकी पार्टी की ही सरकारें हैं। ये जो आपकी कथनी और करनी में अंतर है, यही आपका असली चेहरा है, यही आपका असली चरित्र है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आज प्रदेश आपदा से त्रस्त है। आज रिहैबिलिटेशन एक्ट के अंतर्गत हमें आपदा प्रभावित

परिवारों को राहत देनी है। माननीय व यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान 1500 करोड़ रुपये आपदा राहत के रूप में देने की बात कही थी लेकिन हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत कार्यों हेतु उस दौरे के दो महीने के पश्चात् अभी तक 15 रुपये भी नहीं आए हैं। इस बात पर इनको बोलना चाहिए था। यह जो कहते हैं, मैं समझता हूं कि यहां पर इनके द्वारा झूठे आंकड़े रखे जाते हैं। श्री रणधीर शर्मा जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और वे आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर एक तस्वीर रखने का प्रयास करते हैं लेकिन उसमें रंगों की कमी रह जाती है। वे रंग सत्यता से ही भरे जा सकते हैं, इसलिए आप सदन और प्रदेश की जनता को भ्रमित न करें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

Speaker : Thank you very much, to be within time. Next Hon'ble Member Shri Surender Shourie Ji, let's be in time.

26.11.2025/1410/टी0सी0वी0/एच0के0/2

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, नियम 67 के अंतर्गत सदन में माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने जो प्रस्ताव लाया है, उस पर चर्चा हो रही है उसमें भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

आज संविधान दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुबह हमने कहा कि हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को आत्मसमर्पित करते हैं और इत्तफाक से आज यहां उस पर चर्चा हो रही है। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज को मजबूत करने की बात कही गई है जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि हर 5 साल बाद नियमित रूप से चुनाव होंगे।

हम भी पंचायती राज में रहे हैं और यह 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ। उसके बाद प्रदेश में दिसंबर, 1995, 2000 2005, 2010, 2015, 2020 में चुनाव हुए और अब ये चुनाव

वर्ष 2025 में होने हैं। लेकिन यह सरकार अनावश्यक रूप से चुनाव से भागती हुई नजर आ रही है।

अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज व स्थानीय निकाय के चुनाव भारत के लोकतंत्र की जड़ें हैं जिसके अंतर्गत गांव का आम आदमी अपने विकास के बारे में सोचता है और स्वयं अपना रास्ता तय करता है। लेकिन अगर चुनाव समय पर न करवाए जाएं तो मुझे लगता है कि यह प्रदेश की जनता की आवाज को रोकने जैसा होगा।

अध्यक्ष महोदय, जब दिसंबर, 2020 में चुनाव हुए थे तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक पी0आई0एल0 दायर हुई थी कि जो पंचायत

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी

26-11-2025/1415/NS-HK/1

श्री सुरेन्द्र शौरी-----जारी

का रोस्टर होता है वह ऐन मौके पर न हो करके लगभग 6 महीने या 90 दिन के भीतर वह रोस्टर फाइनल होना चाहिए। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायती राज विभाग को यह निर्देश दिए कि आपको 90 दिन पहले रोस्टर फाइनल करना है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 के दिसम्बर माह में सरकार ने कहा कि कुछ नई पंचायतें बनेंगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें बनेंगी और पंचायतें बनाने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर ग्राम सभाएं हुईं। हम अपने विधान सभा क्षेत्रों में निरंतर पंचायतों के सम्पर्क में रहते हैं और मैं देख रहा था कि लगभग 700 फाइलें तैयार हुईं जिसमें पंचायतों के विभाजन की बात कही गई और पंचायतों के पुनर्गठन की बात कही गई। ऐसी लगभग 700 फाइलें प्रदेश के अंदर नई पंचायतों को बनाने के लिए और उनके पुनर्गठन के लिए तैयार हुई हैं। यह फैसला स्वयं सरकार ने लिया था। इतनी एनर्जी प्रदेश के अफसरों, पंचायतों के अधिकारियों व आम जनता की लगी। इतना सब कुछ होने के बाद

मार्च माह में निर्णय लिया जाता है कि नई पंचायतें नहीं बनाई जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार पहले निर्णय लेती है कि हम नई पंचायतें बनाएंगे। इसके लिए ग्राम सभाएं करवाई जाती हैं और लोगों का इतना समय बर्बाद होता है तथा इतना सब कुछ करने के बाद निर्णय लिया जाता है कि नई पंचायतें नहीं बनाई जाएंगी। मैं देख रहा हूं कि विवाद के बावजूद पंचायतों का नाम रखने तथा कैसे विभाजन करना है, की परिस्थिति पैदा हुई और इस विवाद के बावजूद भी लोगों ने सहमति बनाई। सहमति बनने के बाद ही पंचायती राज विभाग को फाइलें भेजी गईं। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या परिणाम हुआ? यहां पर श्री रणधीर शर्मा जी ने डेटवाइज कई चीज़ों का जिक्र किया है। हम पंचायतों के अंदर दौरा करते हैं तो मैं देख रहा था कि नगर निगम के चुनावों के लिए कुल्लू में लॉटरी तक डाली गई और केवल परिणाम घोषित करने के लिए रोक दिया गया तथा रोस्टर बनाने के लिए कह दिया। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जनता के समक्ष रोस्टर जारी नहीं किया है बल्कि अंदरखाते पूरा बना दिया गया है। लोगों की इच्छा है कि हम चुनाव लड़ेंगे और वे लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है तो चुनाव करवाने में देरी क्यों की जा रही है? जनता को उसके अधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा है? इसका हवाला

26-11-2025/1415/NS-HK/2

डिजास्टर का दिया जा रहा है। अभी श्री संजय अवस्थी जी कह रहे थे कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि डिजास्टर के अंदर मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1995 में चुनाव हुए थे और उस समय वहां पर केवल एक ही लिंक रोड निकला था लेकिन उसके बाद कोई सड़क नहीं बनी थी तब भी तय समयावधि में चुनाव हुए हैं। मेरे क्षेत्र में छोटे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं जिस स्कूल में मतदान केंद्र होता है तो वे वहां पर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर मतदाता नहीं जा सकता है?

(श्री संजय रत्न, सभापति महोदय पदासीन हुए)

छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए 2 किलोमीटर दूर जा रहे हैं चाहे भले ही सड़कें टूटी हैं लेकिन पढ़ाई नियमित रूप से हो रही है। वहां पर अध्यापक पढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन फिर भी चुनाव करवाने के लिए देरी हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी देरी क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि यह चुनाव इसलिए नहीं करवाए जा रहे हैं क्योंकि जब वर्ष 2022 में विधान सभा के चुनाव थे तो प्रदेश में जिन लोगों ने महिलाओं के फॉर्म भरे हैं कि आपको 1500 रुपये पेंशन मिलेगी, प्रदेश के युवाओं को कहा गया है कि आपको 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में मिलेंगी।

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

26.11.2025/1420/RKS/वाईके-1

श्री सुरेन्द्र शौरी...जारी

वे कार्यकर्ता अगर अब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो महिलाएं और युवा गांव के अंदर डंडा लेकर खड़े हैं कि अब हम देखते हैं वे कैसे झूठे फार्म भरवाते हैं। अब वे देखेंगे कि आप उनसे कैसे वोट मांगेंगे इसलिए यह सरकार चुनाव करवाने से भाग रही है। अगर चुनाव लेट होंगे तो जो पंचायती राज की शक्तियां हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्यूडिशियल पावर्ज हैं, वे कैसे चलेगी? पंचायतों की ग्राम सभाएं कैसे होगी इस पर भी सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर चुनाव 6 महीने या एक साल लेट होते हैं तो पंचायतों का विकास कैसे होगा? मनरेगा के तहत कैसे कार्य होंगे; पंचायती राज की शक्तियां किसे मिलेगी; किस तरह से पंचायतों के काम होंगे और आम व्यक्ति का विकास कैसे होगा? इस सब चीजों पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार सरकार को समय पर चुनाव करवाने चाहिए। प्रदेश में पिछले 2-3 सालों से लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई है और आम जनता इस बात को अच्छी तरह से देख रही है। माननीय मंत्री जी का बयान आता है कि चुनाव समय पर होंगे और दूसरे दिन माननीय

मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम इसके बारे में सोचेंगे। तीसरे दिन कैबिनेट मीटिंग होती है और उसमें कुछ और ही निर्णय होता है। चौथे दिन निर्वाचन आयोग राज्यपाल महोदय से मिलता है। इस तरह का विरोधाभास आपस में हो रहा है और आपने यह कैसी परिस्थिति बनाई है? ऐसे हालातों में लोगों का सरकार से विश्वास उठता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार में कोई कोर्डिनेशन नहीं है। हमारी स्वायत्त संस्था निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर हस्तक्षेप करके सरकार निष्पक्ष चुनाव करवाने से भाग रही है। इसलिए मुझे लग रहा है कि प्रदेश की जनता का हर मुद्दे पर आपसे विश्वास उठ रहा है। अगर समय पर चुनाव नहीं हुए तो निश्चित तौर पर आम जनता का विश्वास भी इस सरकार से उठ जाएगा। आखिर यह सरकार कैसे चल रही है? आपकी अलग-अलग स्टेटमेंट्स क्यों आ रही है? इस तरह की स्थिति प्रदेश के अंदर क्यों बनी हुई है? मेरा आग्रह है कि यह सरकार समय रहते चुनाव करवाएं अन्यथा प्रदेश की जनता कई मुद्दों को लेकर बहुत आक्रोशित है। आपने डिजास्टर का बहाना बनाया हुआ है। अगर आप चाहते तो डिजास्टर एक्ट के तहत समय में काफी काम करवा सकते थे। भारी बरसात के कारण मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।

26.11.2025/1420/RKS/वाईके-2

मेरे चुनाव क्षेत्र में 400 से ज्यादा मकान पूरी तरह से टूट गए हैं और 600 से ज्यादा मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहां बहुत सारी सड़कें टूटी हुई हैं लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव करवाने के लिए वहां बिल्कुल ठीक स्थिति है। भले ही सिराज विधान सभा के अंदर जनमानस को बहुत ज्यादा हानि हुई है लेकिन जो नुकसान की वास्तविक स्थिति है वह मेरी विधान सभा में ज्यादा है। चुनाव करवाने के लिए बंजार विधान सभा क्षेत्र के हालात सामान्य हैं। लोग पहाड़ों से नीचे उतर कर मार्किट तक पैदल चल कर आते हैं। कुछ लोग छोटी गाड़ियों में नीचे आते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार को डिजास्टर का बहाना न बनाकर समय पर चुनाव करवाने चाहिए। श्री रणधीर शर्मा जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

सभापति : माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं?

मुख्य मंत्री : माननीय सुरेन्द्र शौरी जी के विधान सभा चुनाव क्षेत्र में आगजनी की घटना होने के कारण काफी मकान जल गए हैं। जिस गांव में आग लगी है उन लोगों के प्रति हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। माननीय राजस्व और लोक निर्माण मंत्री जी वहां गए थे। इन्होंने गांवों वालों को आश्वासन दिया है कि हम उन्हें आपदा राहत के तहत मुआवजा देंगे। जिनके घर जले हैं उन सभी परिवारों को प्रदेश सरकार आपदा राहत के तहत नोटिफाई करेगी और इसके लिए मु0 7 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। जो उनका सामान जला है उसके लिए एक लाख रुपये अलग से जारी किए जाएंगे। धन्यवाद।

सभापति : माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी।

श्री नन्द लाल : सभापति महोदय, नियम-67 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इस चर्चा में मैं भी भाग लेना चाहता हूं। वैसे देखा जाए तो extreme emergency में ही नियम-67 के अंतर्गत इस तरह का प्रस्ताव लाया जा सकता है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

26.11.2025/1425/बी.एस./वाई के.-1

श्री नन्द लाल जारी...

यहां we are unable to differentiate कि डिजास्टर एक्ट इंपॉर्टेंट है या फिर यह पंचायती राज इलेक्शन जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा। इसमें फर्क समझना मुश्किल हो रहा है। मननीय सदस्य बोल रहे हैं कि डिजास्टर में हमारे यहां इतने मकान टूटे, इतनी सड़कें टूटी और फिर भी जीवन चल रहा है। हम यह कहना चाहते हैं कि पहले उसको ठीक कर लीजिए। इलेक्शन भी हो जाएंगे, सरकार को इस बात का फिक्र है। यह

हमें कर्जे में मिली हुई सरकार है। उसके बाद यहां पर जो नुकसान हुआ है वह वर्ष 2022-23 में और वर्ष ऐसा भी ऐसा ही हुआ है। जितना भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई के लिए the matter was taken up with the Centre Government. माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं आए और 1500 करोड़ रुपए के एक पैकेज की बात करके गए हैं लेकिन अभी तक जैसे सुना जा रहा है कि उस पर कोई असर नहीं हुआ है। यानी कि हमारा डिजास्टर का जो काम है अभी तक काफी अधूरा है। सड़कें ठीक नहीं हुई और बिल्डिंग्ज ठीक नहीं हुई, लोगों के मकान टूटे हुए हैं। सारा डिजास्टर एक्ट है, इसके अंदर लोग ध्यान दे रहे हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य इससे निकलना है। हमारे जो पंचायत के इलेक्शन हैं इन्हें थोड़ा सा आगे किया जा सकता है। But disaster is of prime importance. हमारी जो सरकार है, मुख्य मंत्री महोदय का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा रिलीफ मैनुअल है उसके मुताबिक एक मकान के लिए जो गिर जाता है उसके लिए एक और सवा लाख रुपये राहत राशि प्रदान की जाती थी। परंतु मुख्य मंत्री महोदय ने बड़े अच्छे तरीके से एक बहुत बड़ी राशि उन परिवारों को प्रदान की है। यह राशि 7 लाख प्लस एक लाख रुपये की है। लोगों को इतनी बड़ी राशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए आपके रिलीफ मैनुअल को भी चेंज कर दिया है। इसके लिए आपको मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए।

हर जगह राहत कार्य चला हुआ है इसको कंप्लीट करना है यह गवर्नमेंट की कोशिश है। लोगों के मकान टूटे हैं सबसे पहले उन्हें ठीक करना, सड़क टूटी है, उसको ठीक करना

26.11.2025/1425/बी.एस./वाई के.-2

है। दूसरी जो भी बेसिक चीजें हमारी खराब हो चुकी हैं उसमें सभापति महोदय, that is the priority. बात कहते हैं यह पहली बार हुआ, ऐसा नहीं है। इस तरह की सरकार की कमेंसमेंट है। उसे देख कर हमको यह देखना है कि अब पहले प्रायोरिटी क्या होगी? कई हमारे मित्र कह रहे थे कि भाई इसलिए पंचायत चुनाव नहीं किये जा रहें हैं क्योंकि जो

रिजल्ट हैं वे खराब आएंगे। परंतु मैं जानना चाहता हूं कि आपको कैसे पता है कि आने वाले जो इलेक्शन होंगे उनका रिजल्ट इस तरह का होगा? There may be some plan, I don't know. इसलिए यह बात एक नहीं, दो नहीं परंतु तीन लोगों ने कह दी है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है या तो यह जासूसी है या there is something very special. जिसकी वजह से इनको पता है कि इन्हें ही जीतना है, हमें नहीं। भविष्य में जो एस्ट्रोलॉजर काम चल रहा है कृपया, इसको छोड़ दिया जाए। क्योंकि leave it to the Government. जिस तरह से सरकार काम कर रही है उस काम को देखते हुए पंचायत के लोग, उस एरिया के लोग हैं वे जानते हैं कि कहां क्या करना है। लेकिन आपके पास कुछ और चीज है, मुझे नहीं पता उस पर आप क्या करने वाले हैं?

सभापति महोदय, पंचायत के चुनावों का समय हो रहा है और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसमें बहुत गलतियां हो रही है और दिक्कत आ जाएगी। जब भी कांस्टीट्यूशनली कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए कुछ नियम हैं, नियम के मुताबिक ही आगे चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में छोड़ दिया जाएगा। मैं यह कहना चाहते हैं कि सरकार का हम सभी को इस वक्त सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और जो काम हुए हैं उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। बाकी जो चुनाव की बात है वे पक्का होंगे। पंचायती राज इलेक्शन है, लोग उसके बारे में जानते हैं कि पिछले इतने सालों में इतने बड़े नुकसान के बावजूद लोगों को अच्छा रिलीफ मिल रहा है उसको कंप्लीट करने में हमारी सरकार अभी लगी हुई है। मैं ज्यादा समय लेता हुआ सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से आरोप लगाना ये उचित नहीं है और हमें सरकार पर विश्वास है कि हमारी सरकार इस मामले को बड़ी सूझबूझ के साथ ठीक करेगी, धन्यवाद।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

26.11.2025.1430.डी0टी0-ए.जी-1

सभापतिः अब इस चर्चा में भाग लेगें माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी।

श्री जीत राम कटवालः सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नियम -67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव में चर्चा हेतु मैंने भी अपना नाम लिख कर दिया था और उसी पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के विषय पर इस सदन में चर्चा आरंभ हुई। पंचायती राज चुनावों को डैफर करने की बात इस सदन में क्यो आ रही है और यह चर्चा का विषय क्यों बना है? माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा 73वां व 74वां संविधान संसोधन 1992 में केंद्र की पूर्व कांग्रेस सरकार की देन है। किसी-न-किसी सरकार की कोई-न-कोई देन तो होती ही है। अच्छी बात है कि संविधान संसोधन आपकी सरकार ने किया। आज संविधान दिवस भी है और ऐसे मौके में यह विषय चर्चा के लिए आया। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इसके ऊपर चर्चा की। कोई कह रहा था कि यह डिजास्टर मैंनेजमेंट का इश्यू है कोई कह रहा है कि यह चुनाव टालने का इश्यू है। अगर हम यह मानते हैं कि 1992 की केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान संसोधन लाया और इसकी अनुपालना में ही 1994 में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट में संसोधन किया गया। उसके अंतर्गत जो थ्री टियर सिस्टम है, तीन स्तर की जो चुनाव प्रणाली है, उसका एक स्तर लागू हुआ। बहुत सारे तर्क-वितर्क पक्ष और विपक्ष के द्वारा दिए गये। संविधान का जो मुद्दा है यानी Law of the land इसमें राजनैतिक न्याय की बात कही गई है और उसकी हमने आज इस सदन में शपथ ली है। राजनैतिक न्याय का मतलब यह है कि जो संविधान संरचना है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका भी पालन हो, उसमें जो प्रजातंत्र की भावना है वह सर्वोपरि है। इसमें जो व्यवस्था है दी गई है वह लोगों की व्यवस्था-लोगों के द्वारा-और लोगों के लिए है। इस व्यवस्था से हम सभी भलीभांती परिचित है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे संविधान के अनुसार जो व्यवस्था दी गई है उसमें रेगुलरली चुनाव होना अपेक्षित है। संविधान संसोधन की बात है। हमारे सामने बड़े-बड़े कोर्ट केस बड़े-बडें मुद्दे आते हैं उनकी व्याख्या होती है। इस व्याख्या में जो मूल संदेश है law of the land का वह यह है कि प्रजातंत्र की धारणा लगातार बरकरार रहनी चाहिए और उसके अंतर्गत रेगुलर चुनाव होने चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भी संविधान में उल्लेख है। इसी तरह से हम लोग चुनाव के संबंध में अपना-अपना पक्ष रखते आए हैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि यह चुनाव पहले भी टाले गये हैं। चुनाव को

टालने की बात नहीं है। अगर हमारी धारणा सही है, हम संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को मानते हैं तो यह तर्क इस तरह से टेनेबल

26.11.2025.1430.डी0टी0-ए.जी-2

नहीं लगता। पहले किसने क्या किया, क्यों किया, उत्तराखंड व हरियाणा में क्या हुआ जैसे श्री संजय अवस्थी जी उल्लेख कर रहे थे। अगर हम उन राज्यो कॉपी ही करना है तो फिर हमें यहां बैठने की आवश्यकता भी क्या है। हम पहले ही पंजाब को फॉलो करते हैं। दो राज्यों अगर कुछ और कर दिया तो हम भी वैसा ही करें, यह जरूरी तो नहीं। यह सदन जो बैठा है इसके लिए बैठा है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

26.11.2025/1435/ए.जी.-एन.जी./1

श्री जीर राम कटवाल........जारी

यह सदन इसलिए बैठा है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की बात हो, प्रजातंत्र की बात हो और इसके साथ-साथ संविधान की परिभाषा का अक्षरशः पालन हो। ऐसा न हो कि अपनी सुविधा अनुसार संविधान की परिभाषा बताएं व बनाएं। यहां पर संविधान की स्पीरिट, नियती व संदेश के पालन की बात होनी चाहिए। दिनांक 17-11-2025 को राज्य चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी की है। उसके अनुसार 3577 पंचायती राज संस्थाओं की बाऊंडरी फ्रीज हो गई हैं।

सभापति महोदय, मैं इस माननीय सदन में याद करवाना चाहता हूं कि लगभग एक साल पहले माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने एक डी0ओ0 लैटर लिखा था कि जहां-जहां पर भी नई पंचायतें बनाने की आवश्यकता है वे अपनी-अपनी प्रस्तावनाएं प्रेषित करें। वह पत्र स्थानीय अधिकारियों को भी लिखा गया था और हमें भी डी0ओ0 लैटर

आया था। उसके कुछ समय बाद यह आदेश आया कि कोई भी डिलिमिटेशन नहीं होगा। अब राज्य चुनाव आयोग ने पी0आर0आई0 की सीमाओं को फ्रीज कर दिया तो इफ-एण्ड-बट के साथ उसे डैफर करने की बात की जा रही है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि यदि संविधान का पालन करना है तो ठीक तरीके से व मुद्दे पर कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिज़ास्टर एक्ट लागू है, एन0डी0एम0ए0 लागू है या हमें राहत मिलनी है, हमने यह करना है, वह करना है आदि-आदि के कारण संविधान की पालना को टाला जाए। जब आप प्रजातंत्र को स्थापित करने की बात करते हैं तो बाकि बातें उसके बाद आती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी सोचें। मेरा कहना है कि छोटे-छोटे एक्टों के माध्यम से अपनी नैय्या पार लगाने की कोशिश न करें। राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से 01 दिसम्बर व 07 दिसम्बर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का कार्यक्रम जारी हुआ है। इस प्रकार से आदर्श आचार सहिंता का एक हिस्सा लागू हो चुका है।

26.11.2025/1435/ए.जी.-एन.जी./2

अब यदि सरकार द्वारा चुनावों को टालने के बारे में सोचा जा रहा है तो यह सरकार के लिए कदापि सही बात नहीं है। यदि सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन के विषय को अपनी तरह से परिभाषित किया जा रहा है तो आप उसे कर सकते हैं लेकिन यह सब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और न ही कभी लगता है। सरकार ने कुछ माह पहले ही 100 प्रतिशत साक्षरता पूर्ण होने का दम भरा है और इसके लिए शिमला के पीटर हॉफ में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। सरकार के अनुसार प्रदेश में 100 प्रतिशत साक्षर लोग रहते हैं तो क्या वे सरकार के मुख्य मंत्री व मंत्रियों के ब्यानों को नहीं समझ पा रहे हैं? हमें उन बातों को कहना चाहिए जोकि तर्कसंगत हो, लोगों के हित की बात हो और लोगों के दिल-ओ-दिमाग में अच्छे से पहुंच जाएं। चुनावों में तो हम सभी को फील्ड में जाना पड़ता है और

उस दौरान आपके व हमारे द्वारा चुनाव जीतने की बात की जाती है। आप चुनाव होने दीजिए और उसके बाद जीतने-हारने का परिणाम हम सबके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप और हम अपना-अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर इस माननीय सदन में खड़े हो जाएंगे। यह सब तभी होग जब प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। मेरा यह मानना है कि इतने बड़े इश्यू की व्याख्या छोटे तरीके से न करें। इस विषय को छोटा मुद्दा न बनाएं।

सभापति महोदय, यहां पर एक देश-एक चुनाव की बात की गई है। उसके लिए संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई संस्था अपने कार्यकाल के मध्य में किन्हीं कारणों से डिजॉल्व हो जाती है तो वहां पर शेष समय के लिए ही चुनाव करवाया जाएगा। हमारे देश में तीन स्तरीय सिस्टम लागू है। एक देश-एक चुनाव के तहत केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार के लिए पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे और उसके 100 दिनों के भीतर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। इस प्रकार से यह पुरे-का-पुरा मसौदा सही है।

26.11.2025/1435/ए.जी.-एन.जी./3

सभापति महोदय, प्रदेश सरकार ने बीच में एक मुद्दा लाया कि ओ0बी0सी0 को आरक्षण देना है। इन्हें आरक्षण देना सरकार की जिम्मेदारी है और इस आरक्षण को वर्ष 1993 में ओ0बी0सी0 कमीशन द्वारा दिए गए आंकड़ों को आधार मान कर दिया जाता है। मैं सरकार व माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वर्ष 1993 के बाद पंचायतें 2-3 बार रिऑग्नाइज़ हो चुकी हैं।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

26.11.2025/1440/पी0बी0/ए0एस0/1

श्री जीत राम कटवाल.... जारी

1993 के बाद पंचायतें 2-3 बार रिऑग्रेनाइज़ हो चुकी हैं। किसी पंचायत में जनसंख्या गलत है तो उसे हमने ठीक करवाया। यह काम विभाग, मंत्री महोदय जी और मुख्य मंत्री जी का था। लोगों को पंचायत के पांच साल के कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव की अपेक्षा होती है जिसकी तैयारी छः माह के भीतर शुरू होनी चाहिए है और राज्य चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी कर ली है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पंजाब सरकार में भी ऐसा हुआ था। आप अभी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखण्ड की बात कर रहे थे। पंजाब का एक केस State of Punjab Vs. Beant Singh माननीय उच्चतम न्यायालय में लगा हुआ था। उस केस को पंजाब के एडवोकेट जनरल और अभीशेषक सिंह जी भी रिप्रेजेंट कर रहे थे लेकिन उनका मुद्दा माननीय उच्चतम न्यायालय में स्टेंड नहीं कर पाया। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह आदेश आया है कि चुनाव प्रक्रिया वक्त रहते ही शुरू करनी पड़ेगी। मुख्य मंत्री जी आप इस आदेश को भी देख लें। पंचायत चुनाव के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायाल में भी पी0आई0एल0 दर्ज हुई है जिसमें सरकार को 15 दिसम्बर तक जवाब देना है और 22 दिसम्बर को उस पी0आई0एल0 की हियरिंग है, आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आप इसे ऐसे ही नहीं टाल सकते। यहां मुख्य मुद्दा लोगों की सरकार से अपेक्षा का है। रोस्टर रजिस्टर या रिजर्वेशन का जो फार्मूला है, उसके लिए जिन लोगों ने पहले चुनाव लड़ा था या जिन्होंने नए चुनाव लड़ने हैं, वे उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये लोग आपके पक्ष में नहीं जाएंगे, ये सरकार के खिलाफ जाएंगे क्योंकि आप उन्हें अनिश्चितता के लिए बाधित कर रहे हैं। मैं यही कहता हूं कि जो शेड्यूल इलैक्शन कमीशन महोदय ने तैयार किया है आप उसका पालन करें। प्रदेश के इलैक्टोरल रोल का रिविजन कम्पलीट है उसमें से कुछ नोटिफाई हो गया है और कुछ होना बाकी है। पंचायतों की बाउंडरीज फ्रीज हो चुकी हैं और अब उसे छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ज्यादा न कहता हुआ इतना जरूर कहूंगा कि आप कानून और संविधान की स्पीरिट और नियति को भांपें तथा उसके अनुसार काम करें। दूसरे राज्यों के उदाहरण एवं परिस्थितियां अपने ऊपर न लादें। पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल होता है और इसके चुनाव की तैयारी छः माह पूर्व शुरू की जाती है, शायद

आपने भी की होगी। यह चुनाव कोई छोटे चुनाव नहीं है। हिमाचल प्रदेश के स्टेंडर्ड के हिसाब से सबसे बड़ा चुनाव है। सात-नौ वार्ड मैम्बर्ज, प्रधान, उप-प्रधान, बी0डी0सी0, और

26.11.2025/1440/पी0बी0/ए0एस0/2

जिला परिषद के चुनाव सरकार और लोगों का एक बहुत अच्छा टैस्ट होता है। आप इस पर ध्यान दें और इस थ्री-टीयर सिस्टम की सैंक्टिटी का सम्मान करें। पंचायती राज चुनाव संविधान के आर्टिकल 243 ई और यू में प्रावधित है और आप इसके प्रोविजन्स का पालन करें। हमें किसी एस्केप रूट की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता चुनाव है। सरकार की प्राथमिकता लोगों की मंशा होनी चाहिए न कि कोई और बहाने। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी हल हो चुका है, इस संदर्भ में पंजाब के लिए डारेक्शन्ज आ चुकी है और अब आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लगभग बंद है। अगर आपको माननीय उच्च न्यायालय से आर्डर हो जाएगा तो कहीं ऐसा न हो कि आप किसी ऐसी संवैधानिक परेशानी में पड़ें कि फिर आपको दिन-रात एक करना पड़े कि हमें मर्सी पीटिशन दो या कुछ दिन का समय दो, जो हो गया सो हो गया। आपको इस तरह की परिस्थिति से बचना चाहिए। आपको व्यवस्था परिवर्तन की परिभाषा ऐसी रखनी चहिए जो संविधान के अनुरूप हो, यह परिभाषा संविधान के बाहर या अपनी सुविधानुसार न रखें। मैं ज्यादा न कहता हुआ इतना जरूर कहूंगा कि पंचायती राज एक्ट, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत जो चुनाव की प्रक्रिया और संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अंतर्गत यह एक्ट फ्रेम हुआ है, उसका पालन करें। इफ्स एंड बट्स के साथ इस तरह की कॉमेडी ऑफ एरर्ज से बचें। हम आपनी धाराणाएं गलतियों पर आधारित न रखें। कॉमेडी ऑफ एरर्ज का मतलब है कि अगर किसी ने गलत किया तो हम भी गलत करें, हमें उससे बचना चाहिए और लोगों को हमसे यह अपेक्षा भी होनी चाहिए। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि लोगों को हमसे बहुत बड़ी अपेक्षा है। It is the biggest moment of the State for Panchayati Raj Institutions' Elections. हर तीसरा व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। हर तीसरा आदमी....

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

26.11.2025/1445/A.S./A.P/01

नियम-67 के अंर्तगत चर्चा जारी .....

श्री जीत राम कटवाल जारी.......

वे सारे लोग, हर तीसरा आदमी इससे प्रभावित होता है। हर तीसरा आदमी इसके बारे में चिंतन करता है। आजकल आप लोग भी फील्ड में जाते हैं, हम भी फील्ड में होते हैं। लोग पूछते है कि चुनाव कब हो रहे हैं? मैं भी तैयार हूं, ये भी तैयार है। अब हमें पता है कि तैयार तो सभी हैं, पर पहले टूर्नामेंट के मैच का टाइम जल्दी-से-जल्दी फिक्स किया जाये। इसका नतीज़ा आपके पक्ष में आता है तो भी ठीक है, हमारे पक्ष में आता है तो भी ठीक है। परंतु असली बात यह है कि वह नतीज़ा लोगों के पक्ष में आएगा क्योंकि उनका जो अधिकार है वह उनको मिलेगा। हम उन्हें उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद।

श्री सुरेश कुमार : सभापति महोदय, नियम-67 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय आज बड़ा विशेष दिन है क्योंकि आज का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान की बदौलत ही आज मैं इस माननीय सदन में अपनी बात कह रहा हूं। अगर संविधान न होता तो मुझ जैसे बहुत-से लोग इस माननीय सदन में पहुंच भी नहीं पाते। मैं संविधान दिवस पर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर जी का और महान कांग्रेस पार्टी का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आरंभ किया।

सभापति महोदय, इस बार पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होने हैं उनके बारे में यह नियम-67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव विपक्ष द्वारा इस माननीय सदन में लाया गया है। हालांकि काम रोको प्रस्ताव को उस स्थिति में आना चाहिए जब बहुत बड़ी मुश्किल आ गई हो और काम रोकना बहुत जरूरी हो गया हो। विपक्ष के हमारे साथियों की ऐसी आदत हो

गई है कि वह ऐसे-ऐसे मुद्दे लाते हैं और सदन के कार्य को बाधित करते हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी। सभापति महोदय जो हमारे पंचायतों के चुनाव है उनका कार्यकाल दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक है और इसी दौरान यह चुनाव होने हैं। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में जिस

26.11.2025/1445/A.S./A.P/02

तरह की परिस्थितियां बनी जिसमें घोर आपदा हमारे प्रदेश में आई और सभी जिलों के अंदर लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ। जब चुनाव होते हैं उसकी प्रक्रिया 6-7 महीने पहले आरंभ हो जाती है। इस प्रक्रिया में नई पंचायतों का गठन और पुरानी पंचायत का पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन जैसे तमाम कार्य पंचायत चुनाव से ठीक 6-7 माह पहले आरंभ हो जाते हैं। लेकिन प्रदेश में आपदा होने के कारण वह कार्य नहीं किये जा सके। जिन पंचायत का पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और पंचायतों के बदलाव संबंधी कार्य नहीं किये जा सके। इन तमाम बातों के दृष्टिगत हमारी सरकार द्वारा यह कार्य देरी से शुरू किये गये। हमारे राज्य में इस समय डिजास्टर एक्ट लगा है और इस डिजास्टर एक्ट में पंचायतो के चुनाव से संबंधित जो कार्य थे उनमें विलंब हुआ है। हालांकि सरकार ने अधिकारिक रूप से कहा नहीं है कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं होंगे। लेकिन विपक्ष के हमारे साथी इस बात को बिना वजह के तूल दे रहे हैं और ऐसा माहौल बनाने जा रहे हैं कि मानो हिमाचल प्रदेश से पंचायतों के चुनाव लुप्त होने जा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी ....

26.11.2026/1450/AT/DC -01

श्री सुरेश कुमार जारी...

अभी मैं सुन रहा था कि हमारे साथी कह रहे थे कि आप पंचायत के चुनावों से भागना चाहते हैं आप पंचायत के चुनाव चाहते नहीं हैं, आपको हार दिख रही है। हमने पंचायतों के चुनाव पहले भी फेस किए हैं। हमने शिमला नगर निगम का चुनाव इस सरकार के रहते हुए फेस किया और जीत दर्ज की। यहां पर जो बाय-इलेक्शन हुए उन्हें भी हमने फेस किया और उन्हें जीता और निश्चित तौर पर....(व्यवधान) जिस तरह हमारी सरकार ने रिपीट किया, वह जीतना ही होता है उसी तरह पंचायतों के ये चुनावों को भी हम जीतेंगे। यह मैं पक्के दावे के साथ कहता हूं। अभी पंचायत चुनावों की मैं बात करूं ...(व्यवधान) मैं परमार जी की पीड़ा को समझता हूं। परमार जी, सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से वे कह रहे थे कि पांच गुटों में बैठे हैं तो इनका भी एक छोठा सा गुट है, इनकी पीड़ा भी मैं समझ सकता हूं। सभापति महोदय, आपदा के समय में चुनावों की जो बात हो रही है यह पहली बार नहीं है। पिछले चुनावों के समय देश में कोरोना फैला हुआ था और कोरोना की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में चुनाव आगे करने की बात हो रही हो। इससे पहले भी करोना कार्यकाल में उत्तराखंड में चुनाव डिले हुए, उत्तर प्रदेश में डिले हुए, बिहार में चुनाव समय पर नहीं हुए और कर्नाटक में चुनाव समय से नहीं हुए, क्योंकि उस वक्त स्थिति ऐसी नहीं थी कि एकदम से चुनाव कराए जा सकें। तो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति ऐसी नहीं है कि तुरंत चुनाव करवाए जा सकें। हमारे साथी कह रहे हैं कि जिन स्कूलों में मतदान होना है, वहां बच्चे जा रहे हैं यह मतदान पर पहुंचने के और न पहुंचने की बजह से डिले नहीं हो रहे है। गांवों में कई ऐसे लोग हैं जिनका पुनर्वास बहुत जरूरी है। लोगों के घर गिरे हैं, डंगे गिरे हैं, लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। हम इन लोगों को दोबारा बसाना चाहते हैं, और यह चुनाव डिले करने का एक कारण हो सकता है। जहां तक यह बात कि हम चुनावों से डरते हैं तो पंचायत चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर होते नहीं हैं। इसलिए यह कहना कि हम डर रहे हैं और चुनाव हमारे खिलाफ जाएंगे, इन बातों में कोई तर्क नहीं है। यह सब बेवजह की बातें की जा रही हैं। हमारा चुनाव आयोग से कोई टकराव नहीं है। चुनाव आयोग अपना कार्य कर रहा है। सरकार अपना कार्य कर रही है। इसमें किसी प्रकार का टकराव नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग पर टिप्पणी आपको शोभा

26.11.2026/1450/AT/DC -02

नहीं देती क्योंकि आज देश में चुनाव आयोग की जो स्थिति बनी है, वह किसी से छिपी नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग की बात आप लोग न करें तो अच्छा रहेगा। इस दौरान चुनाव से भी ज़्यादा जरूरी विषय यह होना चाहिए कि हमारे विस्थापित लोगों को कैसे दोबारा बसाया जाए जिनके घर गिरे, डंगे गिरे, जमीन बह गई, पशु बह गए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों जब यहां आए थे तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया था। लेकिन आज दिन तक हिमाचल प्रदेश को उस पैकेज से एक भी पैसा मिला है क्या? चिंता का विषय यह होना चाहिए। आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि केंद्र से जो घोषणा हुई है उस पैसे को हिमाचल प्रदेश

एम0डी0द्वारा जारी....

26-11-2025/1455/DC/MD/1

श्री सुरेश कुमार जारी----

लेकिन आप इस बहस को असली मुद्दों से हटाकर दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि हमारी सरकार जश्न मना रही है। आप सरकार के कार्यक्रम को जश्न की संज्ञा दे रहे हैं। हमारी सरकार कोई जश्न नहीं मना रही है। हम जश्न तो तब मनाएंगे जब 5 साल बाद यह सरकार दोबारा बनेगी और इतिहास रचेगी कि हिमाचल प्रदेश में भी सरकार दोबारा लौट सकती है। मैं आपको बता दूं कि मुख्य मंत्री जी को हटाना आसान काम नहीं है। मुख्य मंत्री बनना भी कठिन होता है और हटाना उससे भी ज्यादा कठिन होता है यह इनका रिकॉर्ड है। आप इस बात को भूल जाइए। मंडी के अंदर आज हमारा एक विजन कार्यक्रम होने जा रहा है आपने उस कार्यक्रम की भी बात की कि वहां बसें लगाई जाएंगी। आप जानकारी लेकर आए कि इतनी बसें लगेगी और भीड़ जुटाई जाएगी। सरकारी कार्यक्रमों में ऐसा होना सामान्य है। आपके कार्यकाल में आपकी ही पार्टी

का धर्मशाला में कार्यक्रम हुआ था और उसके 14 करोड़ रुपये अभी तक आपने एच0आर0टी0सी0 को नहीं दिए हैं। इसलिए ऐसे आरोप लगाने का आपका कोई अधिकार नहीं है। हमारी सरकार का विजन कार्यक्रम मंडी में होगा और जनता को सरकार के पिछले 3 सालों के कार्यकाल को प्रर्दशित करने का और आने वाले 2 वर्षों में सरकार क्या कार्य करेगी उसको दिखाने का कार्यक्रम होगा। आपने गुटबाजी की बात उठाई। लेकिन आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी जब हमीरपुर गए तो जिस प्रकार उनका स्वागत हुआ, उससे यह भी साफ दिखा कि श्री अनुराग ठाकुर जी को भी वहां साथ लेकर गए होंगे पर लेकिन श्री अनुराग ठाकुर जी वहां अनुपस्थित रखे और हम कह रहे थे कि उनका भी वहां कोई नारा लगेगा लेकिन उनका कोई नारा नहीं लगा। हम तो चाह रहे थे कि जैसे कंधे पर इनको उठाया, उनको भी उठाते लेकिन वह बेचारे उस दिन वहां थे ही नहीं उनको बुलाया ही नहीं गया था। आपकी गुटबाजी यहीं से प्रदर्शित होती है। आपको कहने की जरूरत नहीं है। यह तो प्रदेश की जनता देख रही है और आने वाले समय में यह और ज्यादा बढ़ेगी तो आप अपनी पार्टी की गुटबाजी की और ध्यान दीजिए। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और लोकहित में काम कर रही है। आज चिंता इस बात की है कि प्रदेश आपदा से जूझ रहा है तो उस आपदा से निपटने के लिए लिए केंद्र से आर्थिक मदद मिले। आप केंद्र सरकार से कहें कि वह वह सहायता दे जो प्रधानमंत्री

26-11-2025/1455/DC/MD/2

जी ने घोषित की है। यही इस बहस का मुद्दा होना चाहिए।

सभापति महोदय, प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल भी चिंता का विषय है। उसके ऊपर भी बहस लाने की आवश्यकता है क्योंकि आज प्रदेश के अंदर नारी शक्ति सुरक्षित नहीं है। इन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो इस माननीय सदन में रखे जाने चाहिए और उनके ऊपर भी एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। आज प्रदेश की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि प्रदेश में जो राजनीतिक संरक्षण में कुछ बड़े पदों पर बैठे लोग भी गलत घटनाओं में शामिल पाए जा रहे हैं, इस पर भी बहस होनी चाहिए। जहां तक पंचायत

चुनावों की बात है, वे उसी तरह होंगे जैसे पहले होते आए हैं। लेकिन पंचायती चुनावों के बारे में विपक्ष इस मामले में अनावश्यक भ्रम फैला रहा है, जो नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

26.11.2025/1500/केएस/एचके/1

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी भाग लेंगे।

श्री राकेश जम्वाल : सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय रणधीर शर्मा जी और अन्य साथियों ने नियम-67 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर यहां पर जो नोटिस दिया, उस पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे भी समय दिया, आपका धन्यवाद। पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों को ले कर सरकार की जो मंशा है, नीयत है, लगता है कि सरकार इन चुनावों को लगातार टालने का प्रयास कर रही है और उसके लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से, सरकार से जानना चाहता हूं कि इन चुनावों को टालकर क्या आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं? चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है और आप उस आत्मा का गला घोंटना चाहते हैं। सारे विषयों को ले कर आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने बड़े विस्तार से एक-एक नोटिफिकेशन का भी ज़िक्र किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता और नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी ने भी बहुत सारे विषयों पर यहां पर बात रखी। जब सरकार को पता था कि हमारी पंचायतों और स्थानीय निकायों का कार्यकाल दिसम्बर और जनवरी में खत्म हो रहा है तो ये नई पंचायतें बनाने का, रीऑर्गेनाइजेशन करने का काम समय रहते शुरू करते लेकिन समय रहते यह सारा कार्य नहीं किया गया। आज सरकार इस बात की बार-बार दुहाई दे रही है कि डिजास्टर के कारण बड़ी दिक्कत आ गई, सड़कें बंद हो गईं, चुनाव करवाना बड़ा मुश्किल है, वोटर

पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाएगा । ऐसी बातों का ज़िक्र प्रदेश के मुख्य मंत्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पहले इस डिजास्टर से निपट लें उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव के बारे में सोचेंगे। मुख्य मंत्री जी तो इस प्रकार कहते हैं लेकिन विभाग के मंत्री का बयान आता है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर ही होंगे, आप चिंता मत करो। सरकार में चल क्या रहा है? मुख्य मंत्री जी अलग से बयान देते हैं और सरकार के मंत्री अलग से बयान देते हैं। चुनावों को ले कर ही नहीं, अन्य अनेक प्रकार की बातों को ले कर भी इनमें विरोधाभास नज़र आता है। प्रदेश के मुख्य मंत्री कहते हैं कि दिल्ली से कुछ नहीं मिलता तो इनके मंत्री जी कहते हैं कि मैं मोदी जी और नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि हमें सड़कों के लिए भारत सरकार करोड़ों

26.11.2025/1500/केएस/एचके/2

रुपये दे रही है। ठीक उसी प्रकार से पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनावों को ले कर भी आज सरकार के मंत्रियों और मुख्य मंत्री जी का आपस में तालमेल नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी समय पर चुनाव करवाना चाहते हैं। इनकी मंशा और नीयत अच्छी है लेकिन मुख्य मंत्री जी इन चुनावों को टाल रहे हैं और बार-बार नए-नए तरीके निकाले जा रहे हैं। अभी दो दिन पहले कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि अब पंचायतों की रीऑर्गेनाइजेशन होगी, हम नई पंचायतें बनाएंगे। जब चुनाव का समय आया क्या तब आपको नई पंचायतें बनाने की याद आई? स्थिति तो यहां तक हो गई है कि आप चुनाव आयोग को ही नहीं मान रहे हैं। चुनाव आयोग इस सारे मुद्दे को ले कर महामहिम राज्यपाल महोदय के पास गया और राज्यपाल महोदय ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर विधान सभा के चुनाव न हो तो प्रदेश पंगु हो जाएगा। इसी प्रकार अगर पंचायती राज संस्थाओं के, स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं होंगे तो पूरे प्रदेश में हमारा विकास रुक जाएगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम चाहे विधायक क्षेत्र विकास निधि दें चाहे वह डी.सी. के माध्यम से एस.डी.पी. का पैसा हो, बैकवर्ड एरिया सब प्लान का पैसा हो, सारा पैसा पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों पर लगता है। सरकार पंचायतों के चुनावों से बार-बार भाग रही

है, क्या इसका कारण यह तो नहीं है कि अभी बिहार में जो विधान सभा के चुनाव हुए वहां पर हमारे मुख्य मंत्री जी भी चुनाव प्रचार के लिए गए थे और 243 सीटों के मुकाबले वहां पर कांग्रेस की मात्र 6 सीटें आईं? कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से समझौता किया था। लालू जी के 9 बच्चे हैं और कांग्रेस पार्टी की वहां उससे भी कम सीटें आईं। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि बिहार जैसे प्रदेश में 243 में से मात्र 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के चुनकर आए तो क्या इनको इस बात का डर तो नहीं है? क्या आपको इस बात का डर तो नहीं सता रहा है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.11.2025/1505/av/HK/1

श्री राकेश जम्वाल---------- जारी

कि जिस प्रकार से बिहार में हम मात्र 6 पर सिमट गए, हिमाचल में भी पंचायती राज व स्थानीय निकायों के चुनावों में हमारी सफाई होने वाली है। आपने जैसे कहा कि डिजास्टर के कारण दिक्कतें आ रही हैं और जब तक हमारी सड़कें बहाल नहीं हो जातीं या जब तक हम आपदा से निपट नहीं लेते तब तक हम चुनाव नहीं करेंगे। आपके पास चुनाव के लिए तो आपदा है परंतु तीन वर्ष के जश्न के लिए सब कुछ ठीक है। फिर आप उस कार्यक्रम का नाम बदल रहे हैं कि यह हमारा तीन वर्ष का जश्न नहीं है बल्कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी उपलब्धियां और विज़न बताने जा रहे हैं। इस सरकार को तीन वर्षों के बाद अपना विज़न बताने की याद आ रही है। मण्डी में पूरा जश्न मनाने के लिए सारी तैयारियां होंगी। वहां पर गांवों-गांवों से लोगों को लाया जाएगा जिसके लिए पटवारियों और पंचायत सचिवों की ड्यूटियां लगेंगी। आप उस रैली/जश्न के लिए सारी सरकारी मशीनरीज का उपयोग करेंगे लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं करेंगे।

यहां पर माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने जिस प्रकार से स्थानीय निकायों के चुनाव की नोटिफिकेशन का जिक्र किया कि नगर परिषद् का जो रिज़र्वेशन के लिए रोस्टर आता है उसके लिए डी0सीज0 के पास समय तय कर दिया गया कि आज तीन बजे ड्रॉ निकाला जाएगा। नगर परिषदों से उस ड्रॉ के लिए जब तीन-तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति जाते हैं तो रास्ते में ही उनको टेलीफोन आता है कि अब उसको पोस्टपोन कर दिया है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह किस प्रकार की सरकार चल रही है?

कांग्रेस पाटी वैसे भी जहां पर चुनाव हारती है वहां ई0वी0एम0 पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। परंतु पंचायती राज चुनाव में तो बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डाले जाएंगे, उस पर तो विश्वास कर लीजिए। परंतु इनको उस पर भी विश्वास नहीं है और ये बार-बार डिजास्टर का बहाना लेकर इन स्थानीय निकायों के चुनावों को टालना चाहते हैं। आपने नई नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगमों की नोटिफिकेशन कर दीं परंतु उसके बाद एक्ट में संशोधन कर दिया

26.11.2025/1505/av/HK/2

कि हम इनके चुनाव एक वर्ष तक नहीं करेंगे। उसमें कारण बताए गए कि हमारे पास भवन नहीं हैं और अधिकारियों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। परंतु जब आपने इस सरकार में शपथ ली थी तो इस प्रदेश के लगभग 1000 संस्थान डीनोटिफाई किए थे। आपने कहा था कि पूर्व सरकार ने ये संस्थान आनन-फानन में खोल दिए और इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। अब आपने जो नगर पंचायत से नगर परिषद बनाई उसको क्या आपने आनन-फानन में खोल दिया? सरकार को उसमें भी अपना मत स्पष्ट करना चाहिए।

हमारे पक्ष में बैठे साथी कह रहे हैं कि उत्तराखण्ड और हरियाणा में भी ऐसा हुआ था। हम दूसरे प्रदेशों की चर्चा न करते हुए अपने हिमाचल प्रदेश की चर्चा करें कि यहां पर हम

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब तक हमारी सारी सड़कें बहाल नहीं हो जातीं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपकी कौन-सी मशीनरीज सड़कें बहाल करने के लिए लगी हुई हैं? हम गांवों में जाकर देखते हैं कि सड़कें बंद हैं और उनको खोला नहीं जा रहा। आप यहां पर कह रहे हैं कि हम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि प्रदेश में आपदा के कारण दिक्कतें आई हैं। आपदा के कारण आपके पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पोस्टपोन हो सकते हैं लेकिन आपका तीन वर्ष का जश्न पोस्टपोन नहीं हो सकता। डिजास्टर एक्ट के अंतर्गत यह तय है कि सरकार को करोड़ों रुपया खर्च करके उस जश्न को मनाना है। वह जरूरी है लेकिन पंचायती राज चुनाव जोकि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत होने हैं, उसको आप टालना चाहते हैं और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा लम्बी बात न करता हुआ यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने सारी तैयारी कर ली है। आयोग ने जिलाधीशों को कह दिया है कि चुनाव से संबंधित सारी सामग्री अपने-अपने जिला को ले जाओ। इसलिए हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निकायों के चुनाव जल्दी-से-जल्दी होने चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूं।

आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

स**भापति :** अब इस विषय पर माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल भाग लेंगे।

श्री किशोरी लाल टी सी द्वारा जारी

26.11.2025/1510/टी0सी0वी0/वाई0के0/1

श्री किशोरी लाल : आदरणीय सभापति महोदय, श्री रणधीर शर्मा जी नियम- 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव सदन में लाए हैं। मैं इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। मैं पंचायतों के उस समय की याद दिलाना चाहता हूं

जब पंचायतों में आधार-भूत ढांचा नहीं था, पंचायतें बाहर बैठ कर काम करती थीं। पंचायत-घर नहीं थे, पंचायत सचिव नहीं थे और एक चौकीदार के सहारे पंचायतों का काम चलता था। पंचायतों की आय का साधन हाउस टैक्स 2 रुपये और 3 रुपये होता था जिससे पंचायतें काम करती थीं। वह भी एक समय था। लेकिन कांग्रेस सरकारों की वजह से पंचायती राज सुदृढ़ हुआ। पंचायतों में थ्री टायर सिस्टम आया। ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें बनीं । कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा काम महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर किया। आज ग्राम पंचायतों का प्रभार महिलाएं संभाल रही हैं। पंचायत समितियों की अध्यक्षा महिलाएं हैं। जिला परिषद की सदस्य और जिला परिषद अध्यक्षा महिलाएं हैं। यह सब कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए कानून की वजह से हुआ है जिसने महिलाओं के मान सम्मान को बढ़ाया।

सभापति महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव रोकने की कोशिश हो रही है और उसमें उन्होंने ओ0बी0सी0 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ओ0बी0सी0 की आड़ में चुनाव रोके जा रहे हैं। क्या ओ0बी0सी0 को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर इसके कारण चुनाव में थोड़ी देरी भी हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। ओ0बी0सी0 आरक्षण का विरोध आप ही नहीं हैं, इससे पहले भी इसका विरोध हुआ था जब श्री वी0पी0 सिंह जी देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय शांता कुमार जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। उस समय नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया तो प्रदेश में रेल गाड़ियां रोक दी गईं थीं, बसें रोक दी गईं थीं और हाहाकार मच गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी ओ0बी0सी0 की विरोधी है। इससे साफ होता है कि आप ओ0बी0सी0 का विरोध करते हैं। उसी विरोध को आज आप दोहरा रहे हैं कि ओ0बी0सी0 की आड़ में पंचायत चुनाव रोके जा रहे हैं।

26.11.2025/1510/टी0सी0वी0/वाई0के0/2

मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान) आपने अपने संबोधन में कहा है। आप उसे पढ़ कर देख लीजिए। ओ0बी0सी0 की आड़ में कोई चुनाव नहीं रोके जा रहे हैं, चुनाव तो होंगे। लेकिन

प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे जिन लोगों को नुकसान हुआ, जिनकी जानें गईं, जिनके घर चले गए, जिनके खेत तबाह हो गए, वे लोग हाहाकार मचा रहे हैं, क्या उनका पुनर्वास जरूरी नहीं है? अगर उस दृष्टि से चुनाव थोड़ा आगे भी बढ़ जाए तो उससे क्या हो जाएगा। अभी पंचायतों के चुनाव में 2 महीने का समय है तब तक तो आप इंतजार करते। आपको ऐसी क्या जल्दी लगी है? माननीय विधायकों के प्रश्न लगे हुए हैं। मेरा भी एक प्रश्न बड़ा भंगाल पंचायत से संबंधित है क्योंकि आज तक वहां सड़क नहीं है। लेकिन इन प्रश्नों को आपने उचित नहीं समझा जबकि ये जरूरी प्रश्न थे। ...(व्यवधान)

Chairman : Please don't disturb.

श्री किशोरी लाल : क्या काम रोको प्रस्ताव जरूरी था? इससे पहले 3 वर्ष तक तो आपके दर्शन नहीं हुए। तब तो आप बार-बार वॉकआउट करके बाहर चले जाते थे और न ही उन लोगों का जिक्र किया। आपने सदन में विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाई। आप अखबार की सुर्खियों में आने के लिए बार-बार बॉकआउट करते रहे।

Chairman : Hon'ble Member please address to the Chair.

श्री किशोरी लाल : सभापति महोदय, हमने पंचायती राज व्यवस्था देखी है। आज पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ हुई है तो वह कांग्रेस पार्टी की बदौलत हुई है। समय आने पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे, ओ0बी0सी0 को आरक्षण भी मिलेगा और नई पंचायतों का गठन भी होगा। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसलिए यह कहना कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं हो रहे हैं गलत है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अवश्य होंगे, सरकार इस पर विचार कर रही है। मैं यही कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति ... (व्यवधान)......

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी

26-11-2025/1515/NS-YK /1

सभापति : ...(व्यवधान) श्री रणधीर शर्मा जी आपके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। ओ0बी0सी0 के बारे में बोला है। ...(व्यवधान) आपके बारे में व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं बोला गया है। ...(व्यवधान) एक मिनट, बैठ जाइए। श्री रणधीर शर्मा जी आप बोलिए।

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, **धीरे-धीरे बिल्ली अपनी खाल से बाहर आ रही है।** अभी तो सत्ता पक्ष के विधायक ही बोल रहे हैं और ये मान गए हैं कि चुनाव आगे जा सकते हैं। जब तक मुख्य मंत्री जी व मंत्री जी की बारी आएगी तब तक पता नहीं चुनाव कितने आगे जाएंगे? मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री किशोरी लाल जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आप मेरा भाषण पढ़ लीजिए और सुन लीजिए। इसकी वीडियो शाम 05.00 बजे अपराह्न आ जाएगी। मैंने यह कहा कि शहरी निकाय जो संस्थाएं हैं उसमें ओ0बी0सी0 रिजर्वेशन के लिए चुनाव टाले गए। जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि लेटेस्ट सेंसिज के आधार पर रिजर्वेशन होती है। मैंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में भी ओ0बी0सीज0 को रिजर्वेशन देते हैं। जिन आंकड़ों के आधार पर हम पंचायती राज संस्थाओं में ओ0बी0सीज0 को आरक्षण देते हैं उन्हीं आंकड़ों के मुताबिक शहरी निकायों में रिजर्वेशन दे दें। उसके लिए दोबारा जनगणना की क्या जरूरत है? इसमें मैं कहां से ओ0बी0सी0 विरोधी हो गया? ...(व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए।

श्री रणधीर शर्मा : आप भाषण सुनिए। सभापति महोदय, मैंने यह कहा है कि जब पंचायती राज संस्थाओं में ओ0बी0सी0 आरक्षण है तो जिस जनगणना के आधार पर वह आरक्षण है तो उसी जनगणना के आधार पर शहरी निकायों में आरक्षण कर लो। अलग से जनगणना करने की क्या जरूरत है?

सभापति : श्री रणधीर शर्मा जी, आपका प्वाइंट ऑफ व्यू आ गया है। अब श्री इन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री इन्द्र सिंह : सभापति महोदय, नियम-67 के तहत श्री रणधीर शर्मा जी ने स्थगन प्रस्ताव लाया है और मैं उसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

26-11-2025/1515/NS-YK /2

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि नियम-67 के तहत अगर चर्चा लाई गई है तो इस पर खुले मन से बोलने देना चाहिए।

सभापति : माननीय सदस्य सभी को बराबर समय दिया जा रहा है और कोई घंटी नहीं बजाई जा रही है। आप जितना बोलना चाहते हैं आप बोलिए।

श्री इन्द्र सिंह : सरकार पर सीधा आरोप लग रहा है। सरकार ने कहा कि पंचायतों व नगर निगम के चुनाव समय पर नहीं होंगे। इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी का भी बयान आया। सुबह मंत्री जी का बयान आया और शाम को मुख्य मंत्री जी बोलते हैं कि चुनाव समय पर नहीं होंगे। इनकी करनी व कथनी में कितना अंतर है? क्या सरकार के मंत्रियों में तालमेल नहीं है? क्या मंत्रियों का सरकार के मुखिया के साथ तालमेल नहीं है? आप इससे हमें व जनता को भ्रमित न करें। अगर आप चुनाव करवाना चाहते हैं तो सही मायने में चुनाव सही दिन व सही समय पर होने चाहिए । आप यहां पर डिजास्टर का बहाना लगा रहे हैं कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है। कई साथियों ने कहा कि अभी कई लोगों के घर बनने हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप तीन महीने से कहां रह रहे हैं? माननीय सदस्य ने कहा कि कई लोगों की अभी गौशालाएं बननी हैं, लोगों के घर बनने हैं। मुख्य मंत्री जी ने मण्डी में जो आपदा राशि बांटी है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका नुकसान हुआ था। पिछली बार राजस्व मंत्री जी ने

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

26.11.2025/1520/RKS/Aजी-1

श्री इन्द्र सिंह... जारी

पिछली बार माननीय राजस्व मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है आप उनकी लिस्ट मुझे दीजिए और हम उन्हें मुआवजा देंगे। लेकिन शर्म की बात है कि आजतक उन लोगों को न तो कोई पैसा मिला और न ही उन्हें कोई घर दिए गए। आप जनता और अधिकारियों का जबरदस्ती शोषण कर रहे हैं। आप उपायुक्त महोदय और अन्य अधिकारियों से जबरदस्ती बुलवा रहे हैं कि अभी रास्ते ठीक नहीं हैं और गांवों में पानी की व्यवस्था भी पूरी तरह से सुचारु नहीं हुई है। लेकिन आंगनवाड़ी, प्राइमरी, मिडिल और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के बच्चे स्कूल जा रहे हैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वे किन रास्तों से स्कूल जा रहे हैं? यह सरकार चुनाव करवाने से भाग रही है और इन्हें डर है कि हम पंचायत चुनावों में बूरी तरह से हारेंगे। बल्ह चुनाव क्षेत्र में नगर निगम का चुनाव हुआ। हमारे पूर्व मंत्री श्री प्रकाश चौधरी जिस वार्ड से हैं वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी काफी वोटों से हार गया। वह इसलिए हारा क्योंकि आपने लोगों को जो गारंटियां दी थीं वे आपने पूरी नहीं की। हमारी भाजपा प्रत्याशी उस वार्ड से तीन सौ से अधिक वोटों से जीती। ये वोट उसने बिना घूमे-फिरे ही हासिल कर लिए। यह आपकी हालत है। आपने कहा था कि हम हर घर से गोबर उठवाएंगे। आप मुझे बताइए कि आपने किस किसान के घर से गोबर उठवाया? आपने किस महिला को पैसे दिए? आपने किस युवा को नौकरी दी? आपके झूठे वायदे चुनाव के समय सामने आने वाले हैं चाहे वह पंचायती राज का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो या फिर विधान सभा के चुनाव हो, आपका झूठा धंधा जनता के सामने निकल जाएगा। अब दूध का दूध और पानी का पानी

सामने आएगा। आपने बिहार में देखा होगा कि जो हिमाचल प्रदेश से स्टार प्रचारक वहां गए थे उन्हें वहां न तो धूप मिली और न छांव मिली। उन्हें वहां पर 6 का आंकड़ा मिला। वे छक्का लगाकर वहां से वापिस आ गए। इसी तरह की हालत आपकी हिमाचल प्रदेश में भी होने वाली है। यहां पर 68 सीटें हैं जिसमें से 60 बी0जे0पी0 और 8 काँग्रेस को आएगी। यह कड़वा सच है और आप इस बात को आज ही लिख लीजिए। आपने इस देवभूमि से अभद्र व्यवहार किया है। मैं वर्ष 2023 की बात करना चाहूंगा। मैंने जो पंचायती राज से डाटा लिया है उसके अनुसार जिस पंचायत में 200 घर हैं वहां आपने 185 डंगे लगा दिए। यह बड़सू पंचायत की बात है और मैं इसकी इंक्वायरी करवाना चाहता हूं। वे डंगे

26.11.2025/1520/RKS/Aजी-2

किसके नाम से लगे? वहां पर 200 घर हैं जहां 185 डंगे लगे हुए हैं। वहां की पंचायत का प्रधान पहले भी भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त था और इसके बारे में मैंन माननीय मंत्री को भी अवगत करवाया था। जब त्रासदी आई थी तो उस समय उसके घर से 26 सीमेंट के बैग मिले थे। वे बैग सैट होने वाले थे लेकिन जिनका नुकसान हुआ उन्हें वे बैग नहीं दिए गए। यह आप लोगों की हालत है। कल हारे नकारे पूर्व मंत्री जी से एक पंचायत भवन का उद्घाटन करवा दिया। वहां के प्रधान ने उद्घाटन पट्टिका में पहले पूर्व मंत्री का नाम लिखा और फिर अपना नाम लिखवा दिया। जो हमारा ए0पी0एम0सी0 का चेयरमैन श्री संजीव गुलेरिया है उसका नाम सबसे नीचे लिखा गया जबकि वह सरकार का व्यक्ति है। अगर आपने उसका नाम लिखा होता तो मैं मानता लेकिन ऐसे प्रोटोकोल का किसी को पता नहीं है। आपने कहा कि केंद्र सरकार से धनराशि जारी नहीं हुई। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वर्ष 2023 में जो 5 हजार करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी वह कहां गई? जो 198 और 200 करोड़ रुपये की राशि आई थी आप उसका हिसाब दीजिए। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। आप लोगों ने भी कई घोषणाएं की हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री और आयुष मंत्री जी ने घोषणाएं की हैं।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

26.11.2025/1525/बी.एस./ए.जी.-1

श्री इन्द्र सिंह जारी...

परंतु आज तक वह घोषणा पूरी नहीं हुई है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो घोषणा की है वह पैसा आएगा वे कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन वे आपसे पहले के पैसे का हिसाब जानना चाहते हैं। जो पैसा केन्द्र सरकार से आया है, वह पैसा आपने कहां डाला? आपने वहां डाला जहां पर 200 घर और 180 डंगे लगा दिए। मेरा सीधा आरोप है कि उस पैसे को खा गए। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस मामले की जांच करवाएं। वहां घर में 26 सीमेंट के बैक क्यों रखे गए थे और बाद में वे बरसात में सैट हो गए। मैंने कई बार मंत्री जी से आग्रह किया है परंतु आपकी यही व्यवस्था है। आपको मालूम है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि जो आपने लोगों को झूठी गारंटिया दी हैं वे ही आपको ले डूबेगी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे फोन में व्यस्त न हों, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनें। आप फोन को बंद कर दीजिए माननीय सदन में इसे चलाने की अनुमति नहीं है। सरकार को सच्चाई की ओर देखना चाहिए और मैं सच्चाई बोल रहा हूं। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में उप चुनाव हुए। वे चाहे उप प्रधान के चुनाव थे या वार्ड मेंबर्ज के चुनाव थे वहां पर हमने भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोगों को जिताया, वे क्यों जीते? क्योंकि आप लोगों के साथ झूठ ही बोलते आ रहे हैं। मुख्य मंत्री जी हरियाणा गए और वहां भी बोला कि हमनें 10 गारंटियां दी हैं। जब आपने बिहार की बात कही इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव समय पर होने चाहिए। इसके लिए लोगों ने तैयारियां कर ली हैं। आज रास्ते और सड़के खराब नहीं हैं। आपने पानी की व्यवस्था ठीक कर दी है और भवन भी ठीक कर दिए हैं। आज डिजास्टर में प्रभावित लोगों को चैक बांट रहे हैं, इसलिए वह सब ठीक हो गया है। परंतु जब संड़के और रास्ते नहीं थे तब भी चुनाव होते थे। मंत्री महोदय, आपका कथन ठीक है कि समय पर चुनाव होंगे परंतु मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि चुनाव ठहर करके होंगे। इसलिए आप आपस में बातचीत कर लें

और आपस में अंडरस्टेंडिंग बना लें और जनता को गुमराह न करें। मेरा आपसे एक और आग्रह है कि आपने चुनाव करने हैं या करने हैं?

26.11.2025/1525/बी.एस./ए.जी.-2

हमारी सरकार ने वर्ष 2020 से पहले बहुत पंचायतों का गठन किया था। माननीय जय राम ठाकुर जी ने आपनी सरकार में 406 नई पंचायतें बनाई थी। आप रट लगा रहे हैं कि हमनें अभी नई पंचायतों का गठन करना है। इसके लिए हमनें भी प्रस्ताव दिए हैं और लोग मुझे पूछ रहे हैं कि माननीय सदस्य आपने कितनी नई पंचायते बनानी हैं? अब आपकी सरकार है मैं लोगों को कितनी बताऊं? अब आपका कहना है कि नई पंचायतें नहीं बनेगी। परंतु मैं आदरणीय जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने 3216 पंचायतों में 406 नई पंचायतों का गठन किया इस तरह से 3632 पंचायतें बनी जिससे प्रदेश में पंचायतों में विकास की दर बढ़ी है।

मेरा आपसे निवेदन है जो आपने कहा था कि हम नई पंचायतें बना रहे हैं, हमने उसके लिए बहुत से प्रस्ताव दिए हैं और सरकार के कहने पर दिए हैं। आप लोगों को ठगने की बजाय उन पंचायतों का गठन कीजिए अन्यथा लोग आपको पंचायतों में आने नहीं देंगे। जिस तरह की आपने गारंटियां और घोषणाएं की हैं वे सब-की-सब झूठी हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पंचायतों के चुनाव समय पर होंगे तो उनके अच्छे परिणाम भी रहेंगे, हो सकता है कि उसका आपको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो इसलिए समय पर यह चुनाव होने चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, आपका घन्यवाद।

26.11.2025/1525/बी.एस./ए.जी.-3

सभापति : अब माननीय सदस्य चंद्र शेखर जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री चंद्र शेखर : आदरणीय सभापति महोदय, यह अति महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से इसे सदन में लाया गया है। मुख्य मंत्री, नेता सदन संवेदनशील हैं, ये हर चीज को गंभीरता से लेते हैं। आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने इस सदन में नियम-67 के तहत इस विषय को लाया है और उसी को चर्चा के लिए मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है। जो विपक्ष के मंसूबे थे जिसके तहत रणनीति तैयार हुई थी

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा द्वारा जारी.....

26.11.2025.1530.डी0टी0-ए.एस.-1

श्री चंद्र शेखर जारीः

विपक्ष की रणनीति तो यह थी कि आम जनता को यह बोला जाए कि पंचायत चुनावों को सरकार करवाना ही नहीं चाहती है, और विपक्ष ने इसके लिए अपनी गोटियां भी सैट करके रखी थी। शायद उनको उनके नेताओं द्वारा यह भी कहा गया हो कि किस समय यह गोटियां जनता के बीच फैंकनी है ताकि मामला फिट हो जाए लेकिन शाम ढलते-ढलते वह मामला फिट होने की बजाए उलटा पड़ता नजर आ रहा है। कोई भी ऐसा मुद्दा इनके पास नहीं है जिससे यह जनता के हितों को साधने में कामयाब हुए हों।

माननीय सभापति महोदय, वर्षाकालीन सत्र जो अगस्त माह के अंत में आयोजित किया गया था उस सत्र अढाई दिन आपदा में चर्चा होती रही। माननीय मुख्य मंत्री बार-बार नेता प्रतिपक्ष और पूरे विपक्ष से गुजारिश कर रहे थे कि भारत सरकार के पास चलते हैं। मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए यह समय प्रदेश को आगे बढ़ाने का समय है। आपदा के कारण हमारी जनता आपदा से हो रहे नुकसान में फंस रहीं है और उससे प्रदेश की जनता को बाहर निकालना है। अपने संसाधनों से आपदा

से प्रभावित लोगों के लिए जो धनराशि आम जनता के लिए बढ़ाई गई है वह अप्रत्याशित है और प्रशंसनीय भी है। आपदा के कारण पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों की देय राशि को 7 लाख रुपये किया गया। विपक्ष के लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे लेकिन। रिलीफ मैनुअल में जो चेंज लाया गया उसके ऊपर विपक्ष के लोग विचार ही नहीं कर सकते थे। यह सोच ही नहीं सकते थे कि कोई सरकार जिसे विरासत में 80000 करोड़ की देनदारियां पूर्व सरकार से प्राप्त हुई हो वह ऐसा भी कर सकती है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्य मंत्री के सामने इस प्रदेश की विकास की गति को निरंतरता के साथ आगे ले जाने की चुनौती थी और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन विपक्ष के हमारे साथी सोच रहे हैं कि वर्तमान सरकार ऐसा भी कर सकती है। जहां पिछली सरकारों में 1 लाख 30 हजार रुपया पूर्णत क्षतिग्रस्त मकान को बनाने के लिए दिया जाता था उसे 7 लाख रुपये कर दिया। आंशिक तौर पर जो मकान क्षतिग्रस्त हुए थे उनके लिए एक लाख रुपये की राशि का एलान किया। जिन घरो में रसोई घर को नुकसान हुआ उनके लए 70000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि आपदा में लोगों को दिए जाने वाला पैकेज अब कुल 8 लाख रुपये का हो गया। यह एक

26.11.2025.1530.डी0टी0-ए.एस.-2

ऐतिहासिक कार्य है जो वर्तमान सरकार ने कर दिया है। यह विचारणीय बात है कि जिस मुद्दे पर अढाई दिन सदन में चर्चा होती है उसके बारे में न सोच कर विपक्ष काम रोको प्रस्ताव इस सदन में लेकर आ जाता है। इन 60 दिन में इस प्रदेश ऐसी कौन सी मशीनरी आनी थी जिससे की जो आपदा से हुए नुकसान की भरपाई हो जाए। जो मकान आंशिक तौर पर टूट गये वे बन जाते। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र धर्मपुर की बात करना चाहता हूं। आपदा के कारण मेरे विधान सभा में 27 बसे बिल्कुल कंडम हो गई। उस डिपो में जहां पर कुल 53 या 55 बसें हों उसमें से अगर 27 बसें आपदा के कारण कंडम हो जाएं तो क्या स्थिति होगी? आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में बसों को टोटा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बसें आपदा के कारण कंडम हो गई है और अन्य विधान सभा क्षेत्रों में भी हुई होंगी। आज भी

बहुत सारी सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। 400-400 मीटर सड़कें गायब हो चुकी हैं जिनको रिटेन करने में रिसोर्स को मोबेलाइज किया जाए तब भी एक बड़ी टेढ़ी खीर है। यह कोई आसान कार्य नहीं है। उस समय प्रदेश में 1500 स्कूल और मेरे विधान सभा क्षेत्र में 51 स्कूल बर्बाद हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव क्षेत्र में 100 से ज्यादा स्कूल बर्बाद हुए हैं। इन स्कूलों में बूथ लगने हैं और वहां पर मत पड़ने हैं। अगर मैं अपने जिला की बात आपके समक्ष करूंगा तो लगभग डेढ़ हजार मकान क्षतिग्रस्त हैं। अभी भी वहां 38 लोग गायब हैं जिनका कोई अता-पता नहीं है। उन्हें स्वर्गीय कहने में सरकारी तंत्र और समाज पीछे हट रहा है। जो गायब हैं उन्हें हम कैसे स्वर्गीय कहें? उनका कोई अता-पता नहीं है। अप्रत्याशित तौर पर यह इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपये की घोषणा की जिसके लिए मुख्य मंत्री और पूरे प्रदेश की जनता ने उनका आभार व्यक्त किया है। हम उस राशि का इंतजार कर रहे हैं

श्री एन0जी0 द्वारा जारी....

26.11.2025/1535/ए.एस.-एन.जी./1

श्री चंद शेखर........जारी

कि केन्द्र सरकार से हमारे प्रदेश को कब राहत मिलेगी। उस राहत को प्रदेश की पंचायतों पर लागू किया जाएगा। सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री रण्धीर शर्मा ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अतिआवश्यक हैं। यह अधिकार हमें संविधान के 73वें संशोधन के तहत मिला है और यह हमारा व हमारी जनता का हक है। पंचायतों के चुनावों से लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। यह हमारा भी विश्वास है। लेकिन हमें यह देखने की आवश्यकता है कि पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, एस0डी0एम0, डी0सी0 व समूचा राजस्व विभाग इस समय एक ही कार्य पर लगा हुआ है। सरकार के समक्ष पूर्णतः व आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों का जो विशलेषण व आंकड़ा आया है, उसे इन्हीं

कर्मचारियों के माध्यम से वैरिफाई करवाया जा रहा है। इसके लिए तीन अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। जिसमें ब्लॉक का जे0ई0, पंचायत का सचिव व पटवारी को शामिल किया गया है। यह तीन सदस्यों वाली कमेटी गांव-गांव में घूम रही है। इन्हीं अधिकारियों को पंचायतों की वोटर लिस्ट का काम करना है। दिसम्बर माह में शीतकालीन स्कूलों के फाइनल एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। प्रदेश के लगभग 90 हज़ार शिक्षकों में से ही चुनावी ड्यूटी के लिए शिक्षकों को तैनात किया जाना है। इन चुनावों में लगभग 15 हज़ार पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा। ये सभी अधिकारी/कर्मचारी प्राइवेट बसों में नहीं जाएंगे और इनके लिए सरकारी बसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी तो प्रदेश के विभिन्न गांवों में पूर्व संचालित बसों को ही चलाने के लिए प्रदेश सरकार व संबंधित विभाग संघर्ष कर रहा है। कोई भी सरकार समय के अनुसार व विवेक के आधार पर फैसला करती है। प्रदेश सरकार चुनावों को टालने की मंशा से यह सब नहीं कर रही है। प्रदेश में डिज़ास्टर एक्ट लागू किया गया है।

26.11.2025/1535/ए.एस.-एन.जी./2

सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि वर्ष 2021 में पूरे देश में जनगणना का कार्य किया जाना था। इसके तहत सामाजिक ढ़ांचे का पता चलना था, आर्थिक विशलेषण होना था, ओ0बी0सी0, ट्राइब्स, नॉन ट्राइब्स व अन्य जातियों के लोगों की गणना की जानी थी और यह जनगणना जातिगत आधार पर की जानी है। अंतिम जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी और अब यह वर्ष 2027 में की जानी प्रस्तावित है। इसके अलावा पर्वतीय प्रदेशों में, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, यह जनगणना वर्ष 2026 में होनी तय है। इस प्रकार से भारत सरकार लगभग 15 वर्ष बाद यह जनगणना करने जा

रही है। हम सभी समझ सकते हैं कि यह बहुत बड़ा अभियान होगा और यही शिक्षक, पटवारी व सारा सरकारी तंत्र इस अभियान में काम करेगा।

सभापति महोदय, देश की सरकार एक मजबूत सरकार है। यह इतनी मजबूत सरकार है कि आज हम विश्व में तीसरे नम्बर पर होने का डंका पीट रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो अभियान वर्ष 2021 में लागू करना चाहिए था और उसे कोरोना के कारण टाला गया था, क्या वह कोरोना काल अभी तक चल रहा है? अब यह जनगणना वर्ष 2027 में होनी प्रस्तावित है। जिस मुल्क में 16 वर्षों के बाद जनगणना की जा रही है तो यदि उसी मुल्क में डिज़ास्टर के कारण 2-3 माह बाद चुनाव करवा दिए जाएं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में 3-4 गांव तो ऐसे हैं जो पूर्णतय बर्बाद हो चुके हैं। हम उन गांवों के लोगों को पुनर्वास करने के लिए एफ0आर0ए0-2006 के तहत जमीनें नहीं दे पा रहे हैं। पिछले सत्र के दौरान हमने इस बारे में चिंता व्यक्त की थी और हम सभी ने एक स्वर में कहा था कि यह आपदा अभूतपूर्व है। इसमें मानवीय नुकसान के साथ-साथ हजारों करोड़ रुपयों का माली नुकसान भी हुआ है। इसमें लोगों के घर व गांव-के-गांव समाप्त हो चुके हैं। मैं अपने क्षेत्र में इस बात को लेकर जूझ रहा हूं कि अपने लोगों को कहां पर बसाऊं।

26.11.2025/1535/ए.एस.-एन.जी./3

माननीय मुख्य मंत्री बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने हमारी आवाज़ को आवाज़ दी है। मैं नेता प्रतिपक्ष महोदय व विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि लोगों के लिए एफ0सी0ए0

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

26.11.2025/1540/पी0बी0/डी0सी0/1

श्री चन्द्र शेखर.... जारी

मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि लोगों के लिए एफ0सी0ए0 एक असुविधा है। यदि हम व्यक्तिगत तौर पर प्रैक्टीकली देखें तो जिस वक्त में हमने कोई सड़क बनानी है, जिस जगह पर पानी की योजना बनानी है, कोई स्कूल बनाना है उस समय हमारे अधिकारी कूद-कूद कर एफ0आर0सी0 को ढूंढ कर लाते हैं। जो गांव-गांव व वाड्र्स के अंदर फॉरेस्ट राइट्स कमेटियां बनी हैं उन्हें ढूंढ कर लाते हैं और उस प्रस्ताव को पारित करवाते हैं। एफ0आर0सी0 से पारित करवाकर एफ0सी0ए0 की पूरी-की-पूरी मंजूरी ली जाती है लेकिन जिस वक्त हमें लोगों को रिहेबिलिटेट करना है उसके लिए हमारा सदन मौन रहता है। आदरणीय राजस्व मंत्री लगातार इसे चेंज करने के लिए कह रहे हैं, मुख्य मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि पूरा- का- पूरा सदन दिल्ली चले। मैं तो कहूंगा कि मैं आदरणीय जय राम जी की अध्यक्षता में वहां चलने के लिए तैयार हूं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा की इस तरह का प्रस्ताव लाया जाए जिसमें हम भारत सरकार के समक्ष यह बात रखें कि हमें रिहेबिलिटेशन के तहत जिन लोगों के घर बनाने हैं, जिसमें वर्ष 2023 के प्रभावित लोगों के घर अभी तक लंबित पड़े हैं और जिन्हें हम ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं तथा उनके पास घर बनाने के लिए जमीनें नहीं है। दूसरी तरफ हम इस बात का डंका पीट रहे हैं, हम यह जोर-जोर से कह रहे हैं कि हम आपदा से निपट चुके हैं। हम आपदा से कैसे निपटे हैं? हम आपदा से तब तक नहीं निपटेंगे जब तक लोगों को घर नहीं दे पाएंगे। आदरणीय जय राम जी के विधान सभा क्षेत्र के अंदर लगभग पौन चार सौ घर बर्बाद हुए हैं। ऐसी कोई पंचायत नहीं होगी जिसमें बर्बादी नहीं हुई है, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो बर्बाद नहीं हुआ है। स्कूल आंशिक तौर से लेकर पूर्णतः खत्म हो चुके हैं। सभापति महोदय, क्या यह संवेदनशील विषय नहीं है? क्या पंचायती राज चुनाव को लेकर किसी के जहन में कोई शंका है? मुझे लगता है इसमें कोई शंका नहीं है और मजेदार बात यह है कि यह चुनाव राजनीतिक प्रणाली के आधार पर नहीं होते हैं। यह चुनाव बिना सिंबल के होते हैं और इसका कोई पता नहीं होता कि कौन जीतता है और यह परिणाम किसके पक्ष में जाता

है। अधिकांश जीते हुए प्रधान सरकर के साथ कम करना चाहते हैं। जनता भी यही देखती है कि सरकार किसकी है और उसी के दल के लोगों को वोट देती है। मेरा और सभी का यह संकट होता है कि अपनी पार्टी के पांच-पांच उमीदवार न खड़े हो जाएं। हम केवल इसी संघर्ष में लगे रहते हैं कि एक उमीदवार चुनाव में खड़ा हो ताकि चुनाव अच्छे से संपन्न हो। हम इस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार यह कहीं

26.11.2025/1540/पी0बी0/डी0सी0/2

से भी राजनीति का विषय नहीं है। इसमें एक ही विषय है कि मनरेगा के तहत रिहेबिलिटेशन होनी है। जैसा माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह गांधी जी ने कहा कि एक गांव में 250 डंगे लग गए। श्री इन्द्र सिंह गांधी जी जिस हिसाब से आपदा आई है उस हिसाब से 250 तो क्या 500 डंगे लगेंगे। हर घर के आगे और पीछे दोनों जगह डंगा लगना चाहिए। इस तरह से तो हज़ारों डंगे लगने चाहिए। मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह पहली बार हुआ कि प्रदेश की मां-बहनों, बुजुर्गओं और नौजवानों को 150 दिन काम करने के लिए दिए हैं। यह इसलिए दिये हैं ताकि हम अच्छे से अपने गांव की बसावट को फिर से वापस ला सकें, उन रस्तों का निर्माण कर सके। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जो विपक्ष के लोग बैठे हैं मैं इनसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस मनरेगा का गला घोंटा जा रहा है। जो मनरेगा स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने वर्ष 2005 में इस मुल्क को सौंपा था वह मनरेगा नहीं बचा है। आप सभी विधायक हैं क्या आपको मालूम नहीं है कि जो नई चिट्ठी आई है, मैंने माननीय मंत्री, सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर साहब से इस बारे में बात की है कि यह कौन-सी चिट्ठी आ गई है? इस चिट्ठी में कहा गया कि जो प्राइवेट सैक्टर बद्दी, नालागढ़ या दिल्ली में कहीं फैक्टरी में नौकरी कर रहा है तो उसकी सैलरी स्लिप लाओ। सैलरी स्लिप दिखाने पर ही उसे मनरेगा के कार्ड की अप्रूवल मिलेगी तब जाकर वह मेरी मां-बहन मनरेगा में काम करेगी। यह कैसी चिट्ठी आ गई? दो साल पहले भारत सरकार से यह चिट्ठी निकली कि सुबह नौ बजे अपनी हाजरी दिखाओ और पांच बजे फिर अपनी हाजरी दिखाओ। हाजरी स्कूलों और दफ्तरों में नहीं दिखाई जाती लेकिन मनरेगा में काम करने वाली मेरी बहनों को कहा जाता है कि आपका सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे फोटो लिया जाएगा। इस जी0आर0एस0 और जी0पी0एस0 में ही गांव की बहनों को उलझा कर रखा जाता है। चर्चा का विषय तो यह है कि.........

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

26.11.2025/1545/D.C./A.P/01

श्री चंद्र शेखर जारी ....

यदि हमें ग्रामीण पंचायती चुनाव व्यवस्था पर चर्चा करनी है, तो यह इस समय और आपदा की स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1800 डंगे प्रस्तावित हुए हैं। यदि ये सभी अभी नहीं लगने हैं, तो क्या यह मार्च -अप्रैल में लगेंगे? माह मार्च और अप्रैल में तो अगली आपदा की तैयारी शुरू हो जाती है। हमें जो यह समय मिला है माह नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी इसी समय में हमें आपदा से बाहर निकलने के रास्ते खोजने हैं।

यहां राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही हैं और भाषण दिए जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सदन को आपदा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। प्रदेश की जनता ने हमसे बहुत-सी उम्मीदें लगाई हैं। सड़कों को बहाल करना है, स्कूलों के कई कमरे टूटे पड़े हैं। मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के 51 स्कूल टूटे हुए हैं, उनके लिए मुझे भी बजट चाहिए ताकि उन्हें पुनः बहाल किया जा सके। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि मुझे सब हैल्थ सैंटर और सी0एच0सी0 को बहाल करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाए। यह चुनौती केवल मेरे सामने नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता और पूरे सदन के सामने है। इसलिए पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए। 15—20 दिन आगे-पीछे करने से हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन संवेदनशीलता दिखाना आवश्यक है। जब देश की जनता मतगणना का 16 साल इंतजार कर सकती है, जब देश की ब्यूरोक्रेसी नई नीति और आकलन के लिए भारत सरकार की चिट्ठी का 16 साल इंतजार कर सकती है, तो हमारे नेता भी 60—70 दिन जनता की तकलीफों पर ध्यान दें।

मेरी जनता ने मुझे धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र से चुना है। मैं अपनी जनता के साथ खड़ा हूं। उनके टूटे हुए हौसलों को पुनः खड़ा करने के लिए ही सदन में खड़ा हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में कोई गतिरोध न हो और अप्रिय घटनाएं न घटें। पंचायती राज चुनाव के नाम पर जो संघर्ष यहां लाया गया है, उसे यहीं समाप्त किया जाए ताकि प्रदेश में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से

26.11.2025/1545/D.C./A.P/02

हो सकें। चुनाव राजनीतिक आधार पर न हो, बल्कि गले से गला मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर चुनाव हो। सबको शुभकामनाएं देते हुए, धन्यवाद।

श्री इन्द्र सिंह : सभापति महोदय, माननीय विधायक धर्मपुर ने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि 185 डंगे लगाए गए, जिनमें लगभग 200 घर थे। मैंने कहा कि मनरेगा में बढ़ता भ्रष्टाचार है। जैसे उन्होंने कहा कि हाजिरी सुबह-शाम लगनी चाहिए। यदि उस पंचायत में 185 डंगे लगे होते, तो प्रधान ने 26 बैग अपने घर में रखवा दिए, लेकिन आपदा में जिनका नुकसान हुआ था उन्हें नहीं दिए गए। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन उन्हें निलंबित अभी तक क्यों नहीं किया जाता? इसलिए आप सही कहते हैं कि 1800 डंगे लगाए गए हैं, लेकिन आपने 1800 पेड़ भी कटवाए हैं। इस पर भी जांच होनी चाहिए।

26.11.2025/1545/D.C./A.P/03

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदय, यह चर्चा नियम-67 के अंतर्गत सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी द्वारा लाई गई है। मैं इसमें स्वयं को सम्मिलित करता हूं। इस चर्चा के माध्यम से मैं भी प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि संविधान ने जो अधिकार जनता को दिए हैं, उन्हें छीनने का प्रयास न किया जाए। यह कहना बेइमानी होगी कि जिस सरकार के समक्ष हम चर्चा कर रहे हैं, ये वही सरकार है जो संविधान को बिल्कुल नहीं मानती। यह वही सरकार है जिसने दिनांक 11 दिसंबर, 2022 को शपथ ली और दिनांक 12 दिसंबर, 2022 को पहला निर्णय लिया कि पिछली सरकार के केवल चार वर्षों के निर्णय ही मान्य होंगे।....

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

26.11.2026/1550/AT/HK -01

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी...

इन्होंने 11 दिसंबर को शपथ ली और 12 दिसंबर को जो पहला निर्णय लिया, जिस निर्णय के तहत इन्होंने कहा कि जो पिछली सरकार थी उसके केवल चार वर्ष के निर्णय ही मान्य होंगे, पांचवें वर्ष का कोई निर्णय मान्य नहीं होगा। जबकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि जब भी कोई सरकार चुनी जाएगी, वह पांच वर्ष तक काम करेगी और पांचवें वर्ष का अंतिम दिन भी पूर्ण रूप से मान्य होगा। लेकिन क्या किया इन्होंने? बड़े-बड़े भाषण दे रहे थे भाई चंद्र शेखर जी भी ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे थे लेकिन संविधान की वह बुक कहां गई? और जिस पहले नोटिफिकेशन के तहत आपने हिमाचल प्रदेश में ढाई हजार इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए। संविधान ने तो पांच वर्ष का पूरा अधिकार चुनी हुई सरकार को दिया था, उस समय उनको पूरा बहुमत था। आप लोग संविधान की बात कर रहे हैं, आप हमें

संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अगर संविधान की दुहाई देनी है तो आप जरा कुछ दिन पहले के जो पत्राचार इलेक्शन कमीशन के साथ हुए हैं, उन्हें देखिए। आज संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस पर यह सरकार कितना बड़ा झूठ बोल रही है। जरा चंद दिन पहले के पत्राचार में आप देखिए चुनाव जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन एक कांस्टीट्यूशनल बॉडी है। यह संविधान के तहत बनी है और जो कांस्टीट्यूशनल बॉडी है उसकी आप एक नहीं सुन रहे हैं। जब हमने कहा कि सरकार ने अपने डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया है कि आप चिट्ठी भेजिए कि हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं। डिप्टी कमिश्नर चिट्ठी भेजते हैं और उसके ऊपर मंत्री जी जवाब देते हैं। सरकार चुनाव टालना चाह रही है और मंत्री जी कह रहे हैं कि चुनाव समय पर होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर से तीसरे दिन आते हैं और कहते हैं चुनाव समय पर होंगे। इसके बाद क्या हुआ? आज क्यों चुप बैठे हैं? आप आज कैसे मान रहे हैं कि चुनाव आगे जा रहा है? हमने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा संविधान को मानने की नहीं है। यह सरकार अपनी सुविधा के अनुसार हमारी संवैधानिक संस्थाओं को चलाना चाहती है। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त कभी गवर्नर साहब के पास जा रहे हैं तो कभी सरकार के दरवाज़े पर पहुंच रहे हैं कि चुनाव करवाइए । उससे पहले चीफ सेक्रेटरी का एक लेटर प्रदेश सरकार ने लीक किया। कैबिनेट ने तो निर्णय चार दिन बाद किया, लेकिन चीफ सेक्रेटरी का लेटर किसने लीक किया था? क्यों

26.11.2026/1550/AT/HK -02

लीक किया गया? और किस मंशा के साथ लीक किया गया। जिस पर लिखा था कि डिप्टी कमिश्नर ने लेटर भेज दिया है इसलिए गवर्नमेंट चुनाव को आगे ले जा रही है। जबकि चीफ सेक्रेटरी पहले ही लिख चुके थे। तो कैबिनेट ने क्या निर्णय लिया? वह तो आपका कागज सारे सोशल मीडिया में घूमता रहा। सभापति महोदय, इसलिए मैं कहता हूं कि यह सरकार झूठ के सहारे टिकी है। झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित कर रही है। क्योंकि डिज़ास्टर कब आया? जिस एक्ट का हवाला आप दे रहे हैं, वह कब आया? जुलाई, 2025 के आखिरी में यह आया था। लेकिन प्रक्रिया कब शुरू हुई? परंतु दिसंबर 2024 में

यह प्रक्रिया शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने के लिए एक वर्ष का समय लेता है। जब आपका चुनाव का प्रोसेस आधा हो चुका था आपके वैलेट पैपर पब्लिश हो गए थे तब आप कह रहे हैं कि डिज़ास्टर आ गया और अब डिलिमिटेशन नहीं हो पाई। जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, वह तो डिज़ास्टर से पहले ही पूरा हो चुका था। कट-ऑफ डेट भी उससे पहले पूरी हो गई थी। आप किसे मूर्ख बनाना चाहते हैं? यह आपका लेटर है, मैं आपके समक्ष एक लैटर जो कि 1 मई 2025 का है और उसमें जो रेलीवेंट पैरा है, मैं उसकी रेलीवेंट लाइनें पढ़ना चाहूंगा 'The Commission has already requested the Panchayat Raj Department to complete the re-organization and delimitation of wards of Panchayati Raj Institutions by 30.06.2025.' तब तक डिज़ास्टर आया नहीं था, और उसके बाद सभापति महोदय यह रिमाइंडर था। Vide letter No.SEC(F)1-45/2024 dated 02.12.2024, which was re-emphasized in the meeting held on 01.01.2025 with the Secretary (Panchayati Raj) to the Government of Himachal Pradesh. The process was started on 2.12.2024. डिजास्टर जुलाई, 2025 को आया.......

एम0डी0द्वारा जारी....

26-11-2025/1555/HK/MD/1

श्री राकेश जम्वाल जारी---

डिजास्टर जुलाई, 2025 को आया तो चुनावों को आगे ले जाने का यह कैसा बेस हो सकता है। दूसरा सभापति महोदय, एक लैटर और है। विडम्बना देखिए, मैं कह रहा हूं कि संविधान की दुहाई देने वाले इलैक्शन कमीशन ने जिलाधीशों को चिट्ठी जारी की कि अपने बैलेट पेपर ले जाइए। अपना चुनाव का मटीरियल ले जाइए। लेकिन हमारे डिप्टी कमिश्नर्ज सरकार के इशारे पर इलैक्शन कमिशन में अपना मटीरियल कलैक्ट करने के

लिए नहीं गए और इलैक्शन कमीशन ने रिमाइंडर जिलावाइज भेजा कि आप कब आएंगे, अपना सारा मटीरियल ले जाइए। यह सरकार कहती कि हम संविधान को मानते हैं। संविधान के अनुसार जितने भी क्रिएटिड इंस्टीट्यूशन्ज हैं, उनको मानते है। आप देखिए, यह जो डेट इलैक्शन कमीशन ने दी है यानी हर जिला को जिसके तहत एक चिट्ठी लिखी है कि 'All the District Election Officers (Panchayat)-cum-Deputy Commissioners Himachal Pradesh regarding Supply of Election materials and Ballot Papers.' और उसके तहत जो डेट्स दी हैं उसमें केलाँग, काजा और किन्नौर 15 नवम्बर को रिसीव करेंगे। इसके अतिरिक्त चंबा और ऊना 17 नवम्बर, शिमला 18, कांगड़ा 19, मण्डी 20, सोलन और सिरमौर 21 तथा बिलासपुर व हमीरपुर 22 नवम्बर को रिसीव करेंगे। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा क्योंकि इलैक्शन कमीशन कह रहा है कि बैलेट पेपर बन गए हैं। आप बैलेट पेपर और चुनाव से संबंधित अपनी सारी सामग्री ले जाइए। This government misuses public money. बैलेट पेपर बन गए, सारा मटीरियल बन गया, फिर सरकार कहां सोयी थी? अगर डिजास्टर 6 जुलाई को आया था तो क्या ये इलैक्शन कमीशन को सीधा नहीं कह सकते कि हम चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है। जब सारा बैलेट पेपर छप गया, सारा प्रोसैस कंप्लीट हो गया, इलैक्टोरल फाइनेलाइज होकर पब्लिश भी हो गया और इलैक्टोरल पब्लिक डोमेन में लग गया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन तो 30 मई को समाप्त हो गई है। अब जब यह कैबिनेट ने निर्णय लिया, देखिए कैसा निर्णय है। पहला नम्बर तो यह है कि यह जो पैसा बेस्ट हुआ है यह किसके खाते में जाएगा? दूसरा, जब ये यह कह रहे हैं कि हम डीलिमिटेशन दोबारा करेंगे फिर मैं तो यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन ऐसे सलाहकार और बुद्धिजीवी हैं जो यह कह रहे हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन दोबारा करेंगे। अब अगर रीऑर्गेनाइजेशन दोबारा होगा तो आपका प्रोसैस फिर से एक वर्ष लेगा। आप इलैक्शन में हर चीज चाहे वह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है या चाहे हमारा

26-11-2025/1555/HK/MD/2

पंचायती राज एक्ट है, इस एक्ट में हर चीज डिफाइन है कि ऑब्जैक्शन के लिए 15 दिन देने हैं तो वे देने ही पड़ेंगे। अभी माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर कह रहे थे कि एक-दो

महीने आगे जाएगा। यह संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था में आप एक लिमिट तक कर सकते हैं लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते। अब इतना पैसा जो खर्च हो गया, आप एक तरफ कह रहे हैं कि पैसा नहीं है और दूसरी तरफ आपका जो एक्शन है क्योंकि कहने की बात नहीं है, 'Actions speak louder than words.' क्या हुआ इस पैसे का, किसका पैसा जा रहा है और इस पैसे का टैक्स पेयर कौन है? कह रहे हैं कि डंगे लगाने है, अगर डंगे लगाने है तो इस पैसे से डंगे भी लग सकते थे। लेकिन माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि जब हमारे ही फंड नहीं मिल रहे तो बाकी कहां जाएंगे। अब आप बताइए कि जो इतनी फिजूल खर्ची हुई, उसका जिम्मेवार कौन है? इसलिए सभापति महोदय, यह सरकार सोचती नहीं है। इनका रिस्पोंसिबल व्यवहार नहीं होता। चुनाव होंगे या नहीं होंगे, उस बारे में मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी की एक समान स्टेटमैंट होनी चाहिए थी। अगर उस दिन इनके दिमाग में क्लेरिटी होती तो शायद इतनी ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं होती। दूसरे, ये अभी कह रहे थे कि हमारा तीन वर्ष का विज़न मण्डी में आएगा। एक तो 3 वर्ष बीत गए और तीन वर्षों के बाद इनको विज़न की याद आई। -----

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

26.11.2025/1600/केएस/वाईके/1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी ---

दूसरे, ये अभी कह रहे थे कि यह हमारा 3 साल का विज़न मण्डी में आएगा। एक तो तीन साल के बाद इनको विज़न की याद आई और तीन साल का विज़न कब दिखाओगे? अगर आपकी बात मान लें जो आपने पहले दिन कहा है तो आपका तो एक साल ही बचता है। एक साल के लिए कौन सा विज़न? मैं कहना चाहूंगा कि सारी कांग्रेस, कांग्रेस का जो बेस है वह केवल झूठ पर टिका है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भाई रणधीर शर्मा जी कह रहे थे कि आप तीन साल का जश्न मना रहे हैं तो उधर से कहा जा रहा था कि तीन

वर्ष का जश्न नहीं विज़न का है। लेकिन जो प्रोसीडिंग आपके अधिकारियों ने छापी है, आपने छापी है, ज़रा नज़र तो घुमाएं कि उसमें आपने लिखा क्या है? क्योंकि आपकी प्रोसीडिंग ही आपका आईना है अतः उसके ऊपर नज़र डालें। आपका विज़न तो वहीं से दिख जाएगा। विज़न में क्या लिख रहे हैं 'Minutes of Meeting held under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister H.P. on 12.11.2025 at 12.30 PM regarding preparation for the Celebration of Three Years of State Government.' ये विज़न है। मैंने कहा झूठ, वह भी इस हाउस के अंदर, वह भी रिस्पोंसिबल व्यक्तियों द्वारा, वह भी हम सबके सामने और आज के ही दिन जिस दिन हम संविधान दिवस मना रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आप क्या कहना चाहते हैं? सभापति महोदय, यही कारण है कि जब से इस सरकार ने और केंद्र में आपकी पार्टी ने संविधान बताना शुरू किया है, तब से आपकी पार्टी केवल तीन राज्यों में सिमट कर रह गई है। देश की जनता को संविधान समझ आ गया लेकिन कांग्रेस पार्टी संविधान की परतें नहीं खोल पाई। ठीक कहा गया था कि बिहार में तो सारे बोलेरो में ही आ जाओगे। कर्नाटक भी जा रहा है। जब से देश की जनता ने संविधान पढ़ना शुरू कर दिया, देश की जनता को संविधान समझ आ गया, देश की जनता एजुकेटिड हो गई, जो नया ईरा आया है, उसने जब विकास देखा कि विकास होता क्या है, जब देश की जनता मोबाइल के माध्यम से अच्छाई और बुराई को जानने लगी तब कांग्रेस तीन राज्यों में सिमट कर रह गई, यह मैं इस माननीय सदन के अंदर दावे के साथ कह रहा हूं। जिन लोगों की तरफ आप ऊंगली उठा रहे हो, 20 राज्यों में उनकी सरकार है और केंद्र में हमें लगातार 15 वर्ष हो जाएगें तथा इससे 15 वर्ष और आगे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार

26.11.2025/1600/केएस/वाईके/2

चलती रहेगी। दो साल बाद एक राज्य से आपकी सरकार और कम हो जाएगी। सभापति महोदय, जो यह प्रोसीडिंग है, मैं इसके अगले पार्ट में आ रहा हूं और आप देख लीजिए कि इसमें क्या-क्या लिखा है? सारे डिप्टी कमिशनर्ज़ 'on toe' है for this celebration, डिजास्टर के लिए नहीं है यह सेलिब्रेशन के लिए है। भाई चंद्र शेखर जी कह रहे थे कि

डिजास्टर के लिए है। सेलिब्रेशन भी चंद्र शेखर जी के जिले में हो रही है जहां से वे इकलौते सदस्य जीत कर आए हैं। क्या ये सेलिब्रेशन का विरोध करेंगे, क्या उस सेलिब्रेशन को नकारेंगे? क्या ये कहेंगे कि सेलिब्रेशन का पैसा मेरे डंगों में लगाया जाए? जहां सबसे ज्यादा डिजास्टर हुआ, वहां सेलिब्रेशन रखी गई, यह इस सरकार की नैतिकता है। कुछ तो शर्म होनी चाहिए, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। अगर प्रदेश डिजास्टर से गुज़र रहा है तो सरकार में थोड़ी सी नैतिकता होनी चाहिए लेकिन नैतिकता की हदें तो तब पार होंगी जब आप पांचवें पैरे में आएंगे। ये Minutes of Proceeding हैं जिसके तहत मैं रिलेवेंट पढूंगा नहीं तो उसमें काफी चीजें ऐसे ही हैं। जो आपने सारे डी.सीज़. को एक्शन के लिए कहा है, Action by GAD - The theme for the function will be "व्यवस्था परिवर्तन के तीन साल"। कहां है वह आपका विज़न का डॉक्युमैंट? यह आपका थीम है और इस थीम में लिखा है कि....

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.11.2025/1605/av/YK/1

श्री त्रिलोक जम्वाल---------- जारी

यह आपका थीम है और इस थीम में लिखा है कि 'in which the new initiatives and achievements of various Departments w.e.f. 01.01.2023 to 05.12.2025 will be showcased.' आपने किया क्या, आप तो रोते ही रहे; आपने अपने तीन वर्ष का यह बताना। आगे लिखा है कि Action by Administrative Secretaries/IPR - The Stage

(including main stage, dais for VIP/dignitaries, dais for officers, media box and small stage for cultural performance etc.), आपका वह विज़न कहां गया? कल्चरल प्रोग्राम, गाना-बजाना तथा सेलिब्रेशन होंगी। कहां, जहां पर पर सबसे ज्यादा डिजास्टर आया है। इसमें यह स्पेशल लिखा है कि 'seating and proper barricading will be arranged by the District administration with the help of Department of HPPWD and JSV. LED Screens will be created at the venue and other prominent locations and PA system will be installed.' ताकि पूरी मण्डी को वह डांस दिखाया जा सके। यह आपका व्यवस्था परिवर्तन है और ये डिजास्टर का बहाना लगाकर पंचायती राज चुनाव से भाग रहे हैं।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

सभापति महोदय, मैं एक रेलेवेंट पैरा पर फिर से आ रहा हूं कि 'The District Administration will ensure adequate number of mobile toilets and drinking water at appropriate point. It will also ensure that the venue of function is kept clean and tidy before and after the function.' इसका पांचवा रेलेवेंट प्वाइंट यह है कि 'All the beneficiaries who have availed the benefits of the Government schemes will be invited in the event. This will be decided by the High Power Committee in consultation with the concerned Deputy Commissioners. Besides this, all the social activist, padam shree award winners etc. will also be invited in the event. It would be responsibility of the concerned Departments to facilitate their transportation to the event. पूरी सुविधाएं चाहिए तभी सभा स्थल पर पहुंचाने। The number of beneficiaries to be honoured may be estimated in advance and all the Deputy Commissioners to ensure to keep the number within manageable limits. The Transportation facilities will be provided by arranging HRTC buses.

26.11.2025/1605/av/YK/2

रूट बंद हैं और चार दिन आगे भी बंद रहेंगे। वहां एच0आर0टी0सी0 के लोग आएंगे या नहीं आएंगे; इसका मुझे पता नहीं है। वे आप लोगों को बार-बार याद कर रहे हैं और 85 वर्ष

की आयु में भी याद कर रहे हैं। In each bus, nodal officer will be deployed. Food packets and drinking water will be provided to the beneficiaries in the buses itself or at the venue before start of the function. आधा पहले दे देना और आधा फंक्शन में पहुंचने के बाद देना। Expenses on food packets/water bottles will be borne by the Revenue Department from Disaster Management. यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। प्रदेश में डिजास्टर है और हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन जिस डिजास्टर के पैसे के लिए बार-बार मांग की जाती है, अगर उसको ऐसे फंक्शन्ज के लिए यूज़ किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध भी करेगी। डिजास्टर का पैसा उनको मिलना चाहिए जिनके घर गए हैं। वह पैसा सरकारी फंक्शन पर क्यों खर्च किया जाए?

Speaker : Please, confine yourself to the Panchyati Raj Institutions.

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, जो उधर से जवाब आया है मैं उस पर प्रश्न कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि विज़न है तो मैं सरकार का 'विज़न' बता रहा हूं। इसलिए यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर इसकी पेमैंट डिजास्टर के पैसों से होती है यानी वहां पर डिजास्टर का पैसा लगता है तो हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य इससे ज्यादा और क्या हो सकता है?

अध्यक्ष : डिजास्टर पर भी डिस्कशन लगी हुई है और आप इसके बारे में उस समय चर्चा कर लेना। अभी आप पंचायती राज के चुनाव पर बोलिए।

श्री त्रिलोक जम्वाल **टी सी द्वारा जारी**

26.11.2025/1610/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर थोड़ी-सी क्लेरिफिकेशन दे रहा था कि संविधान कैसे बचाया जा सकता है।

अध्यक्ष : कैसी क्लेरिफिकेशन, वह तो आज सुबह ही माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने दे दी है। आप तो इसके फंक्शन पर चले गए और जो आपका इश्यू है, आप उससे डेविएट हो गए हैं। It means that you are concerned about the function. आप पंचायती राज संस्थाओं पर नहीं बल्कि किसी और विषय पर चर्चा कर रहे हैं। You are giving that impression in the House.

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और उनमें वोटिंग राइट का अधिकार हमें संविधान देता है। यह सरकार उस संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को छिनने का प्रयास न करें। वर्तमान सरकार समय रहते चुनाव करवाएं क्योंकि हमारे पास कई लोग आते है और कहते हैं कि 4-4 सूट सिलाए और फील्ड में काम करते हुए 2-2 महीने हो गए हैं। हमारी तो कमर भी टेढ़ी हो गई है लेकिन सरकार ने चुनाव आगे बढ़ा दिए हैं। उनको संविधान ने जो अधिकार दिया है, उसको मत छिने। आज हम संविधान दिवस भी मना रहे हैं। इसलिए कृपया करके चुनाव को जल्दी से करवाएं। अगर यह प्रोसैस डि-लिमिटेशन से शुरू होगा तो इसमें पूरा एक साल लगेगा। आप कुछ महीने पहले जो अमैंडमैंट लाए थे, वह आप दो साल तक लागू नहीं कर पाएंगे और यह जो प्रस्ताव भाई रणधीर शर्मा जी ने लाया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण दिया और बहुत-सारी बातें कही हैं। मैं उनको करैक्ट करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2500 संस्थानों को बंद किया है, यह गलत है। हमारी सरकार ने लगभग 900 संस्थानों को बंद किया है। ये 2500 संस्थानों को बंद करने की बात कर रहे थे जबकि 2500 संस्थान तो आपकी सरकार ने 2017 से 2022 तक खोले थे। ...(व्यवधान)

Speaker: No interruption please.

26.11.2025/1610/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, साढ़े चार साल तक तो इन्होंने कोई काम नहीं किया और जब इनकी सरकार की जाने का समय नजदीक आ गया तो इन्होंने 900 संस्थान खोल दिए। यदि मैं श्री त्रिलोक जम्वाल जी की बात मान भी लूं तो क्या 2500 सरकारी संस्थान इन्होंने अपनी सरकार के आखिरी छह महीने में खोलें हैं। क्या किसी सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी समय में 2500 संस्थान खोलें हैं? मैं कहना चाहूंगा, नहीं खोलें। जो संस्थान हमारी सरकार ने बंद किए हैं वे संस्थान आपकी सरकार ने एक अप्रैल, 2022 के बाद खोले थे। उन संस्थानों के लिए वित्त विभाग से कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी और न ही उनके कोई पैरामीटर्ज थे तथा ये संस्थान राजनीतिक आधार पर खोले गए थे।
दूसरा, जब इनकी सरकार के जाने के सिर्फ छह महीने रह गए थे तो श्री जय राम ठाकुर जी ने महिलाओं के लिए बस किराया 50 प्रतिशत कर दिया। आपने इसको सरकार बनने के बाद क्यों नहीं किया? आपने आखिरी छह महीने में बिजली के 125 यूनिट सभी के लिए फ्री कर दिए। हमने उसको कैंसल नहीं किया लेकिन इस फैसल के कारण इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को लगभग 1200 करोड़ रुपये का सालाना घाटा हो रहा है। आज इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्ज़े में डूबा है। आज एच0आर0टी0सी0 को सरकार 700 करोड़ रुपया साल का दे रही है और वह भी कर्ज़े में डूबा हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्ता में वापिस आने के लिए ये किस तरह से डैसपरेट थे। इनको इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि सरकार के पास पैसा है या नहीं है। आपने आखिरी महीनों अम्रुत महोत्सव के माध्यम से 68 विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में सरकार के पैसों का दुरुपयोग लोगों को सरकारी बसों के द्वारा एकत्रित करने व भाजपा के झण्डे लगाने पर खर्च किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी को एच0आर0टी0सी0 के 8 करोड़ रुपये देने हैं। जो इन्होने ...(व्यवधान) अम्रुत काल कोई सरकारी महोत्सव नहीं था,वह भारतीय जनता पार्टी का

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी

26-11-2025/1615/NS-AG /1

संसदीय कार्य मंत्री-----जारी

फंक्शन था। अध्यक्ष महोदय, अब सरकार का तीन सालों का कार्यकाल है।

Speaker: No interruption please. कोई बैठे-बैठे बीच में न बोलें। ...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री : अमृत काल सरकारी फंक्शन नहीं था। वह केवल भाजपा का फंक्शन था। सरकार का तीन सालों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। आपकी सरकार का पहले वर्ष का कार्यकाल हुआ तो आपने भी उत्सव मनाया था। सरकारी फंक्शन होता है तो आपने सरकारी पैसे का उपयोग किया। अगर हमारी सरकार तीसरा साल मना रही है तो जैसा आपने किया है वैसा हम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ बातें क्लेरिफाई करनी थी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट, प्लीज। नेता प्रतिपक्ष जी पहले मुझे बोलने दो उसके बाद आप बोल लेना। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि जो इश्यू है उसके रेफरेंस में कुछ पासिंग रिमार्क्स तो हो सकते हैं। अगर हम आपकी स्पीचिज को देखेंगे तो इश्यूज पर कम बोला है और नॉन इश्यूज पर ज्यादा बोला है। अगर दोबारा से कोई व्यवस्था देनी पड़ी कि इश्यूज तक ही आपकी स्पीचिज कन्फाइंड रहेंगी तो फिर सारा रिकॉर्ड एडिट होगा। This is what I am requesting you all. ...(Interruption) I am requesting you all. इश्यू पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से संबंधित है, तीन सालों के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। उसके पासिंग रेफरेंस हो गए और जवाब भी आ गया। अगर आप आधा घंटा उस पर ही स्पीच देंगे तो फिर नैचुरली यहां से रिएक्शन तो होगा। इसलिए I would request the Hon'ble Members please confine to the issue. अगर आप इस इश्यू पर ही रहेंगे तो अन्य इश्यूज भी डिस्कशन में आ सकते हैं। This is what I wanted to request the Hon'ble House. नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी आप अपना विषय रखें।

26-11-2025/1615/NS-AG /2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि सरकार खज्जल यानी कन्फ्यूज है और खज्जल होने के साथ सरकार पजल यानी परेशान भी है। सरकार खज्जल और पजल दोनों है। ...(व्यवधान) यह असंसदीय शब्द नहीं है।

26-11-2025/1615/NS-AG /2

Speaker: "Confuse" is okay. "*Khazzal*" and "*Puzzle*", I will see to it. If these are Parliamentary, then it will be retained, otherwise removed.

श्री जय राम ठाकुर : सरकार को दिशा ही नहीं मिल रही है। ...(व्यवधान) यह हमारी पहाड़ी भाषा है। वजह यह है कि जब दिशा ही नहीं है, मुख्य मंत्री इस दिशा में जाते हैं तो मंत्री उस दिशा में जाते हैं। इसका क्या औचित्य है? मैं वही कह रहा हूं कि कहां इन्होंने विषय उठा दिया कि इतने नहीं बल्कि इतने संस्थान बंद किए हैं। संस्थान तो बंद हुए हैं। ...(व्यवधान) इन्होंने कहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो संस्थान आपने बंद किए हैं वे हमारी ही सरकार के नहीं किए बल्कि जो संस्थान श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने खोले थे उनको भी बंद किया और जो प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने खोले थे उनको भी बंद किया। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप इस बात को स्पष्ट करें कि जो सरकार चुनी हुई होती है वह कितने सालों के लिए होती है? चुनी हुई सरकार 5 सालों के लिए होती है। अंतिम दिन तक वह सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप काम कर सकती है और फैसला ले सकती है। हमने फैसले लिए। आपने जो परिपाटी शुरू की है तो आने वाले समय में हमें भी विचार करना पड़ेगा कि आपने एक वर्ष के अंतिम फैसले को ले करके पुनर्विचार किया और उसमें बहुत से संस्थान बंद किए। मुझे मालूम नहीं है कि आपकी सरकार का कितना कार्यकाल बचा है। हो सकता है कि हम आपकी सरकार के फैसलों को पहले दिन से रिव्यू करें। आपकी पहली कैबिनेट की बैठक में जिसमें मंत्रिमण्डल का गठन नहीं हुआ था और उसमें

मुख्य मंत्री जी व उप-मुख्य मंत्री जी दो ही थे जिन्होंने संस्थानों को रद्द करने की शुरुआत की थी। इन सारी बातों को आपको भी भुगतना पड़ेगा। मैं संस्थानों की बात के लिए ही नहीं कह रहा हूं बल्कि हम तमाम फैसलों को ले करके विचार करेंगे। आपने इस प्रदेश का **सत्यानाश** कर दिया और इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था आपने तहस-नहस कर दी है तो हमें उन सारे फैसलों को ले करके विचार करना पड़ेगा। ...(व्यवधान) अब क्या परेशानी है? ...(व्यवधान)

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

26.11.2025/1620/RKS/AS-1

श्री जय राम ठाकुर... जारी

...(व्यवधान) सीखने की बात नहीं है। आप उन्हें सिखाइए। ...(व्यवधान) मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस डिस्कशन का कौन जवाब देगा?

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी अभी सरकार के दो साल हैं आप ऐसी घोषणाएं मत करें।

श्री जय राम ठाकुर : मुख्य मंत्री और आपके मंत्री जी यहां पर उपस्थिति नहीं हैं।

अध्यक्ष : वे आपकी बात को गैलरी में सुन रहे हैं।

श्री जय राम ठाकुर : इससे जाहिर होता है कि आप कितनी गंभीरता से सारी चीजों को ले रहे हैं। आप बार-बार बात कर रहे हैं कि हमने 8 महीने नगर निगम शिमला का चुनाव स्थगित करवाया। हमने यह चुनाव स्थगित नहीं किया था। आपकी काउंसलर श्रीमती सिमी नंदा हाई कोर्ट में गई थी और माननीय उच्च न्यायालय का फैसला समय पर नहीं आ पाया

था। हमने व्यक्तिगत रूप से उन्हें कहा कि चुनाव का समय हो गया है इसलिए आप अपनी याचिका को वापिस लीजिए। जो डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन रोस्टर का विषय था उसे आप वापिस लीजिए। वे कोर्ट में गई लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला नहीं दिया और तब तक कार्यकाल पूरा हो गया था। हमने निमग के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया था। हमने उसी वक्त एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। मैं इस बात को भी रिकॉर्ड में लाकर स्पष्ट करना चाहता हूं कि उसके बाद असैम्बली इलैक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया इसलिए चुनाव स्थगित हुए। ...(व्यवधान) उत्तराखंड की बात बाद में करेंगे। पहले आप यहां की बात करो। आप कहां भटके हुए हैं? ...(व्यवधान) यहां पर एक माननीय सदस्य ने मंडी की त्रासदी का काफी जिक्र किया। अगर आपको त्रासदी की पीड़ा होती तो आप 11 तारीख को मंडी में नाटी डालने की योजना नहीं बनाते। आपको शर्म आनी चाहिए क्योंकि 50 लोग तो मंडी में मरे हैं जिनमें से 33 मेरे विधान सभा क्षेत्र से हैं। 11 लोगों की लाशें मिली है और 22 लोगों की तो अभी लाशे भी नहीं मिली हैं। लेकिन आप वहां जश्न मनाने जा रहे हैं। इससे निर्जल सरकार और नेतृत्व मैंने कभी नहीं देखा।

अध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

26.11.2025/1620/RKS/AS-2

उद्योग मंत्री : माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है it is very strange to see that the Leader of Opposition using such types of words. It is not expected from him. Leader of Opposition is a person of stature. He is threatening us. जब वर्ष 2017 में आपकी सरकार थी तो आपने पिछली सरकार के निर्णयों को रिव्यू करवाया था। आपने बहुत सारे संस्थानों को डिनोटिफाई किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि This Government is not afraid of such threats. This Government will work in the interest of the State and in the interest of the people. We are not afraid of such threats. मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो घटनाक्रम हो रहे हैं यह

उसका असर है जो हम माननीय नेता प्रतिपक्ष में देख रहे हैं। हमारे भी कुछ दोस्त रहे हैं जिन्होंने यह खलबली मचाई हुई है। इन्होंने भाजपा को तार-तार कर दिया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि such words are not expected from the Leader of Opposition.

Speaker: I will peruse the record and all those words which are undesirable against the parliamentary norms, will be removed from the record. अब माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

26.11.2025/1620/RKS/AS-3

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, नियम -67 के अंतर्गत जो श्री रणधीर शर्मा जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इसमें पक्ष और विपक्ष के बहुत सारे वक्ताओं ने भाग लिया है। आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

26.11.2025/1625/बी.एस./ए.एस.-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी...

अध्यक्ष महोदय, यह जो नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव विपक्ष की ओर से लाया गया था। इसका असली मकसद क्या था? विपक्ष इसके प्रति कोई गंभीर नहीं था। इनकी असली मंशा यह थी कि हम नियम-67 का प्रस्ताव लाएंगे और सरकार इसे नहीं मानेगी और हम सदन से बाहर चले जाएंगे और अखबार में न्यूज भी बन जाएगी। जब चर्चा का उत्तर आएगा तो ये वॉकआउट करेंगे। विपक्ष पंचायत चुनाव के लिए गंभीर है ऐसा नहीं है। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें कहीं है जिस पर माननीय जय राम ठाकुर जी ने भी कहा जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। आपने ठीक कहा कि विषय कुछ और है और इसमें

राजनीति की सब बातें हो रही हैं। कभी कहा जा रहा है कि संस्थान बंद किए गए, कभी कहा जा रहा है कि मुख्य मंत्री जी मंत्रियों की बात नहीं सुनते। कभी कहा जा रहा है कि उप-मुख्य मंत्री जी नहीं आये हैं। कभी कहा कि पंचायती राज मंत्री जी भी यहां नहीं हैं, परंतु अब तो वे भी सदन में आ गए हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं।

दूसरा इन्होंने पंचायती राज चुनाव के लंबित करने का बहाना निकाला है। इनका कहना है कि सरकार डरी हुई है कि हमारे खिलाफ जनादेश जाएगा। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो भी पंचायत के चुनाव होते हैं किसी पार्टी के चिन्ह पर नहीं लड़े जाते। मेरे से पूर्व माननीय सदस्य श्री चन्द्र शेखर जी ने भी यह बात कही है। इसमें पार्टी नहीं देखी जाती है। इसमें सभी अपने परिवार के सदस्य होते हैं इसलिए हमें किसी डर की बात नहीं है। यदि ये चुनाव पार्टी के निशान पर होते तो आप बोल सकते थे।

जब आपने हमारी सरकार गिराने की साजिश की थी, उस वक्त भी सरकार नहीं डरी थी। उसके बाद 9 उप चुनाव हुए उसमें 6 सीटें हमारी पार्टी की आई थी। उससे पहले आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार थी उस वक्त उप चुनावों में हमारी 4 सीटें आई थी। जिसमें आदरणीय भवानी सिंह पठानिया जी, आदरणीय संजय अवस्थी जी, आदणीय रोहित ठाकुर जी और मण्डी से आदरणीय प्रतिभा सिंह जी ने उप चुनाव जीता था। इसमें डरने की कोई बात नहीं चुनाव होते रहते हैं और हार जीत भी होती रहती है। ऐसा जरूरी नही है कि आप अलगी बार यहीं होंगे और यह भी जरूरी नहीं कि आप 28 के

26.11.2025/1625/बी.एस./ए.एस.-2

28 सदस्य जीत करके यहां पर आएंगे।

यहां पर संस्थानों को बंद करने की बात हो रही थी मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करना चाहता हूं, जब आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार आई उससे पहले राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी उन्होंने बहुत से संस्थान खोले थे। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में मेरे ही गांव में लोक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस खुला था। उसका फाउंडेशन

स्टोन भी हो चुका था और पैसा भी आ गया था। उसी तरह दो संस्थान पी.एच.सी. के थे। वे तो अचार संहिता से दो साल पहले के खोले गए थे। आपकी सरकार ने उन्हे भी बंद कर दिया। इसी तरह से और भी संस्थान थे जिन्हें आपकी सरकार ने बंद कर दिया था। अब तो इन्होंने धमकी दे दी और कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम देखेंगे। परंतु वह आएगी नहीं।

अध्यक्ष महोदय, जब ठाकुर साहब की सरकार थी तो दो सब-तहसीलें ऐसी खोली जब अचार संहिता लग चुकी थी और उनके वहां पर उद्घाटन करवाए गए। वहां कोई स्टाफ नहीं था हां कमरों की व्यवस्था आपने कर दी थी। ऐसे संस्थान किस काम के थे। जिसके घर शीशे के हों वे दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते।

यहां पर जो पंचायत इलेक्शन की बात आती है, अभी तो यह टले ही नहीं हैं। 23 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। यदि थोड़ा आगे-पीछे टल भी जाए तो वह भी डिजास्टर की वजह कुछ संभावना हो सकती है।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा द्वारा जारी.....

26.11.2025.1630.डी0टी0-डी0सी0.-1

श्री मोहन लाला ब्राक्टा जारीः

प्रेपरेशन पहले होगी। अगर चुनाव थोड़ा आगे-पीछे टल भी जाए तो भी संभावना हो सकती है। प्रदेश में आई आपदा आप सभी के सामने है। आपदा से वर्ष 2023 में कितना नुकसान हुआ हम सभी जानते हैं। इस बार जो आपदा आई उससे प्रदेश में कितना नुकसान हुआ यह भी हम सब जानते हैं। आपदा से जो नुकसान हुआ उससे सड़कों और स्कूलों के भवन भी टूटे हैं। इसके बारे में आप सभी जानते भी हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार की ऐसी मंशा है कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाने। चुनाव थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा चलता है।

विपक्ष के हमारे साथी व्यवस्था परिवर्तन पर तंज कसते हैं। लेकिन सही मायने में प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

मुझे इस माननीय सदन में तीसरी बार आने का मौका मिला है। मैं भी अपने राजनीतिक जीवन में तीसरी सरकार देख रहा हूं। जब भी नियम-67 के अंतर्गत कोई प्रस्ताव आता था तो अकसर पूर्व सरकारें उसे खारिज कर देती थी। लेकिन वर्तमान सरकार ऐसी सरकार है जिसने अपने कार्यकाल में तीसरी बार नियम-67 के अंतर्गत चर्चा अलाउ की है। यह भी व्यवस्था परिवर्तन का एक उदाहरण है। यह भी एक व्यवस्था परविर्तन ही है कि इस तपोवन में कभी 5-6 दिन से अधिक सत्र नहीं बैठा यह भी पहली बार हो रहा है कि 8 दिन का सत्र तपोवन में हो रहा है और यह सत्र बढ़ भी सकता है। विपक्ष के सदस्य बोलते हैं कि सरकार आपकी बात सुनना ही नहीं चाहती। सरकार ने यह जो शीतकालीन सत्र 8 दिन का रखा है इसमें आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। आप जितना बोलना चाहते हैं आप बोलिए। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी तो अपने मंत्रियों की बात भी नहीं सुनते। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मंत्रियों की छोड़ो वे तो विधायकों की बातों को भी ध्यान से सुनते हैं। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि आप ही अपने सदस्यों की नहीं सुनते क्योंकि अगर कोई और विपक्ष का सदस्य बोलने के लिए अपना हाथ उठाता है उससे पहले नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जी किसी की बात नहीं सुनते, वे सभी को सुनते हैं। सबजेक्ट मैटर पर तो विपक्ष के किसी सदस्य ने कोई बात कही ही नहीं सिर्फ सरकार को कोसने की ही बात उनके द्वारा की गई।

विपक्ष के साथियों ने सरकार के द्वारा मनाए जा रहे तीन साल के जश्न के संदर्भ में बातें कहीं। मैं विपक्ष के साथियों को यह कहना चाहता हूं कि आपकी

26.11.2025.1630.डी0टी0-डी0सी0.-2

सरकार के समय में जनमंच या कोई अन्य मंच चला रहता था। उसके संदर्भ में कई प्रकार की बाते होती हैं। हमारी सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपदा के बावजूद भी उन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ-न-कुछ किया है। विपक्ष के द्वारा वर्तमान सरकार को गिराने का प्रयत्न किया गया उसमें भी सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए प्रदेश में जो समय विकास के लिए दिया जाना था वह समय षडयंत्र से निपटने के लिए सरकार के लग गये। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार की सहायता करने की घोषणा की लेकिन वह धनराशि भी अभी तक प्रदेश

सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। इतना होने के बावजूद भी प्रदेश मे विकास के कार्य सामान्य रूप से चले हैं। विकास का कोई भी कार्य रूका नहीं है। जब वर्ष 2023 में प्रदेश में आपदा आई उस समय सेब का सीजन पीक पर था। 2025 की आपदा जब आई तब भी प्रदेश में सेब का सीजन पीक पर था। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि हमारे प्रदेश के बागवानों के सेब समय पर मंडियों तक पहुंचे। उन्हें सेब के उचित रेट मिले या नहीं मिले वह अलग बात है।

अब मैं पंचायती राज चुनाव पर आता हूं। विपक्ष नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव लेकर आया। इस चर्चा को लाने में विपक्ष की मंशा कुछ और थी और मकसद कुछ और। इस सदन में विपक्ष के जितने भी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित बातें कहीं। नेता प्रतिपक्ष ने भी हमें डरा दिया कि अगली बार हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे-वैसा करेंगे। क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, वह तो समय बताएगा। हम चुनाव से नहीं डरते। चुनावों में हार-जीत चलती रहती है। सरकारें आती हैं जाती हैं। जैसा माननीय त्रिलोक जम्वाल जी बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार तो पूरे देश में केवल तीन ही राज्यों में है। अभी हिमाचल प्रदेश में तो हम है और यह भी जरूरी नहीं की आगे आप की ही सरकार आए। मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात न करके अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री दलीप ठाकुर जी। Let's confine to the Panchayati Raj. (Interruption)...मंत्री जी बैठे हैं वे आपकी बात सुन रहे हैं लेकिन इसका उत्तर मुख्य मंत्री जी देंगे।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

26.11.2025/1635/डी.सी.-एन.जी./1

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद नहीं हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : यहां पर माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बैठे हुए हैं और वे पुरी चर्चा सुन रहे हैं।...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी को अन्य कार्य भी करने होते हैं।...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं।...(व्यवधान)He is listening everybody in his Chamber.(व्यवधान) ठीक है, श्री जय राम ठाकुर जी, आप बोलिए।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में नियम-67 के तहत चर्चा हो रही है। नियम-67 का अभिप्राय यह है कि सभी कामों को रोक कर संबंधित विषय पर चर्चा की जाए। मुख्य मंत्री जी को इस चर्चा का उत्तर देना है लेकिन वे कई घण्टों से माननीय सदन में उपस्थित ही नहीं हैं। He is not present in the House.

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, वे इस चर्चा को अपने चैम्बर में भी सुन सकते हैं। He is listening to the debate in his Chamber.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार में इस सारे विषय को लेकर मामुली सी भी गम्भीरता नहीं है। हमने मुख्य मंत्री जी से बहुत सारे प्रश्न पूछने थे और उनके सामने बहुत सारी बातें लानी थीं जिसके लिए मुख्य मंत्री जी को माननीय सदन में उपस्थित होना चाहिए था। नियम-67 से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई अन्य विषय नहीं हो सकता।

26.11.2025/1635/डी.सी.-एन.जी./2

इस चर्चा का उत्तर मुख्य मंत्री जी को देना है क्योंकि यह चुनाव से जुड़ा हुआ विषय है लेकिन वे माननीय सदन में उपस्थित नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमें आपका संरक्षण चाहिए और मुख्य मंत्री जी को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सदन में उपस्थित रहें।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने आपकी बात को अपने चैम्बर में सुन लिया होगा।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, समस्या तो यह है कि मुख्य मंत्री जी न इधर बैठते हैं और न ही उधर (अपने चैम्बर में) बैठते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा की गम्भीरता जिस प्रकार की होनी चाहिए थी और जिस प्रकार से इस सारे विषय का जवाब देने के लिए मुख्य मंत्री जी को यहां पर उपस्थित होना चाहिए था, वह गम्भीरता दिखाई नहीं दे रही है। यह मेरा व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

अध्यक्ष : माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहता हूं कि नियम-67 के तहत जो चर्चा लाई गई है, यह इनके लिए गम्भीर चर्चा है लेकिन विपक्ष के जो भी सदस्य बोल रहे हैं, वे चुनाव पर कम और अन्य विषयों पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। इन्हें अपने से ज्यादा माननीय मुख्य मंत्री की चिंता हो रही है। जब जवाब देने का समय आएगा तब वे इस चर्चा का विस्तार से जवाब देंगे। ...(व्यवधान) वे आ जाएंगे। ...(व्यवधान) आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी, सभी इंसानों की दो आंखें होती हैं और राजनीतिक लोगों की चार आंखें होती हैं।...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी आ जाएंगे और वे ही इस चर्चा का जवाब देंगे।

26.11.2025/1635/डी.सी.-एन.जी./3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री दलीप ठाकुर चर्चा में भाग लेंगे।

श्री दलीप ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा द्वारा नियम-67 के अंतर्गत के लाए गए प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर होने चाहिएं और इसके लिए प्रदेश की जनता व जिन्होंने चुनाव लड़ना हैं, वे सभी इंतज़ार कर रहे हैं। जब सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं होंगे तो लोगों में काफी नाराजगी उत्पन्न हो रही है। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि प्रदेश में डिज़ास्टर एक्ट लागू है और इस कारण पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में थोड़ी देरी हो रही है। प्रदेश सरकार का तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। प्रदेश में आई आपदा के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान मण्डी जिला में हुआ है। सबसे ज्यादा लोगों की जान मण्डी जिला में गई है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो........

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

26.11.2025/1640/पी0बी0/एच0के0/1

श्री दलीप ठाकुर.... जारी

मण्डी जिला की दस विधान सभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान मण्डी विधान सभा क्षेत्र में हुआ है। सरकार को मण्डी के आपदा ग्रस्त लोगों के घरों और गांव को जोड़ने वाले रास्तों व सड़कों को बनाना चाहिए था। परंतु सरकार ने जिस तरह से निर्णय लिया है कि तीन वर्ष के कार्यकाल का जश्न अगर मण्डी में होगा तो मेरी समझ से यह मण्डी के लोगों के लिए बहुत दुखदायी होगा। सरकार मदद करने की बजाय डिजास्टर एक्ट लगने के बावजूद भी मण्डी के लोगों की मदद नहीं कर पा रही है और मण्डी में इसलिए आ रही है क्योंकि सरकार ने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया और उसका जश्न मनाना है। यह जश्न किस बात का है? लोगों की जानें चली गईं, घर चले गए, गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई, पशु मर गए तो क्या आप इस बात का जश्न करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस जश्न की जगह अगर मुख्य मंत्री जी लोगों की मदद करने का प्रयास करते तो लोगों के लिए बहुत अच्छा होता क्योंकि इससे जो लोग स्कूलों में टैंट में रह रहे हैं उनके लिए घर बनते व प्रभावित गांव के लिए रास्ते बन जाते तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। यहां आरक्षण के बारे में बात हुई है कि किन पंचायतों को किस प्रकार से आरक्षण मिलेगा, वह चाहे ओ0बी0सी0, अनुसूचित जाति या जनरल कैटेगिरी की बात हो। लेकिन मैं आज भी कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री और मंत्री जी ने कहा कि नई पंचायतों का गठन होगा। यदि

किसी वार्ड के लोग दूसरी पंचायत में जाना चाहेंगे तो इससे लोगों को सुविधा मिलेगी। परंतु मुझे लगता है कि मंत्री जी ने कुछ और कहा है और मुख्य मंत्री जी ने कुछ और ही कहा है। लोगों ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव बना लिए हैं और वे उन प्रस्तावों को लेकर मंत्री जी तथा डी0सी0 के पास गए हैं। लेकिन अंतिम निर्णय यह हुआ कि अब पंचायतों का कोई गठन नहीं होगा, पंचायतों के कोई नए वार्ड नहीं बनेंगे। जब लोगों ने पूरी एक्सरसाइज कर ली तब सरकार ने यह निर्णय लिया। लोग चाहते थे कि नई पंचायतें बनें। मैं आदरणीय जय राम ठाकुर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार ने लोगों के विकास के लिए लगभग 400 नई पंचायतें बनाई थीं ताकि उन क्षेत्रों का विकास हो सके। यदि किसी ने जनसंख्या के आधार पर बड़ी पंचायतों को छोटी करने का काम किया तो वह काम आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने किया था ताकि वहां के लोगों का विकास हो सके। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार तो इसकी केवल तैयारी में ही रह जाएगी। अब सरकार का तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। मंत्री जी स्टेटमेंट देते हैं कि आप प्रस्ताव लाइए हम जल्दी पंचायतें बनाएंगे। लेकिन उधर से मुख्य मंत्री का बयान आता है कि नई पंचायतों का गठन नहीं होगा। मेरे चुनाव क्षेत्र बलद्वाड़ा में जहां किसान लोग रहते हैं आपने वहां नगर पंचायत बनाने का काम कर दिया। यह बात मैंने पिछली विधान सभा सत्र के दौरान भी कही थी। लोगों ने डी0सी0 महोदय,एस0डी0एम0 और तहसीलदार के माध्यम से ऑब्जैक्शन फाइल किया लेकिन किसी की बात नहीं सुनी गई। मैं इस बारे में

26.11.2025/1640/पी0बी0/एच0के0/2

माननीय मंत्री जी से भी मिला। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। केवल एक व्यक्ति की बात सुनी गई जो वहां से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ता था कि बलद्वाड़ा में नगर पंचायत बननी चाहिए। लोगों ने जो ऑब्जैक्शन फाइल किया उनकी बात को इग्नोर किया गया। वह पार्टी का व्यक्ति था इसलिए उसकी बात को सुना गया कि बलद्वाड़ा में नगर पंचायत बननी चाहिए। यहां पर आरक्षण की बात की जा रही थी। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक धनालग पंचायत है। आपने कहा कि जहां 5 प्रतिशत किसी जाती की संख्या होगी उसके आधार पर उस पंचायत को रिजर्व कर दिया जाएगा चाहे वह ओ0बी0सी0 की हो, चाहे अनुसूचित जाति की हो या जनरल में आती हो उसे रिजर्व कर दिया जाएगा। मेरी एक पंचायत ऐसी है जहां मेरी एक बहन ओ0बी0सी0 जाति से संबंध रखती है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

26.11.2025/1645/H.K./A.P/01

श्री दलीप ठाकुर जारी .....

उस बहन की शादी ऐसी पंचायत में हुई है जिस पंचायत में ओ0बी0सी0 का कोई भी व्यक्ति नहीं है और उस पंचायत को ओ0बी0सी0 के दायरे में लाया जा रहा है और उस पंचायत को ओ0बी0सी0 घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने डी0सी0 और बी0डी0ओ0 से निवेदन किया था, मंत्री जी को भी प्रस्ताव भेजा था। आपने जो नियम बनाया है कि जहां ओ0बी0सी0 की जनसंख्या 5 प्रतिशत होगी, उसी आधार पर पंचायत को आरक्षण दिया जाएगा, उसी आधार पर आरक्षण होना भी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कैबिनेट की बैठकों में कई फैसले आते हैं हम उनका स्वागत भी करते हैं, लेकिन अगले ही दिन वे फैसले पलट दिए जाते हैं। व्यवस्था परिवर्तन का आलम देखिए तीन वर्ष का कार्यकाल यूं ही चला गया। सुनते हैं तो मानते नहीं, मानते हैं तो लागू नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, पंचायती चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं चाहे जिला परिषद, प्रधान, बी0डी0सी0, वार्ड मैंम्बर या उप-प्रधान का चुनाव हो। आप कह रहे हैं कि जनवरी में प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद पंचायत सचिव विकास कार्य देखेंगे। लेकिन आज पंचायतों में सड़के नहीं बनीं, रास्ते नहीं बने। जिस पंचायत में पांच वर्ष तक रास्ते नहीं बने वहां विकास कैसे होगा?

यदि मैं आपदा की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब सरकाघाट क्षेत्र में आए तो मैं भी उनके साथ था। जुकवाण पंचायत में वर्ष 2023 की आपदा के दौरान स्कूल का भवन जमीन में धंस गया। मुख्य मंत्री जी ने वहां के डी0सी0 को निर्देश दिया कि इसे जल्द बहाल किया जाए, ग्राउंड और स्कूल भवन बनाया जाए और जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए वहां पर दीवार या चैकडैम लगाकर उन लोगों की मदद दी जाए। जबाई का एक स्कूल भी जमीन में धंस गया। लेकिन आज तक वह स्कूल ठीक नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार वर्ष 2023 की आपदा का नुकसान नहीं भर पाई तो वर्ष 2025 का नुकसान कैसे भरेगी? सरकार ने पंचायत चुनाव समय पर न करवाने का प्रयास किया है। मैं इस सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि विकास रुकना नहीं चाहिए। विकास

पंचायतों के माध्यम से होता है और स्थानीय विधायक भी विकास में योगदान देते हैं। लेकिन तीन महीने से विधायक निधि भी नहीं

26.11.2025/1645/H.K./A.P/02

मिली है, विकास कहां से होगा? आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही है, सहारा योजना बंद कर दी गई है, हिमकेयर कार्ड बंद कर दिया गया है, दैनिक भोगी कर्मचारियों को छह महीने से वेतन नहीं मिला है।

इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं कि पंचायतों के चुनाव समय पर हों। चाहे पी0डी0एन0ए0 का पैसा हो या किसी अन्य प्रकार के हैड की राशि हो उसका उपयोग जमीनी स्तर पर लगना चाहिए। जब पैसा किसी योजना के लिए आता है तो उसका उपयोग होना चाहिए। सड़कें बननी चाहिए और अन्य कार्य समय पर होने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव समय पर हों। माननीय रणधीर शर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ताकि पंचायत चुनाव समय पर हों और लोगों के विकास कार्य न रुकें। पंचायत का विकास तभी होगा जब चुनाव ठीक से होंगे। इतनी बात में कहना चाहता हूं धन्यवाद।

26.11.2025/1645/H.K./A.P/03

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक साथी सदस्य द्वारा कहा गया कि आपदा का पैसा है और आपदा के पैसे को हम डाइवर्ट कर रहे है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपदा के पैसों से ऐसा किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होता, जिस पर हम इस प्रकार का खर्चा कर सके। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं .....

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

26.11.2026/1650/AT/YK -01

मुख्यमंत्री जारी...

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि मेरी एक ओ0वी0सी0 पंचायत है। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे थे। वह दोबारा रिज़र्व होने जा रही है। ये सब त्रुटियां हैं और इन त्रुटियों को ठीक करने के लिए ही ध्यान दिया जा रहा है। फिर तीसरी बात कर रहे थे कि सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं और फिर अपने आप ही कह रहे थे कि कैबिनेट फैसला करती है और अगले दिन मुकर जाती है। आप किस दिशा में बात कर रहे हैं? माननीय विपक्ष के नेता का तो आदर कीजिए। दलीप ठाकुर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो त्रुटियां रह गई हैं, उन्होंने सही कहा कि एक जगह एक आदमी रहता हो, वह भी ओ0वी0सी0 डिक्लेयर हो जाए तो वह गलत काम हुए हैं। व्यवस्था परिवर्तन उसे कहते हैं जब दुरुस्ती की जाए। तो यह दुरुस्ती हम कर रहे हैं। और मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आप बहुत अच्छी चर्चा में भाग ले रहे हैं। अभी इस चर्चा में और भी कई प्रकार की बातचीत होगी। कल कितना समय लगता है, परसों कितना समय लगता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हम चाहेंगे कि पंचायती राज जो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है उसमें जो और भी त्रुटियां हैं, चाहे नियम- 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाये, कोई बात नहीं लेकिन अगर आप त्रुटियां बताएंगे तो हमें उन्हें सही करने का मौका मिलेगा और पंचायत में सही लोग चुनकर आएंगे।... (**व्यवधान**) मैं यह कहना चाहता हूं।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। PDNA का जो पैसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि PDNA का पैसा दो साल बाद आया। उसमें 1500 करोड़ रुपये भारत सरकार देगी और 500 करोड़ रुपये हिमाचल सरकार देगी। अभी तक केंद्र सरकार ने 451 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। 400 करोड़ रुपये के बाद किस्त कैसे आती है? पहले खर्चा हम करते हैं, फिर UC आता है फिर उसके बाद पैसे आते हैं। यह सिस्टम है। भारत सरकार से पैसा लेना बड़ा मुश्किल काम है। हमारी सरकार को अभी तीन साल हुए हैं। आपके समय 50,000 करोड़ रुपये ज्यादा आए और हमारे समय 50,000 करोड़ रुपये कम आए फिर भी हम सरकार चला रहे हैं और हम सरकार चलाना जानते

26.11.2026/1650/AT/YK -02

हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की हमने नींव रखी है, उसी नींव से आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और तीसरी बात, हम कोई पार्टी का कार्यक्रम, जश्न नहीं बना रहे। हम पड्डल के भव्य ग्राउंड में सरकार के दृष्टिकोण को दिखाने जा रहे हैं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राम कुमार जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राम कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम- 67 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री रणजीत शर्मा जी द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। पूर्व वक्ताओं ने इस विषय को तोड़-मरोड़कर सदन में पेश किया है और मुख्य मुद्दे से हटकर राजनीति चमकाने की बात की है।

अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं। इस थ्री-टायर सिस्टम को माननीय राजीव गांधी जी ने 73वां संशोधन करके लागू किया था। वर्ष 2005 से वर्ष 2011 तक मुझे भी पंचायती राज संस्थाओं में बतौर जिला परिषद अध्यक्ष, सोलन काम करने का अवसर मिला और जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा जो त्रुटियां रही हैं उन्हें हम ठीक करेंगे। रही चुनाव की बात, जिसके लिए ये हल्ला हो रहा है कि चुनाव लेट हो रहे हैं तो चुनाव लेट होने का मुख्य कारण यह है कि हमारा प्रदेश अभी चुनावी राज संस्थाओं के चुनाव के लिए तैयार नहीं है। खासकर मंडी में, पिछली बरसात के समय लगभग 90 प्रतिशत सड़कें तबाह हो गई थीं और उनका रेस्टोरेशन होना बाकी है। माननीय ब्राक्टा जी कह रहे थे कि हमारा सेब मंडियों में पहुंचा। वह माननीय मुख्य मंत्री जी की दया-दृष्टि है कि हमारी मुख्य सड़कों को इन्होंने तय समय में रेस्टोर किया ताकि हमारे लोगों के लिए...

एम0डी0द्वारा जारी....

26-11-2025/1655/YK/MD/1

श्री राम कुमार जारी----

ताकि हमारे लोगों के लिए बस सुविधा मिले और लोगों की फसल मण्डी तक पहुंच सके। इन्होंने हमें वह सुविधा दी है। लेकिन अभी भी हमारे ग्रामीण एरियाज के रोड्ज बंद हैं। आप चाहे किसी भी विधान सभा क्षेत्र की बात कर लीजिए, कहीं पर भी रोड्ज सुचारू रूप से शुरू नहीं हुए हैं। यहां पर वक्तव्य की बात की गई कि माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी की स्टेटमैंट में अंतर है लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं है। यहां पर जो भी बात होती है वह इनकी सलाह से ही होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है उसके तहत इन्होंने अपने समय में अनेकों बदलाव किए हैं। इन्होंने खासकर सामाजिक सुरक्षा नियमों में बदलाव करके जो काम किया है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे याद है, मैं जब जिला परिषद् सोलन था तो उस समय आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए केवल 75,000 रुपये दिए जाते थे। उस दौरान केंद्रीय मंत्री माननीय मणि शंकर अय्यर जी सोलन आए। हमने पंचायती राज संस्थाओं का अधिवेशन बुलाया था जिसमें पूरे प्रदेश से चुने हुए 1500 लोग आए थे। उस समय इस प्रदेश के मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे। हमने उस समय डिमाण्ड की कि आवास योजना के तहत मिलने वाली 75,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया जाए। उन्होंने कहा कि हम इसको केवल दोगुना बढ़ा सकते हैं इसलिए उसको डेढ़ लाख रुपये किया गया। वर्ष 2023 के डिजास्टर के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस डेढ़ लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया है तथा वर्ष 2025 के डिजास्टर में बिलोंगिग्ज के लिए 1 लाख रुपये की राशि और देने की घोषणा की है। अब इसमें लगभग 8 लाख रुपये मिल रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल पेशे से वकील हैं। ये बहुत अच्छा बोलते हैं और विधान सभा के अंदर हमेशा ही कई चीजें लेकर आते हैं। इन्होंने आज भी सदन के अंदर कई लैटर्ज पढ़ें। इन्होंने हिमकेयर की बात की और कहा कि इलैक्शन प्रोसैस पूरा हो गया तथा बैलेट पेपर्ज छप गए। माननीय सदस्य,जब लोग नोमिनेशन करेंगे, उनके जब चुनाव चिन्ह

जारी होंगे तो उसके बाद बैलेट पेपर छपेंगे। अभी तो बैलेट पेपर्ज छपने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ...(व्यवधान) कर दी होगी। पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश की

26-11-2025/1655/YK/MD/2

वित्तीय स्थिति का सत्यानाश कर दिया था। ये जो कह रहे हैं कि हमने इतनी संस्थाएं बंद कीं और उसको हम दोबारा से शुरू करेंगे तो ऐसे उदाहरण तो ये अपने पिछले कार्यकाल में दे चुके हैं। दून विधान सभा क्षेत्र में हमने डिग्री कॉलेज लाया और माननीय वीरभद्र सिंह ने वहां पर दो आई0टी0आई0 दीं। उनके भवन अधूरे थे, बद्दी होस्पिटल वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। लेकिन माननीय श्री जय राम ठाकुर ने उसका सारा पैसा डाइवर्ट कर दिया था। हमने उस बारे में माननीय मुख्य मंत्री से बात की तो हमें उस होस्पिटल के लिए 3.74 करोड़ रुपये दिए गए। इसी प्रकार चण्डी में डॉक्टर्ज व स्टाफ क्वार्टर्ज के लिए 3.50 करोड़ रुपये दिए। इसके अतिरिक्त हमारे जो कुछ पुल अधूरे थे जिनको वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, उनको आपकी सरकार पिछले पांच वर्ष के कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाई और उनका सारा पैसा पता नहीं आपकी सरकार ने कहां-कहां डाइवर्ट कर दिया था।

माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर अपने कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक भी टूअर नहीं कर पाए थे। मैं वर्तमान मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जोकि अभी तक दून विधान सभा क्षेत्र में दो बार जा चुके हैं। इन्होंने अपने पहले टूअर में वहां लगभग 5 कार्यालय खोले थे और दूसरे टूअर के दौरान वहां के लिए तीन-चार बड़ी घोषणाएं की हैं। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस एस0डी0एम0 कार्यालय की ये लोग बात करते थे कि हमने वहां पर एस0डी0एम0 और बी0डी0ओ0 बैठा दिया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि एस0डी0एम0 को बैठाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय की परमिशन की जरूरत होती है। मगर इनकी सरकार ने उसके लिए एन0ओ0सी0 तक नहीं लिया।

26-11-2025/1655/YK/MD/3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट बैठ जाइए।

मेरे पास अभी बोलने के लिए चार नाम और हैं। अभी माननीय सदस्य श्री राम कुमार बोल रहे हैं। अब पांच बज चुके हैं और हाउस का समय नहीं बढ़ेगा। I would request to continue tomorrow and now we are adjourning the House.

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

तपोवन-176215 **हि0प्र0विधान सभा**
दिनांक : 26 नवम्बर, 2025 **सचिव**